खण्ड-141, अंक-5
गुरूवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1876
(23 सितम्बर, 1954 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## वृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक समा सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऊलफत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीन दयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ठ, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पाती राम, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव. श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनरायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीता राम डाक्टर, श्री
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

# प्रश्नोत्तर

## अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

### चुरक सीमेंट फैक्टरी के लिये नियुक्त किये गये डाइरेक्टर के अधिकार

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट फैक्टरी चुरक के लिये सरकार ने Controller नियुक्त किया है? यदि हां, तो किसको ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—चुरक सीमेंट फैक्टरी के लिये कोई कन्ट्रोलर नियुक्त नहीं किया गया है, परन्तु उक्त फैक्टरी के डाइरेक्टर के पद पर श्री बी० जी० राव की नियुक्ति की गयी है ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन Controller साहब को जो Financial Powers delegate की गयी है वह क्या क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—डाइरेक्टर को विभागीय अध्यक्ष (Head of Department) घोषित कर दिया गया है। फैक्टरी का संचालन उचित ढंग से करने के लिये आवश्यक अन्य वित्तीय आदि अधिकार देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*३—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार जिस सरकारी आज्ञा-पत्र द्वारा यह powers delegate की गयी है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—यह प्रश्न अब नहीं उठता ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि डाइरेक्टर महोदय को इसके बारे में क्या एलाउन्स वगैरह एक्सट्रा दिये जायेंगे और दूसरे वह यहां रहेंगे या चुरक में रहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—रहेंगे तो यहीं, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर वहां जाते रहेंगे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस एक्स्ट्रा सेवा के लिये उन्हें एलाउन्स के रूप में या और किसी शक्ल में कोई आर्थिक लाभ दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ दिया जायगा, लेकिन उसकी जानकारी मुझे इस वक्त नहीं है। नोटिस पाने पर मैं ठीक तरह से बता सकूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाइरेक्टर साहब को जो नियुक्ति हुयी है इनके साथ कोई बोर्ड आफ डाइरेक्टर के सदस्य हैं या यही अकेले डाइरेक्टर हैं और उनके अधीन बाकी सारी फैक्टरी है ?

श्री हुकुम सिंह—सीमेंट कंट्रोल बोर्ड है उसके भी ये सदस्य हैं लेकिन डाइरेक्टर यह अकेले वही हैं। उनके साथ और कोई नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन अधिकार ऐसे हैं जो इन डाइरेक्टर महोदय के हाथ में नहीं हैं और जो उस फर्म के हाथ में दे दिये गये हैं ? यानी कौन अधिकार उस फर्म को हैं और कौन-कौन डाइरेक्टर के हैं ?

श्री हुकम सिंह—प्रोडक्शन का टेक्निकल साइड उस फर्म के हाथ में है और बाकी ओवरआल कंट्रोल डाइरेक्टर का है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्सनेल का मैनेजमेंट उस फर्म का है या इन डाइरेक्टर साहब का है ?

श्री हुकुम सिंह—डाइरेक्टर का ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाइरेक्टर महोदय को कौन-कौन सी फाइनेंशल पावर्स हैं और कौन-कौन सी और एडिशनल पावर्स हैं ?

श्री अध्यक्ष—डेलीगेशन के बारे में तो जवाब दिया जा चुका है कि उसके बारे में विचार हो रहा है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर को टेक्निकल काम को छोड़कर बाकी और जगहों पर नियुक्तियों को भी कोई पावर्स दी गयी हैं ? यदि दी गयी हैं, तो कहां तक दी गयी हैं ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, जो स्केल फिक्स कर दिये गये हैं उसके मुताबिक उनको अप्वाइंटमेंट करने का अख्तियार दिया गया है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो अप्वाइंटमेंट की पावर्स उनको दी गयी हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन से क्लैश में तो नहीं आयेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुरक सीमेंट फैक्टरी का काम चलाने के लिये वहां सरकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है और उसका क्या पद है ?

श्री हुकुम सिंह—वहां डाइरेक्टर, सेल आफिसर तथा परचेज आफिसर नियुक्त हुए हैं।

## मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के सीमेंट की एजेंसी तथा उसकी शर्तें

*४—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी की सीमेंट की बिक्री के लिये एजेन्ट नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां ।

*५—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने एजेन्सी की क्या-क्या शर्तें रखी हैं ? क्या उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—शर्तों के विषय में सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है ।

*६—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार इस सीमेंट की बिक्री प्रत्येक जिले में जिला कोआपरेटिव तथा मार्केटिंग फेडरेशन को देने का विचार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह—एजेन्सी के लिये जिला कोआपरेटिव तथा मार्केटिंग फेडरेशन भी प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन ने एजेंट बनने के लिये दरख्वास्त दी है ?

श्री हुकुम सिंह—वह फेहरिस्त इस समय मौजूद नहीं है ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या एजेन्सी की शर्तें निश्चित होने से पहले ही एजेन्सी के लिये दरख्वास्त मांगी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह—दरख्वास्त मांगी गयी हैं और शर्तों पर विचार हो रहा है, वह बहुत जल्द तय हो जायंगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि इन प्रार्थियों को सीमेंट तब दी जायगी जब रिहन्द डैम बन जायगा, क्योंकि सीमेंट उसके लिये नाकाफी है ?

श्री हुकुम सिंह—यह महज हमारे दोस्त का कयास है, ऐसी बात नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा निश्चित हुआ है जो दूसरे कारखानों का सीमेंट बेचने वाले हैं, उनको नहीं दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह—तय तो नहीं हुआ लेकिन खयाल ऐसा है ।

श्री रामहेत सिंह—(जिला मथुरा) क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी से इस समय फिलहाल उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों को सीमेंट मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, सही है ।

श्री रामदास आर्य—(जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी उन जिलों का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—२४ जिले हैं और हमीरपुर से बहराइच तक सेमी सर्किल खींच लीजिये इधर के जिलों को मिलेगा उधर के जिलों को नहीं मिलेगा ।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या यह सही है कि सरकारी आदेशों पर जिलाधीश लोग कोआपरेटिव सोसायटीज तथा मार्केटिंग फेडरेशन के अलावा विशेष व्यक्तियों से तथा इंडीविजुअल्स से लायसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर रहे हैं ?

**श्री हुकुम सिंह**—जिलाधीश कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन जो दरख्वास्त देने वाले हैं वह कोशिश कर रहे हैं।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीशों के पास जो दरख्वास्तें आयेंगी उन पर अंतिम निर्णय जिलाधीश करेंगे या सरकार करेगी ?

**श्री हुकुम सिंह**—जिलाधीश महज रिकमेंड करेंगे।

**श्री बलवन्त सिंह**—क्या सरकार जिला फेडरेशन को प्राथमिकता देगी ?

**श्री हुकुम सिंह**—अगर वह सुचारु रूप से काम कर रहे होंगे तो जरूर इस पर विचार किया जायगा।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फैक्टरी से सीमेंट बिक्री के लिये कब तक प्राप्त हो सकेगा, यानी उसका उद्घाटन कब होगा ?

**श्री हुकुम सिंह**—सीमेंट तो उद्घाटन के पहले मिलेगा।

**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि सेलिंग एजेंट का नाम रिकमेंड करने के लिये जिलाधीश १० हजार या ५ हजार रुपया फी व्यक्तियों से मांग रहे हैं नेशनल प्लान लोन में ?

**श्री हुकुम सिंह**—नहीं पता है।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन ने बिक्री की एजेंसी लेने के लिये प्रार्थना की है और उसका एक प्रतिनिधि मंडल भी उन से मिला था ?

**श्री हुकुम सिंह**—मुझे तो नहीं याद पड़ता।

**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २४ जिलों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भाग को सरकार की सीमेंट देने की क्या योजना है ?

**मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)**—सीमेंट देने के लिये फिलहाल २४ जिले चुने गये हैं जोकि उस फैक्टरी के करीब हैं ताकि रेल का भाड़ा ज्यादा न पड़े उसे दूर भेजने में। बाहर से जो सीमेंट आती है वह दूर के जिलों में काम में आये और जो नजदीक के जिले हैं उनमें इस फैक्टरी का सीमेंट भेजा जाय। इसके लिये कि स्टाकिस्ट्स कौन हो, कुछ शर्तें कायम की गयी हैं, जिनमें कुछ जमानत भी दाखिल करना एक शर्त है और उस जमानत की रकम इस वक्त शायद १० हजार रुपया है कि जो स्टाकिस्ट्स होना चाहे उसको देनी होगी। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो दरख्वास्तें हों उन पर और जो दरख्वास्तें आवें उन पर गौर करें और कोआपरेटिव सोसाइटीज अगर चाहती हों तो उनका लिहाज भी किया जाय। अब तक जो दरख्वास्तें मंजूर हुयी हैं वह सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन की हुयी हैं और जो व्यक्तियों की दरख्वास्तें हैं अभी उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा गया है। उन्होंने सिफारिश की है कि किस बिना पर क्या

हो। तो कोआपरेटिव फेडरेशन के बारे में जितनी सिफारिशें थीं वह मान ली गयीं और कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन बनायी गयी और यह खयाल हुआ कि स्टाकिस्ट्स एक से ज्यादा जिलों में बनाने होंगे, क्योंकि हर जिले में सीमेंट जितना भी मिल रहा है उस से अब बहुत ज्यादा इस फैक्टरी से जायगा, इसलिये स्टाकिस्ट्स की तादाद भी बढ़ानी होगी। इस बारे में कोई खास फैसला नहीं हुआ कि जो लोग दूसरों का सीमेंट बेचते हैं वह बनाये जायं या न बनाये जायं, मगर सरकार यह खयाल करती है कि जिन लोगों को दूसरों का सीमेंट बेचना है अगर उनके पास यहां का सीमेंट भेजा जाय तो आपस में कुछ कम्पटीशन होता है, एक ही को दो जगह का दिया जाय तो उसका क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात होती है।

प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के बारे में यह समझा गया कि एक ही को सारी एजेंसी देना ठीक नहीं और कोआपरेटिव फेडरेशन पर भी ज्यादा बोझा हो सकता है, जिसको वह न उठा सकेगा, जिसमें नफा नुक्सान का सवाल भी मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। इसलिये डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन की दरख्वास्तों पर गौर किया जाय और डिस्ट्रिक्टस को दिया जाय जहां कहीं मुनासिब हो।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रांविशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के साथ-साथ केन यूनियन कोआपरेटिव को प्रांविशियल लेबिल पर या डिस्ट्रिक्ट्स में केन यूनियंस को भी सीमेंट की एजेंसी दिये जाने का सरकार विचार कर रही है ?

**श्री हुकुम सिंह**--प्रांविशियल फेडरेशन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी राय जाहिर कर दी, लेकिन जहां तक केन यूनियन्स का सवाल है वह अभी तक हमारे सामने नहीं आया।

**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टाकिस्ट्स के मातहत रिटेलर्स भी रखे जायेंगे और किस शर्त पर ?

**श्री हुकुम सिंह**--रिटेलर्स का सवाल सरकार के सामने नहीं है।

## गन्ने के अतिरिक्त मुनाफे का अंश गन्ना उत्पादकों को देने का सुझाव

*७--**श्री गेंदा सिंह**--क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को इस प्रश्न पर राजी करने का यत्न करेगी कि पिछले दो वर्षों के बेचे हुये गन्ना पर जो अतिरिक्त मुनाफा मिलने वाला है उस का कुछ अंश ईख उत्पादकों को तुरन्त दिलवा दिया जाय ? यदि हां, तो कब और कब तक यह रकम ईख उत्पादकों को मिल सकेगी ?

**श्री हुकुम सिंह**--गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मुनाफा के अंश मिलने के विषय में प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के पास जो सुझाव रखे हैं वे गोपनीय हैं, और उनके विषय में कुछ बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

**श्री गेंदा सिंह**--क्या यह जो सुझाव गोपनीय है वह नैनीताल त्रिदलीय सम्मेलन में हुये फैसले से अन्य हैं ?

**श्री हुकुम सिंह**--यदि नैनीताल में हुये फैसले के मुताबिक सुझाव हैं तो वह हमारे मित्र को खुद ही मालूम हैं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सिफ़ारिशें कब तक गोपनीय रखी जायंगी।

**श्री हुकुम सिंह**--जब तक सेंटर में कतई तौर से तय न हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नैनीताल के त्रिदलीय सम्मेलन में क्या-क्या फ़ैसले हुये थे ?

श्री हुकुम सिंह—एक प्रस्ताव हुआ था जो सर्वसम्मति से पास हुआ था और अगर हमारे मित्र चाहेंगे तो उस प्रस्ताव की नकल मैं उनको दिखा दूंगा इस वक्त तो मेरे पास नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या जिस वक्त में स्ट्राइक होने जा रही थी उस समय यह तय हुआ था कि मुख्य मंत्री जी, यू० पी० सरकार , इस मामले को तय करेंगे और यह बात सेंटर से भी तय हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, सेंटर से कहा तो गया था।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतानें की कृपा करेंगी कि मुख्य मंत्री महोदय ने क्या फैसला दिया है ?

श्री हुकुम सिंह—उस कान्फ्रेन्स में तय हुआ है जिसमें मुख्य मंत्री भी थे और केंद्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर भी थे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अतिरिक्त मुनाफ़े की कुल रक़म कितनी है ?

श्री हुकुम सिंह—यह तो अभी पता नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस अतिरिक्त मुनाफे के प्रश्न पर प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं जानता नहीं कि प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण के माने क्या हैं क्योंकि जो बातें उस कान्फ्रेन्स में हुई थीं उसमें प्रान्तीय सरकार का जो दृष्टिकोण था वह ज़ाहिर किया गया था। बाक़ी फैसला इसका भारत सरकार के हाथ में है, प्रान्तीय सरकार के हाथ में है नहीं और जहां तक मुझे मालूम है अभी केन्द्रीय सरकार ने कोई फ़ैसला किया नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिखा है उसका कोई जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ?

श्री अध्यक्ष—इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो यह जवाब दिया है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीज़न के पहले इस मामले का फैसला न होने से सीज़न में एक बड़ा भारी बवंडर या बखेड़ा उठने वाला है ?

श्री हुकुम सिंह—नहीं।

## तारांकित प्रश्न

---

### अस्थायी अधिकारियों व सहायकों कों स्थायी बनाने का सुझाव

*१--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटेरियट एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कितने Subordinate Service Assistants और कितने Superior Service Assistants कार्य कर रहे हैं और इनकी अस्थायी व स्थायी संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कुल ३६ लोअर डिवीजन असिस्टेंट काम कर रहे हैं। इनमें २ स्थायी हैं बाक़ी उन स्थायी लोअर डिवीजन असिस्टेंटों की जगह अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं जो अपर डिवीजन में या और कहीं स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं।

उसी तरह कुल २८ अपर डिवीजन असिस्टेंटों में ९ स्थायी हैं, १४ स्थायी लोअर डिवीजन असिस्टेंट हैं और ५ अस्थायी हैं।

*२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विभाग में कितने Superintendents, कितने Assistant Secretaries तथा कितने Under Secretaries कार्य कर रहे हैं और इनकी अस्थायी व स्थायी संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--२ सुपरिन्टेन्डेन्ट और १ असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जिनमें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्थायी हैं। दोनों सुपरिंटेंडेंट स्थायी सुपरिन्टेंडों की जगह पर काम कर रहे हैं। अन्डर सेक्रेटरी इस विभाग में कोई नहीं है।

*३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन Stenographers की संख्या क्या है जो माननीय मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी अस्थायी और स्थायी संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ऐसे १२ स्टोनोग्राफर हैं जिनमें ६ स्थायी पर्सनल असिस्टेंट हैं और बाक़ी स्थायी स्टेनोग्राफर हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सुपीरियर और दूसरे असिस्टेंट्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दस-दस, बारह-बारह साल से टेम्पोरेरी तौर पर काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सुपीरियर असिस्टेंट्स से मतलब शायद अपर डिवीजन असिस्टेंट्स से है। वह तो आमतौर से परमानेंट सर्विसेज के लोग हैं जो कि लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स थे और वे अपर डिवीजन असिस्टेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। जो लोअर डिवीजन के असिस्टेंट्स हैं वह पक्के अभी नहीं हुए।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में जो असिस्टेंट्स की संख्या है, तो सरकार इनको जल्द ही परमानेंट करने की बात पर कोई अपनी नीति के ऊपर प्रकाश डालेगी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इनमें से कई फूड ऐण्ड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में और कई रिफ्यूजी ऐंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यह दोनों डिपार्टमेंट टेम्पोरेरी हैं। इसलिये इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे ही उन डिपार्टमेंट के बारे में फैसला हो जायगा, फूड ऐंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट मुमकिन है कि जल्द ही वाइंड अप हो जाय और ऐसे ही रिफ्यूजी डिपार्टमेंट भी शायद बहुत दिन तक न रहे। जब तक वह वहां हैं उनके परमानेंट करने का सवाल नहीं आ सकता।

श्री गेंदा सिंह—क्या कुछ स्टेनोग्राफर्स की मांग भारत सरकार से हुई थी और हुई थी तो कुछ लोग भेजे गये?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह सवाल यहां था नहीं और रोजाना कई ऐसे मामले देखने पड़ते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता। मगर मैं समझता हूं कि शायद हुई थी और शायद कुछ भेजे भी गये थे। लेकिन मैं यकीनन इस बात को नहीं कहता। गेंदा सिंह जी चाहेंगे तो मैं फिर बतला दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या इन स्टेनोग्राफर्स में से प्रत्येक को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों शार्टहैन्ड जानना जरूरी है या दोनों भाषा के स्टेनोग्राफर्स अलग-अलग रखे जाते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अच्छा हो दोनों जानें। कुछ तो दोनों जानते हैं। और बाज ऐसे हैं जो कि दोनों पूरी तरह नहीं जानते।

*४-५-श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[हटा दिये गये।)

## नैनीताल तहसील में आलू का उत्पादन तथा काश्तकारों को आर्थिक सहायता एवं रामगढ़ फल फैक्टरी का निर्माण

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस वर्ष नैनीताल तहसील में आलू के बीज की कमी होने पर काश्तकारों को क्या-क्या सहायता दी गयी?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने ५०,००० रुपये के रोग मुक्त आलू के बीज नैनीताल तहसील में वितरण करने का निश्चय किया पर इस कुल धनराशि का बीज प्राप्त न होने के कारण २५०० रु० का १४३ मन ३५ सेर बीज वितरण हो सका।

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास नैनीताल के आलू उत्पादकों की मांग आई है कि आलू के बीज की वापसी नकद धन के रूप में नहीं, बल्कि सवाया वसूली के रूप में ली जाय? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं।

*८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि रामगढ़, जिला नैनीताल की फल फ़ैक्टरी के निर्माण की पूरी लागत क्या है?

श्री हुकुम सिंह—पूरी लागत २ १।४ लाख रुपया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिसके कारण इस धनराशि का बीज प्राप्त न हो सका ?

श्री हुकुम सिंह--एक मुकाम गरुण है। वहां एक शाकाहारी समिति है, उसके जरिये से उन्होंने ५०० मन लेने का वादा किया लेकिन १ छंटाक भी आलू वह दे न सके। तो हल्द्वानी शाकाहारी समिति के जरिये कोशिश की गई। यही कारण है न मिलने का।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि आज्ञाओं के विपरीत भी इस धनराशि को डायरेक्टर आफ फ्रूट यूनिलाइजेशन के सुपुर्द कर दिया गया जिससे पठानकोट से बीज मंगाया जा सके ?

श्री हुकुम सिंह--यह सही नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में आलू के वीज की कमी को दूर करने के लिये कोई उपाय सोच रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--अभी मुझसे और मेरे मित्र में बातचीत हो चुकी है कि वह मुझे खत लिखेंगे और मैं उसपर उद्योग करूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री रामगढ़ की फलों की फैक्टरी को वहां के फल उत्पादकों की सहयोग समिति को दे देने के सम्बन्ध में कोई विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--सरकार खुद इन्तजाम बढ़िया कर सकती है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिसने सरकार को वादा कर के धोका दिया उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुम सिंह--विजनेस में धोखा नहीं होता, वह भी इन्तजाम नहीं कर सके होंगे।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि बीज के लिये धोखा देने वाले साहब से किस वक्त बात हुयी थी और कब उन्होंने इंकार किया ?

श्री हुकुम सिंह--देने के वक्त उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रामगढ़ की जो फैक्टरी सरकार ने स्थापित की है उसमें काम कब से शुरू होगा ?

श्री हुकुम सिंह--कुछ काम तो हो ही रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसमें क्या काम हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो फैक्टरी का काम चालू है वह किस एक्सपर्ट के तहत में है ?

श्री हुकुम सिंह--वह है एक विदेशी आदमी उनका नाम याद नहीं है।

*९-१०—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—[३० सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२—श्री जोरावर वर्मा— [स्थगित किया गया।]

## सरकारी कर्मचारियों की वर्दी पर व्यय तथा उसको खद्दर की वर्दी में परिणत करने का विचार

*१३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जाड़े तथा गर्मी की वर्दी के लिये अलग-अलग प्रति व्यक्ति कितना रुपया सर्फ होता है ?

श्री हुकुम सिंह—विभागों के अध्यक्ष इत्यादि के कार्यालयों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में गर्मी की वर्दी की दर ३८ रु० प्रति व्यक्ति है। जाड़े की वर्दी की दर पिछले वर्ष ३५ रु० प्रति व्यक्ति थी। इस साल के लिये जाड़े की वर्दी की दर निर्धारित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। सचिवालय, लेजिस्लेटिव कौंसिल तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली के कार्यलयों में १९५३-५४ में गर्मी तथा जाड़े की वर्दी की निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई हैं :—

| चपरासियों की श्रेणी | गर्मी की वर्दी की दर | | | जाड़े की वर्दी की दर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु० | आ० | पाई | रु० | आ० | पाई |
| जमादार .. .. | ४७ | ३ | ३ | १०० | ७ | ६ |
| अर्दली चपरासी .. .. | ४७ | ३ | ३ | ५८ | ८ | ६ |
| कार्यालय के चपरासी .. .. | ४७ | ३ | ३ | ४९ | ८ | ९ |
| दफ्तरी .. .. | ४७ | ३ | ३ | २७ | ८ | |
| फर्राश .. .. | ४७ | ३ | ३ | ३३ | ९ | ९ |
| मेहतर, भिश्ती, चौकीदार, वाटरमैन, ठेलामैन, हेडमाली, और बढ़ई .. | ३६ | १ | २ | ३३ | ९ | ३ |
| कौंसिल हाउस गार्ड .. .. | ३८ | ० | २ | ४७ | ५ | ३ |

१४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उन वर्दियों को जो कर्मचारियों तथा चपरासियों को सरकारी खर्च पर दी जाती हैं खद्दर के वस्त्र से बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हुकम सिंह—जी हां, सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्दी की मद पर कुल कितना रुपया सरकार का खर्च होता है ?

श्री हुकुम सिंह—वह आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के सभी विभागों को कर्मचारियों को जो एक ही डिजगनेशन पर काम करते हैं कोई वर्दी मिलती है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—हैड्स आफ डिपार्टमेंट को एक किस्म की और यहां कौंसिल और सेक्रेटेरियट में दूसरे किस्म की होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिले की कचहरियों में जो काम करने वाले चपरासी, अर्दली वगैरह हैं उनको वर्दी नहीं दी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह—इसका मुझे पता नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ कर्मचारियों की वर्दी में कपड़ा ज्यादा लगता है और कुछ में कम लगता है ?

श्री हुकम सिंह—इसमें जो दुबले हैं और मोटे हैं उनका फर्क होता होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्दियों को खद्दर की करने का जो विचार है वह कब तक कार्यान्वित हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—जैसे ही आखिरी फैसला हो जायगा वैसे ही उसको कार्यान्वित कर सकेंगे।

## मिर्जापुर जिले के दुद्धी तथा सोन वन विभाग द्वारा सड़कों पर यातायात

*१५—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह सही है कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी तथा सोन वन विभाग द्वारा जंगल की सड़कों पर जाने आने के लिये मोटर ट्रकों पर ट्रांसपोर्ट विभाग के अलावा अलग से टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब से ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी नहीं। दूसरे भाग में किया हुआ प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुछ रुपया वसूल हुआ था और अगर हुआ, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। इसका मतलब यह है कि कोई रुपया नहीं लिया गया है और अगर लिया गया है तो वह वापस हो जायगा।

## सरकारी कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग

*१६—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया २५ सितम्बर, सन् ५२ के प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर तथा उस पर पूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में यह बतायेगी कि मुख्य मंत्री के निश्चय के अनुसार किन-किन जिलों तथा कमिश्नरियों के विभागों में अथवा अन्य विभागों में हिन्दी में ही काम होने लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से सब काम हिन्दी में होने लगेगा ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सभी विभागों में जितना मुमकिन है काम हिन्दी में किये जाने की कोशिश हो रही है। कुछ काम हिन्दी में हो रहा है। कुल काम हिन्दी में करने में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे उपयुक्त हिन्दी टाइपराइटरों का अभाव, स्टैंडर्ड की-बोर्ड का न होना, कानूनी (Legal) और पारिभाषिक (Technical) शब्दों का सही हिन्दी उल्थों का अभाव इत्यादि। इसके अलावा कुछ विषयों के बारे में विधान के अनुसार अंग्रेजी में ही काम करना पड़ता है। इस बात का भी थोड़ा इन्तजार था कि नागरी लिपि में जो नये सुधार हुए हैं उनको पक्की तौर से अपना लिया जाय। इस बारे में अभी हाल ही में सरकारी घोषणा हुई है।

*१७--श्री जगन्नाथ सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त पूरक प्रश्नोत्तर में उल्लिखित मुख्य मंत्री के निश्चय के अनुसार अवधि के अन्दर हिन्दी न सीख सकने वाले कितने सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के लिये अयोग्य समझे गये ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---अधिकतर सभी सरकारी कर्मचारियों ने तो हिन्दी सीख ली है। परन्तु कुछ अब भी पूरी तरक्की इस बारे में न कर पाये हों यह संभव है। उनकी सही संख्या तो इस समय मालूम नहीं है :

*१८--श्री जगन्नाथ सिंह---क्या सरकार एक वर्ष की अवधि के अन्दर हिन्दी सीख लेने से संबंधित सरकारी आदेश की प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---संबंधित आदेश की प्रति मेज पर है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४५७-४६५ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमेंटल कर्मचारियों के लिये जो हिन्दी की डिपार्टमेंटल परीक्षा थी उन्होंने उसको पास कर लिया है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई मगर देखने की यह बात थी कि वे हिन्दी में काम कर सकते हैं या नहीं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो काम केवल हाथ से होता है वह सभी विभागों में हिन्दी में होता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---सभी विभागों के लिये नहीं कहा जा सकता कि सभी काम हिन्दी में होने लगा है मगर बहुत सा काम हिन्दी में होने लगा है।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने विभागीय पत्र बाहर जाते हैं वे सब अंग्रेजी में होते हैं ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जो पत्र हिन्दी में आते हैं उनका जवाब हिन्दी में जाता है। मगर सेक्रेटेरियट के कुछ विभागों में हिन्दी में ही काम होता है और कुछ में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या मोहतरिम चीफ मिनिस्टर साहब यह मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि जिन आफिसेज में काम हिन्दी में होता है उन को यह हिदायत जारी फरमा दी है कि वे फसीह और आसान हिन्दी जबान में खतोकिताबत किया करें ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---फसीह तो वे समझते नहीं हैं, हां आसान हिन्दी के लिये हिदायत है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कर्मचारियों के साथ क्या कार्यवाही होगी जो प्रयत्न करने पर हिन्दी नहीं सीख पाये हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---मेरा ख्याल है कि न सीखने में १०० में १ से ज्यादा न होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह जानकारी है कि जिलों के न्यायालयों में हिन्दी में काम करने के आदेश का पालन नहीं होता है और फैसले अंग्रेजी में ही होते हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---फैसले तो आम तौर पर अंग्रेजी में ही होते हैं। इसके बारे में कांस्टीट्यूशन भी अदालतों के फैसलों के एकाएक बदलाव को नहीं बताता मगर २९ जजों की जो इस संबंध में रिपोर्ट आई हैं उनसे मालूम होता है कि सब काम हिन्दी में ही होता है सिवाय फैसलों के।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऐसे एक फीसदी कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यह एक प्रतिशत तो मैंने कयास से कहा था लेकिन इसका ठीक अन्दाजा नहीं है। जो रिपोर्टें आयी हैं, उनमें तो यही लिखा है कि सभी लोग हिन्दी सीख गये हैं मगर कुछ रिपोर्टें नहीं आयी हैं इसलिये मैंने कहा कि एक फीसदी लोग ऐसे हो सकते हैं। अगर वे अपना काम हिन्दी में न कर सकें तो सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गत चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में निर्धारित हिन्दी लिपि के प्रयोग के लिये सरकारी प्रकाशन और उससे संबंधित टाइपराइटर्स बनवाने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---सरकार की ओर से यह हिदायत जारी कर दी गयी है कि सरकारी कारबार में इसी लिपि का प्रयोग किया जाय। टाइपराइटरों को भी इसी लिपि में बनवाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि शिक्षा संस्थाओं में भी यही लिपि काम में आये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां, कुछ किताबें हिन्दी में इसी लिपि में लिखी भी गयी हैं

## गन्ना मिलों पर किसानों का शेष धन तथा उसकी वसूली

*१९---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों पर किसानों के गन्ने की कुल कितनी कीमत और अलग-अलग मिल पर क्या क्या गत ५२-५३ व ५३-५४ सीजन की अभी तक शेष है और क्यों ?

श्री हुकुम सिंह---उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर १५ अगस्त, १९५४ को १९५२-५३ तथा १९५३-५४ की सीजनों के गन्ने के मूल्य का लगभग ८.१४२ लाख तथा ७.२८२ लाख रुपया क्रमशः बाकी था। अलग-अलग मिलों पर जो रुपया बाकी था, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। उक्त बकाया रहने के दो कारण हैं। कहीं-कहीं तो मिलें अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर सकी हैं और कहीं कहीं किसान स्वयं गन्ने का मूल्य लेने नहीं पहुंचते हैं।

( देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४६६ पर। )

*२०---श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार उसकी बाकी के लिये क्या प्रयत्न कर रही है तथा केन कमिश्नर अभी तक बकाया की वसूलयाबी के लिये किन किन-मिलों के खिलाफ सर्टिफिकेट चुके हैं ?

श्री हुकुम सिंह--चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य के भुगतान करने की प्रगति पर सरकार बराबर ध्यान देती रही है और इस विषय पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों को उचित आदेश भी दिये जा चुके हैं। जहां तक १९५३-५४ सीजन के बकाये की वसूली का प्रश्न है केन कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार निम्नलिखित चीनी मिलों से बकाया की वसूली के लिये संबंधित जिलों के कलेक्टरों के पास प्रमाण-पत्र भेजे हैं; मलियाना (मेरठ), सिम्भावली, शामली, लक्सर, देवबन्द, डोई वाला, खतौली, बरेली, धामपुर, मुंडेरवा, नवाबगंज, पडरौना, कठकुइयां, सिसवा बाजार, पिपराइच (डायमंड), रामकोला (पंजाबी), खड्डा, मोहिउद्दीनपुर व जरवल।

१९५२-५३ सीजन के बकाया की वसूली के लिये जिन सहकारी गन्ना समितियों ने दावे दायर किये थे उन पर भी केन कमिश्नर ने नियमानुसार कार्यवाही की है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किसानों के बार-बार शिकायत करने पर भी उनके गन्ने की कीमत पिछले दो सीजन की अभी तक भी नहीं दी गयी है?

श्री हुकुम सिंह--मैंने जवाब में कहा है कि हर तरह से उद्योग किया जा रहा है वसूलयाबी का।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गन्ना पूर्ति तथा खरीद अधिनियम, १९५३ के अनुसार सर्टिफिकेट जिलाधीशों ने दिया है उसमें विद इंटरेस्ट किसानों के गन्ने की कीमत दिलायी जा रही है?

श्री हुकुम सिंह--संभवतः ऐसा ही होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो मिल-मालिक नादेहन्द हैं दूसरे मिलों में गन्ना भेजने की इजाजत किसानों को देगी?

श्री हुकुम सिंह--ऐसा अभी हमने विचार नहीं किया है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मुंडेरवा और वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री में कितना रुपया बकाया है?

श्री हुकुम सिंह--वह तालिका में दिया है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिलाधीशों के पास प्रमाण-पत्र कब भेजा गया है?

श्री हुकुम सिंह--तारीख मुझे इस वक्त नहीं मालूम।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन-कौन सी गन्ने की मिलें हैं जहां किसान स्वयं बकाया लेना नहीं चाहते?

श्री हुकुम सिंह--कुछ किसान मुझे बहराइच में मिले थे। मैंने उनसे पूछा था कि गन्ने की कीमत ले आये। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि खलीलाबाद गये नहीं और अभी वहां पहुंच नहीं सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो किसान अपना रुपया लेने नहीं पहुंचते हैं और जिनको मिल रुपया देना चाहती है उनका रुपया आइन्दा मनी आर्डर से भेज दिया जाया करेगा?

श्री हुकुम सिंह--मेरा ख्याल है कि किसान अब जाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों का जो रुपया मिलों पर बकाया है उस पर कितने प्रतिशत सूद उनको दिलाया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह---साढे ७ फीसदी का ऐक्ट में प्राविजन है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सन् ५२-५३ तक के गन्ने की कीमत अभी तक मिल मालिकों के पास बाकी है, क्या सरकार उस रुपये पर भी किसानों को सूद दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---यह कानून का मसला है । मेरे ख्याल में वह पाने के मुस्तहक हैं ।

## नैनीताल की पन्नी जी शगर मिल पर सरकारी फार्म के गन्ने की शेष कीमत और उसकी वसूली

*२१---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि पन्नी जी शुगर मिल नैनीताल पर सरकारी फार्म के गन्ने की कितनी कीमत शेष है और उसकी वसूलयाबी किस प्रकार की जाती है ?

श्री हुकुम सिंह---पन्नी जी शुगर मिल पर सरकारी फार्म के गन्ने के मूल्य का ६,२४,०५६ रु० १ आ० शेष है । इसकी वसूलयाबी चार अर्द्ध वार्षिक किस्तों में की जा रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो ६ लाख २४ हजार ५६ रुपया बाकी है वह गत सीजन का है या पिछले सीजन का ?

श्री हुकुम सिंह---वह दो सीजन का है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी कष्ट करके बतलायेंगे कि सरकारी फार्म के गन्ने की कीमत के अतिरिक्त किसानों के गन्ने की कीमत बाकी है और वह एक सीजन की है या दो सीजनों की ?

श्री हुकुम सिंह---केन ग्रोअर्स की रकम तो सब अदा हो गई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस मिल पर जो बकाया है उसमें सरकार ने कोई छूट दी है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह---इसलिये दी है कि वहां की रिकवरी बहुत कम हुई है और वहां का गन्ना अच्छी किस्म का नहीं होता है, एक फैक्ट्री का मालिक बेच कर चला गया और दूसरा आया उन की भी यही शिकायत है । इसलिये उनकी मांग उचित प्रतीत हुई और उनको कम्पेन्सेट करने के लिये छूट दी गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस शुगर मिल को सरकार ने अपने गन्ने की कीमत में से कितनी छूट दी है ।

श्री हुकुम सिंह---एक लाख ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार इस मिल को चलवाने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह---इसी उद्देश्य से तो यह सब बातें कर रहे हैं ।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले मिल का मैनेजमेंट था उनके जमाने में जो अपने फार्म में रिकवरी होती थी उसमें और अब वाले मैनेजमेंट की रिकवरी में कितना अन्तर है ?

**श्री हुकुम सिंह**--कोई विशेष अंतर नहीं है ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस बात की जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे कि सरकारी फार्म में गन्ना बहुत खराब क्वालिटी का होता है ?

**श्री अध्यक्ष**--आप कृषि मंत्री जी से पूछ रहे हैं और यह मूल प्रश्न उद्योग मंत्री जी से संबंधित है ।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--क्या यह बात सही है कि २ साल से यह मिल नहीं चली है ?

**श्री हुकुम सिंह**--पारसाल सीजन में नहीं चली थी ।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म के गन्ने की रिकवरी और उसी एरिया में किसानों द्वारा पैदा किये हुये गन्ने की रिकवरी में कितना अन्तर है ?

**श्री गोविन्दवल्लभ पन्त**--सरकारी फार्म के गन्ने में जो सुक्रोज कंटेन्ट्स होते हैं और जो रिकवरी उसकी होती है वह किसानों द्वारा पैदा किये हुये गन्ने से कम नहीं है और अगर है तो किसी कदर बेहतर ही है। मगर पन्नी जी फैक्ट्री में इस बात की कोशिश की गई कि किसानों का रुपया कम न हो, सरकारी रुपया चाहे कम हो जाय तो हो जाय और ऐनेलिरट के जरिये ऐनेलिसिस कराई गई और यह मालूम हुआ कि उनकी रिकवरी कम थी और उनको नुकसान हुआ और यह इससे साफ है कि उन्होंने पारसाल सीजन में फैक्टरी चलाई नहीं और अब उसको उठाकर वहां से ले गये ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस वर्ष इस क्षेत्र के किसानों ने जो अपना गन्ना बहेड़ी अथवा दूसरी फैक्टरियों में दिया है और वहां उनकी रिकवरी अच्छी साबित हुई ?

**श्री हुकुम सिंह**--नहीं, यह जानकारी मुझे नहीं है ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को यह जानकारी है कि जब इसी सरकारी फार्म का गन्ना नेवली शुगर मिल्स में भेजा गया तो वहां भी रिकवरी उतनी ही निकली जितनी कि और जगहों पर होती है ?

**श्री हुकुम सिंह**--दूसरी जगहों और यहां पर पन्नी जी के सरकारी फार्म का जो गन्ना गया था उसकी रिकवरी में ज्यादा फर्क नहीं था ।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब पन्नीजी मिल्स के लोग मशीनें उठाकर ले गये तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई नई मशीनें उसमें लगाई जायेंगी जिससे गन्ना पेरा जाय ?

**श्री गोविन्दवल्लभ पन्त**--इस बात की कोशिश हो रही है कि अगर कोई आदमी रजामन्द हो सके या कोई कम्पनी राजी हो जाय और वहां पर लगाये मगर यह भी इस बात पर मुनहसिर करता है कि वहां पर इंतिजाम इस तरह से किया जाय, जिससे वहां पर हिम्मत पड़े और लोग वहां आकर काम शुरू करें । जब दो आदमी वहां फेल हो गये तो इस तरह से कोशिश होनी चाहिये कि दूसरों की हिम्मत बंधे और वह वहां पर मिल लगा सकें ।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी फार्म में गन्ना पैदा होता है उसका शुक्रोज परसेंट क्या था ।

**श्री हुकुम सिंह**——इस वक्त मेरे पास उसके आंकड़े नहीं है ।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म में जो गन्ना पैदा किया जाता है उसकी रिकवरी कम किन कारणों से होती है, वह वहां की जलवायु के कारण है, या पैदा करने के ढंग की वजह से है ?

**श्री गोविन्दवल्लभ पंत**——जैसा मैंने कहा कि यह बात सही नहीं है कि जो कुर्ब जवार में गन्ना पैदा होता है उसके मुकाबिले में सरकारी गन्ने की जो रिकवरी होती है वह कम होती है। यह बात नहीं है और जो पड़ोसी गांव हैं या और जगह जो गन्ना पैदा होता है उससे किसी कदर सरकारी फार्म का जो गन्ना है वह बेहतर है तथा उसकी रिकवरी भी ज्यादा है, कम नहीं हुई। जो पूरी रिकवरी नहीं होने पाई है उसकी दो वजूहात थीं। एक तो पन्नी जो फैक्ट्री माडर्न फैक्ट्री नहीं थी पुरानी फैक्ट्री थी और वह मेरी समझ में पूरी तरह से मैक्सिमम जितना निकाल सकती थी नहीं निकाल पाती थी और दूसरे यह भी था कि वहां जहां गन्ना पैदा होता है वह तराई की जमीन है और वहां की जमीन मौइस्ट थी और वह कुछ दिनों में सुधरकर अच्छा गन्ना देगी और वह सुधरती जा रही है ।

**श्री राजनारायण**——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिकवरी की जांच के लिये क्या मशीनरी है ?

**श्री गोविन्दवल्लभ पन्त**——इस खास पन्नी जी के मामले में तो ऐनेलिस्ट को मुकर्रर किया गया था जो कि मौके पर जाकर उसकी ऐनेलिसिस करे और देखे कि असली रिकवरी क्या है ? आम तौर पर तो जो मिल के लोग हैं वह अपना रिटर्न देते हैं, उससे कोई खास असर भी नहीं होता है और वह इससे भी पता लग सकता है कि कुल शक्कर कितनी बनी और कुल गन्ना कितना गया, उससे भी रिकवरी की जांच आसानी से हो सकती है ।

**श्री राजनारायण**——क्या सरकार को पता है कि बिहार में कोआपरेटिव बेसिस पर एक मिल चल रही है ? जब मिल मालिक उसको चलाते थे उस समय और अब जब कि कोआपरेटिव चला रही है, सैकड़ा पीछे १० मन की रिकवरी बढ़ गई है ? तो क्या सरकार उसके आधार पर अपने प्रांत में जो मिलें चल रही हैं उनके लिये भी कोई रिकवरी के लिये मशीनरी बैठायेगी ?

**श्री अध्यक्ष**——माननीय मुख्य मंत्री अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

**श्री गोविन्दवल्लभ पन्त**——रिकवरी की मशीनरी तो कोई वैसी होती नहीं। वह तो जो अनुपात गन्ने का और शक्कर का होता है उससे रिकवरी का हिसाब लगाया जाता है और जहां तक कोआपरेटिव मिल बिहार की बात है जब राजनारायण जी कहते हैं तो ऐसा हुआ होगा, मगर रिकवरी हमेशा हर साल एक सी नहीं हुआ करती, किसी साल में ज्यादा भी होता है और किसी साल में कम भी हुआ करती है। एक ही के हाथ में रहे तब भी बदलाव होती है। सिर्फ उसके इन्तजाम के बदलने से ही नतीजा मुख्तलिफ हुआ हो यह नहीं होता। हमारे स्टेट में कभी एक परसेंट रिकवरी ज्यादा होती है, कभी एक परसेंट कम होती है। कभी कभी दस परसेंट ज्यादा होती है कभी १५ परसेंट ज्यादा होती है। तो वह तो कई बातों पर निर्भर होती है ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**——मन्त्री जी शुगर मिल के इस इलाके से चले जाने के बाद इस इलाके के गन्ना उत्पादकों के गन्ने का क्या बन्दोबस्त सरकार ने किया है ।

**श्री हुकुम सिंह**——करीब के मिलों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

## बरेली जेल काण्ड तथा बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने एक कामरोको प्रस्ताव बरेली जेल के संबंध में भेजा है। मैं उसको अबैध करार देता हूं क्योंकि वह कोई स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनिट नहीं है। मैं उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझता हूं।

दूसरा एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है।

"उत्तर प्रदेश के सभी बैंक कर्मचारियों द्वारा आज तारीख २३ सितम्बर, १९५४ को प्रांत व्यापी हड़ताल कर देने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय महत्व का है और डेफिनिट भी है, निश्चित भी है। अब मेरे सामने इतना ही प्रश्न है कि इससे इस प्रदेश की सरकार से कोई संबंध है या केन्द्रीय सरकार से ही केवल इसका संबंध है। यह प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं अभी निर्णय देना नही चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा माननीय रामनारायण त्रिपाठी से कि इससे प्रान्तीय सरकार से क्या संबंध है? क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है बैंकिंग का विषय केन्द्रीय विषय है और मैंने अभी वह सूची नहीं देखी जिसमें कि बैंकिंग दोनों ही सरकारों का विषय हो। तो इस पर वह प्रकाश डालेंगे अगर उन्होंने संविधान को देखा हो और उसकी लिस्ट देखी हो तो वह बतायें कि किस फेहरिस्त में आता है और यह प्रादेशिक सरकार से कैसे संबंधित है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी–(जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया की थर्ड लिस्ट जो कांकरेंट लिस्ट है उसके शिड्यूल ७ के आइटम २१, २२ को पढ़ देना चाहता हूं और वह इस प्रकार है कि:—

21. Commercial ond Industrial monopolies, combines and trusts.
22. Trade Unions, Industrial and Labour disputes.

[२१—वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुह और न्यास।
२२—व्यापार-संघ, औद्योगिक और श्रमिक विवाद।]

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बैंक का जो विषय है वह ट्रेड यूनियन और इडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट से संबंध रखता है और राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों से संबंध रखता है और हमारी प्रादेशिक सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल प्रांत के ला एन्ड आर्डर से भी संबंध रखती है और इस बात की संभावना है कि और भी इंडस्ट्रीज के लोग यानी चीनी मिल और काटन मिल के लोग बैंक कर्मचारियों की सहानुभूति में हड़ताल कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमें आश्चर्य है कि हमारे मुख्य मंत्री जी, इस विषय के कांकरेट लिस्ट में होते हुये भी.....।

श्री अध्यक्ष—अब तो आप मेरिट्स पर जा रहे हैं। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि इसका कहां तक प्रांतीय सरकार से संबंध है और वह आपने बतला दिया है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, लेबर डिस्प्यूट्स (श्रम संबंधी झगड़े) जरूर कांकरेंट लिस्ट में हैं लेकिन तीन वर्ष से केन्द्रीय सरकार ने बैंक के डिस्प्यूट्स को अपने हाथ में ले लिया है और यह जो कुछ हो रहा है वह भी केन्द्रीय सरकार के फैसले के विरुद्ध हो रहा है और यह बैंक कर्मचारियों की हड़ताल केवल एक दिन के लिये है और यह केवल हमारे यू० पी० में ही नहीं बल्कि सारे देश में यह हड़ताल कर रहे हैं और जहां तक मैं जानता हूं वह और दिन हड़ताल नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह हड़ताल केवल एक ही दिन के लिये है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री अध्यक्ष—जो अभी प्रस्ताव के विषय पर प्रकाश डाला गया है, उससे कानून के संबंध में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल सकती थी, लेकिन यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि एक ही रोज की हड़ताल है और चार बजे शायद वह खत्म भी हो जाय और चार बजे आप वाद विवाद करना चाहते हैं तो यह एक अजीब सी बात होगी यदि कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति सदन से मिल जाय। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है गृह मंत्री जी के वक्तव्य से कि केन्द्रीय सरकार ने पूरा काम अपने हाथ में ले लिया है और दो-तीन वर्षों से यह मसला चल रहा है और प्रादेशिक सरकार से इसका कोई संबंध अब नहीं रहा है। इस कारण केन्द्रीय सरकार के फैसले से जो परिस्थिति उत्पन्न हो उस पर यहां वाद विवाद नहीं हो सकता है चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों न संभव हो। यह सही है कि 'ला ऐन्ड आर्डर' का सवाल इस सरकार से संबंध रखता है लेकिन केन्द्रीय सरकार के किसी काम की वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो इस सदन में उस कार्य के संबंध में आलोचना या चरचा नहीं हो सकती है क्योंकि उस विषय पर विवाद तथा विचार करने की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। दिल्ली में लोक सभा मौजूद है, वह उसके ऊपर अधिक उचित तरीके से विचार कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—आप बीच में न बोलें, इस समय मैं खड़ा हूं। मेरे बैठने के बाद आप बात करें। उक्त कारणों से मैं यह निर्णय देता हूं कि यह भी कामरोको प्रस्ताव अवैध है और इस सदन में लिया नहीं जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने आगे के लिये कहा इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। यह सैंट्रल सब्जैक्ट है, ऐसा आपने कहा मगर इसको लेकर प्रान्त में विषम परिस्थिति पैदा होती है जैसे कि हड़ताल हो रही है और उनकी मीटिंग में बैन लगा दी जाय, उनको लाउड स्पीकर न दिया जाय और जब उनका जुलूस निकलने लगे तो उसको भंग करने की कोशिश की जाय। यह सब प्रांतीय सरकार से संबंधित है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आगे के लिये जरूर ऐसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके हिसाब से फैसला दूंगा। यह विषय इस वक्त हमारे सामने है कि यदि कोई बात सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो उसके परिणामों का अन्दाजा लगाकर क्या इस सदन में विवाद हो सकता है। मेरी राय में नहीं हो सकता है।

## दर्शकदीर्घा प्रदर्शन जांच समिति को साक्षी बुलाने का अधिकार देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं यह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये कि २३ अगस्त के प्रदर्शन के सिलसिले में जो जांच समिति नियुक्त हुई थी उसकी ओर से यह प्रस्ताव है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि २३ अगस्त, १९५४ के प्रदर्शन के सम्बन्ध में जो जांच समिति नियुक्त की गयी है उसको यह सदन साक्षी बुलाने का अधिकार देता है।

अध्यक्ष महोदय, जांच के सिलसिले में यह कठिनाई है कि कोई नियम ऐसा नहीं है कि वह कोई साक्षी आदि बुला सके। इसलिये मैं यह निर्विवाद प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इसको सदन स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं किइसमें किसी को एतराज नहीं होगा। समिति को कठिनाई पड़ रही है, वह साक्षी नहीं बुला सकती जब तक कि सदन उनको अधिकार न दे दे। चूंकि सदन ने एक समिति बनायी, तो उसको यह आवश्यक अधिकार देने के बारे में यह संकल्प है। मैं समझता हूं सब की यह राय है कि यह अधिकार दिया जाय (कुछ ठहर कर) यह संकल्प स्वीकृत हुआ।

## श्री राजनारायण द्वारा लगाये गय आरोपों का श्री लक्ष्मीरमण आचार्य द्वारा स्पष्टीकरण तथा २० सितम्बर, १९५४, को श्री अवधेशप्रताप सिंह द्वारा कहे गये कुछ शब्दों को कार्यवाही से निकालने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---मैं श्रीमन् की आज्ञा से इसलिये उपस्थित हुआ हूं कि मेरी अनुपस्थिति में, जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ, माननीय राजनारायण जी ने मेरे एक भाषण के संबंध में....

श्री अध्यक्ष---आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये खड़े हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन् हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जबकि आपने यह कहा कि कमलापति जी के भाषण को श्री लक्ष्मीरमण आचार्य का भाषण कहते हैं ! तो मैंने कहा कि मानता हूं। अब यदि श्री लक्ष्मीरमण आचार्य को आप बोलने का मौका देते हैं तो फिर मुझे भी एक्सप्लेनेशन का मौका दें, क्योंकि मेरे पास और भी जानकारी आ गयी है।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने को खड़े हुये हैं प्वाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब आपने कहा था कि आप मानते हैं कमलापति जी की बात या नहीं, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो रिपोर्ट है वह मैं भेज दूंगा और मैंने यह भी कहा था कि मैं कमलापति जी की बात को आचार्य की ही बात मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर है, लेकिन इस समय यहां उसपर बहस नहीं हो सकती। सवाल इस बात का है कि आया श्री लक्ष्मीरमण आचार्य इस समय पर्सनल एक्सप्लेनेशन द सकते हैं या नहीं दे सकते हैं,यही प्रश्न उठ सकता है। उस संबंध में मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से उस दिन अगर यह बात कही गयी होती कि मुझे खेद है कि मैंने ऐसी बात श्री आचार्य के भाषण के संबंध में कही जो कि आपका फर्ज था तो बात वहीं समाप्त हो जाती। माननीय नेता विरोधी दल से तो मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं कि वह सदन की प्रथा के अनुसार चलेंगे। मैंने सदन की प्रथा भी बतायी थी कि यहां प्रतिवाद अगर हो जाय तो माननीय सदस्य को, जिन्होंने सदन के किसी मादनीय सदस्य के विरुद्ध कहा हो, खेद प्रकट करना चाहिये और यह भी कहना चाहिये कि मैं स्वीकार करता हूं जो वक्तव्य प्रतिवाद किसी सदस्य ने कहाँ हो। यदि ऐसी बात उस दिन हो गई होती तो मैं समझता हूं कि यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत श्री आचार्य जी को न होती। लेकिन इस प्रथा के विपरीत आपने कहा कि मैं जो माननीय कमलापति जी ने वक्तव्य दिया और प्रतिवाद किया वह भेज दूंगा किसी व्यक्ति के पास जिससे यह ध्वनित हुआ कि आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं। यह सदन की प्रथा के बिलकुल विपरीत बात थी। आपने श्री कमला पति जी के वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया। मैंने दो तीन दफा इशारा भी किया था, लेकिन आपने खेद भी प्रकट नहीं किया। ऐसी अवस्था में एक मौका मैं अवश्य श्री लक्ष्मीरमण आचार्य को वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिये दूंगा। आज जब प्रत्यक्ष वह मौजूद हैं तो स्वयं जो

बात हुई हो कहें। उसको सुनने के बाद मैं आशा करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल यहां की प्रतिष्ठा और रिवाज को कायम रखेंगे और सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा को कायम रखेंगे नहीं तो यह एकतरफा बात होकर नहीं रह सकती। संभव है कि यही परिस्थिति दूसरों के ऊपर पड़े, उनपर कोई चार्जेज सदन में लगाये जायं, तो मैं इसी तरह से दूसरों को भी इस प्रथा को चलाने के लिये कहूंगा और स्वयं भी इसका पालन कराने में प्रयत्नशील रहूंगा। इसलिये मैं आशा करूंगा कि इनके वक्तव्य के बाद अगर वह उसमें पायें कि इस स्पष्टीकरण में स्वतः विरोधीदल के नेता जी के ऊपर कोई लांछन लगाये गये हैं तो फौरन खड़े होकर अपनी सफाई दे दें, लेकिन कोई वाद-विवाद या तहकीकात किसी सदस्य के वक्तव्य के बारे में यहां नहीं हुआ करती। जैसे ही कोई सदस्य प्रतिवाद में कहे कि मैंने फलां-फलां बात नहीं कही थी तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ कि माननीय राजनारायण जी ने ३१ अगस्त के मेरे एक भाषण के संबंध में सदन के सामने यह कहा कि कृष्ण महोत्सव के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से जो मैंने भाषण कृष्ण जन्मभूमि पर माननीय कमलापति जी के स्वागत के लिये दिया उसमें मैंने यह कहा कि मुझे दुख है कि यदि औरंगजेब सरीखा कोई बादशाह दिल्ली में शासन करता होता तो यह मस्जिद यहां पर दिखाई न देती। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि कुछ कांग्रेसी मित्रों ने भी यद्यपि वह अब सदन के सामने ऐसा न कहेंगे, यह कहा कि मेरा भाषण साम्प्रदायिकता से परे नहीं था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से, श्रीमन्, आज इस सदन के सामने यह रखूंगा कि जीवन में अधिक से अधिक यदि मुझे कभी मानसिक क्लेश हुआ तो वह श्री राजनारायण जी के इस भाषण से। मैं बहुत स्पष्ट यह सदन के सामने रख देना चाहता हूं कि जो भाषण .....

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि आपने क्या कहा था वह पहले कह दीजिये। उसके बाद फिर आप कोई चरचा कीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं जैसी कि श्रीमन् ने अभी आज्ञा दी जो कुछ मैंने इस संबंध में कहा उसका बहुत छोटा सा रूप यह है कि पिछले ५ या ६ वर्ष से वृजसांहित्य मंडल, मथुरा द्वारा कृष्ण महोत्सव का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि पर होता है। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं इन पिछले ५–६ वर्षों में निरन्तर उस आयोजन और उस समारोह में भाग लेता रहा हूं और प्रायः सदा ही मैं उसकी समिति का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने इस अवसर पर चूंकि यह समारोह कुछ अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे एक माननीय मंत्री उसका उद्घाटन कर रहे थे, यह समारोह बहुत सजधज के साथ बहुत अच्छे रूप में होने जा रहा था, सवारी का एक प्रदर्शन हुआ जिसमें कि भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा निकाली गयी और उसके पश्चात् संध्या को यह समारोह हुआ। उसमें मैंने व्रज प्रदेश के महत्व और उसके अतिरिक्त कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास और इसके अतिरिक्त जो मस्जिद वहां बनी हुई है उसके संबंध में केवल एक ही स्थल पर कुछ बातें कहीं और वे केवल यह कि मैंने गीता का एक श्लोक पढ़ कर सुनाया जिसमें भगवान कृष्ण ने यह कहा था :–

ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्त्मानु वर्तन्तेमनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।

उसका मैंने अर्थ भी किया। मैंने कहा कि भगवान कृष्ण के आज इस पुण्य जन्म दिवस पर उसके प्रति सबसे अधिक श्रद्धा यदि कोई मानव समाज प्रदर्शित कर सकता है तो वह केवल इस श्लोक में निहित है। और मैंने उसका अर्थ किया और कहा कि इसका अर्थ यह है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जो जिस प्रकार से मेरी पूजा करता है वह मुझ में उसी मार्ग से प्राप्त होता है और मनुष्य अन्त में मुझ में ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कहा कि जिस मानव धर्म की कल्पना भगवान कृष्ण ने की, जिस विश्व धर्म की स्फूर्ति उन्होंने मानव समाज को दी उसके प्रतीक के रूप में आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैंने कहा कि यह हमारी सब से बड़ी श्रद्धांजलि है कि यह जो लाल पत्थर की मस्जिद इस स्थल पर मौजूद है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिये और यह भी भगवान को पाने का उतना ऊंचा मार्ग है जितना कि कोई और मार्ग हो सकता है। मैंने कहा कि यह भगवान तक पहुंचाने के लिये उतना ही बड़ा मार्ग है जितना कि कोई मंदिर हो सकता है।

श्रीमन्, जबकि यह चर्चा यहां सदन में हुई इसके पहले माननीया सुचेताजी ने चर्चा की थी। उसके प्रति मेरा ध्यान आकृष्ठ किया गया। मैं इस सदन के सामने इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस असत्य को जो कि इस सदन के सामने आया इसके पीछे एक बड़ा सुन्दर और रोचक इतिहास है और यह सदन यदि उसको जानेगा तो यह कहां तक सत्य है या असत्य है इसका यह स्वयं फैसला कर लेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो कुछ आप कह चुके हैं वह काफी है। इसके आगे आपके पर्सनल एक्सप्लेनेशन से संबंध रखने वाली बात शेष नहीं है।

आपने अब तक जो स्पष्टीकरण दिया वह इस संबंध में काफी है। मैं समझता हूं कि सदन कोई तहकीकात की जगह नहीं हो सकती। मैंने राजनारायण जी से यही कहा था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं केवल इन्हीं शब्दों से माननीय राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि यह बात माननीय राजनारायण जी तक आयी कैसे और कैसे उन्होंने इस सदन के सामने रखा और उसके ऊपर कितनी और क्या सतर्कता से कार्य लेना चाहिये यदि श्रीमन् मुझे आज्ञा दें तो मैं सदन के सामने रख दूं और अगर श्रीमन् इतना ही उचित समझते हैं तो मैंने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने समझा कि इतना काफी है जो आपने कहा वही, कहने की बात भी थी। आप क्या सत्य समझते हैं वह आपने कह दिया। अब आप कृपा करके बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

अब मैं एक फैसला देना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी ने एक प्रश्न उठाया था कि अवधेश प्रताप सिंह जी ने एक व्यक्तिगत आक्षेप माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य के संबंध में किया था, वह उस रोज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैंने उस रोज की कार्यवाही पढ़ी और उसमें यह शब्द आये हुये हैं। मेरे पास भी कुछ शिकायतें आयी हैं कि उन्होंने अपने को अध्यासी दर्ज कराने की बहुत कोशिश की जब कि वास्तव में वे वहां पर मौजूद न थे और न काबिज ही थे और न किसी प्रकार से उनका अधिकार ही उस पर हो सकता है। हो सकता है यह असत्य हो लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत सुनी है मैंने भी यह शिकायत सुनी है। अगर यह शिकायत गलत हो सकती है तो इनकी शिकायत भी गलत हो सकती है। लेखपाल की नकलभी मेरे पास है। सदन उसको देख सकता है। वह कहां तक सच हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, इसको मैं छोड़े देता हूं। माननीय मंत्री जी जिनको परिस्थिति का भली प्रकार ज्ञान है वे इस शिकायत को भी देख सकते हैं। इसलिये, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि शिकायतों के आधार पर विधेयकों या परम्पराओं में परिवर्तन करना कोई मानी नहीं रखता है। श्रीमन् जब तीस जमींदारों के खिलाफ दरख्वास्त दी गयी तो माननीय राजस्व मंत्री ने उस अधिनिय,म में संशोधन कर दिया। अगर यही तरीका रहा तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अधिक लाभ नहीं हो सकता।

इस विषय में नियम १८२ यह है कि वैयक्तिक हमला नहीं होना चाहिये किसी माननीय सदस्य के ऊपर। उसी १८२ नियम के अन्दर यह दिया हुआ है कि कोई डिफैमेटरी बात भी नहीं होनी चाहिये 'A member while speaking or answering aquestion,

चाहे माननीय सदस्य भाषण दे रहे हों या प्रश्न का उत्तर दे रहे हों और उसी नियम में अन्य स्थान पर यह भी दिया है कि कोई सदस्य--

'shall not-utter treasonable or defamatory words but he may with the permission of the Speaker, quote them for the purposes of his argument,

जहां तक पर्सनल चार्ज के बारे में प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कोई पर्सनल या वैयक्तिक आक्षेप श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषणों में नहीं है। उनके भाषण से तो अर्थ यह निकलता है कि वह स्वयं शिकायत को सत्य नहीं मानते। वह सिर्फ तर्क में मिसाल रखना चाहते थे कि इस तरह की उनके पास भी शिकायत आयी थी। उन्होंने तर्क किया कि अगर यह शिकायत असत्य है तो उसी तरह से तीस जमींदारों के विरुद्ध जो शिकायतें आयी थीं जिनका आपने जिक्र किया वह भी असत्य हो सकता है। इसके आधार पर आप कानून को कैसे बदल देते हैं यह उन्होंने स्पष्ट कहीं नहीं कहा है कि मैं इस बात को सही मानता हूं कि माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने जैसा किया है। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं 'to bring it home' जमींदारों के खिलाफ उसी दृष्टि से उन्होंने वह वैयक्तिक उदाहरण पेश किया उदाहरण दे दिया जाय तो हर एक आदमी मान लेगा कि अवश्य यह सत्य होगा लेकिन प्रत्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद जी के खिलाफ उदाहरण अगर दे दें तो यह इस बात का उदाहरण हो जाता है कि असत्य बात की किस तरह से शिकायत कर दी जाती है। यह उदाहरण देने से माननीय द्वारका प्रसाद जी की समझ में यह आ जायगा कि ३० जमींदारों के खिलाफ शिकायतें भी गलत हो सकती हैं। इस तरह यह उनका तर्क था लेकिन डिफेमेटरी जरूर था। उससे संभावना यह मालूम होती थी कि शायद सुनने वाला उस बात को सही मान ले। इसके पश्चात् उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने सदन में दे दिया। जिस वक्त भी अवधेश प्रताप जी ने यह तर्क उपस्थित किया था और भाषण दिया था उस वक्त आपत्ति उठाई जाती तो मैं समझता हूं कि उन्हें रोक दिया जाता और उनकी आपत्तिजनक बात फिर कार्यवाही में नहीं आती, क्योंकि संभवत: बदनाम करने वाली तो बात कम से कम जरूर थी। उनको उसी समय मना कर दिया जाता। लेकिन जब तत्काल आपत्ति नहीं की गई तब तो किसी कार्यवाही में से कोई बात निकाल देने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होने चाहिये। यदि प्रतिवाद उसी दिन न किया गया होता तो यह एक कारण हो सकता था, लेकिन सदन में उसी दिन बाद में प्रतिवाद भी हो चुका और चूंकि प्रत्यक्ष वैयक्तिक आक्षेप भी उनके भाषण में नहीं है ऐसी अवस्था में मैं यह उचित नहीं समझता कि कार्यवाही से उनके भाषण का कोई अंश निकाल दिया जाय क्योंकि प्रतिवाद बहुत स्पष्टता से हो चुका उसका।

माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य अगर चाहें क्योंकि प्रतिवाद में उन्होंने कहा है कि मैं अपने गांव में उस वक्त मौजूद नहीं था, मेरे भाई थे, तो यदि तहकीकात करके फिर से अधिक सफाई देना चाहें, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वह दे सकते हैं। इसलिये दे सकते हैं कि वह अपने गांव पर मौजूद नहीं थे और तहकीकात उनको करना बाकी था कि किस तरह से खाते में उनका नाम चढ़ गया। अब चूंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रत्यक्ष आक्षेप न होने के कारण यह व्यक्तिगत आक्षेप मालूम नहीं होता ऐसी अवस्था में मैं यह निर्णय देता हूं कि भाषण का संबंधित अंश उसमें से निकाला नहीं जा सकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है कि माननीय आचार्य जी ने कुछ इस सदन में मेरे कथन से अपने को दुखी बताया। उनको जो दुख हुआ उस संबंध में एक बात अवश्य कह दूं कि उनको हमारी तारीफ भी करनी चाहिये थी क्योंकि वह स्वतः कहते हैं कि इस तरह की चर्चा उन्होंने की थी।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको भाषण देने की इजाजत नहीं देता हूं अगर आप अपने कथन के लिये दुख प्रगट नहीं करते। कहने का तरीका यह नहीं है कि आप विवाद शुरू कर दें और फिर दुख प्रगट करें। खुले दिल से बात होनी चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं खुले दिल से ही कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता था कि हमको भी धन्यवाद देना चाहिये था कि मैंने कमलापति जी और आचार्य जी दोनों को मौका दिया कि बाहर जो आक्षेप होते हैं, उनको वे साफ कर दें। लेकिन इस चीज को वह अपने दिल से निकाल दें कि हमारे दिल में कभी भी ऐसी बात रही हो कि हम उनके ऊपर पर्सनल आक्षेप करें। यह इतना गंभीर विषय था कि मैं अपना कर्त्तव्य समझता था कि इसके बारे में जिक्र करूं। मैंने, श्रीमन्, एक क्वेश्चन पर सवाल किया था माननीय परिपूर्णानन्द जी से जिस संबंध में समाचार-पत्रों में भी खबर निकली थी क्योंकि जिम्मेदार लोग थे, पोलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, जो ऐसी ऐसी बातें कहा करते हैं। इसलिये उचित समझा उसको यहां कहना। मैं यह निवेदन कर दूं कि वह यह ठीक कहते हैं कि हमको इस बात की जानकारी कैसे हो गई। अखबारों से आई, कैसे आई? मेरे पास बहुत सी खबरें आ गई है। मेरे पास बहुत से डाक्यूमेंट्स हैं। वह बाहर चल कर उन्हें देख सकते हैं। उनको जो कष्ट हुआ उसके लिये हमें अफसोस है।

श्री अध्यक्ष---सदन में जो आपने कहा था उसके लिये आप कोई अफसोस जाहिर नहीं करते।

श्री राजनारायण---सदन में न कहता तो प्रकाश नहीं पड़ता यदि उसके लिये भी आप कहें तो अफसोस जाहिर कर दूं। मगर मैंने जानकारी के आधार पर कही थी और उसके लिये खेद प्रकाश करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से किसी सदस्य के विरुद्ध मैं बोलने की आइन्दा मैं इजाजत नहीं दूंगा और उसकी गैरहाजिरी में तो कभी भी नहीं दूंगा।

## उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर) श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १२२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४ की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

(विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों के लिये देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४६७-४६८ पर।)

## उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, विधान परिषद ने ३, ४ छोटे-छोटे संशोधन किये हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनकी बाबत निवेदन कर दूं। एक तो यह है कि पहले इस अधिनियम में यह था कि 'बाग' चकबन्दी से बाहर रहेंगे तो उसकी परिभाषा से 'बाग' को निकाल दिया गया है। लेकिन कौन सा तरीका हो जिसके मुताबिक बाग चकबन्दी के बाहर

रहें यह साफ नहीं था। मान लीजिये कि साल भर पहले जो बाग लगाये गये या जिस रोज से यह अधिनियम यहां पर लागू होने जा रहा है उसके एक रोज पहले वह बाग लगाया गया है तो यह भी बाग परिभाषा में आ जायगा या नहीं। तो विधान परिषद ने यह संशोधन किया है कि जब नोटीफिकेशन किसी इलाके में चकबन्दी करने का हो उस रोज जो बाग लगा हुआ है, वही बाग माना जायगा अर्थात् उसके बाद अगर प्लान्टेशन किया गया हो तो वह चकबन्दी में शामिल होने के लिये बाग नहीं माना जायगा। एक तो यह छोटा सा संशोधन है।

दूसरा यह है कि धारा ७ के अन्तर्गत असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर हर क्षेत्र में जाकर पड़ताल करेगा। अब दो जिलों में जो काम हो रहा है वहां के तजुरबे से यह मालूम हुआ कि हर खेत पर असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर का जाना नामुमकिन है। वह ए० सी० ओ० एक नायब तहसीलदार होता है। तो हमने एक लेखपाल के लिये ५०० एकड़ रकबा रखा है और ६ लेखपाल को एक कानूननगो देखता है और ३ कानूनगो के काम को एक ए० सी० ओ० देखता है। तो यह मतलब हुआ कि एक ए० सी० ओ० के हिस्से में ९ हजार एकड़ का रकबा पड़ा। अब अगर एक आदमी हर खेत पर जाकर हर खेत की पड़ताल जाकर कर सके, यह उसके लिये फिजिकली नामुमकिन है। इसलिये उसमें जो यह लाजिमी तौर पर रखा गया था कि खेत-खेत पर जाकर पड़ताल करेगा उसको विधान परिषद ने यह कर दिया कि नियमों के द्वारा तय होगा कि कितना परसेंटेज का रकबा पड़ताल वह कर सकेगा। वह २० फीसदी या २५ फीसदी जो कुछ भी हो वह नियम के द्वारा तय किया जायगा।

श्रीमन्, उसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है कि जब ए० सी० ओ० नहीं हर खेत पर जायगा तो कौन जायगा। उसके लिये मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो रूल्स उस रोज विधान सभा के सामने प्रस्तुत किये गये थे उसमें रूल १९ में यह था कि कानूनगो की यह जिम्मेदारी है कि वह हर खेत पर जायगा। लेकिन अब संशोधन जो किया जा रहा है उसका मतलब यह होगा कि ए० सी० ओ० तो हर खेत पर नहीं जा सकता है लेकिन उसके लिये यह लाजिमी होगा कि वह पर्सनल निगरानी करे कि आया सही पड़ताल हुयी है या नहीं। यह दूसरा संशोधन वहां पर किया गया है।

तीसरा यह कि ३० दिन की मियाद रखी गयी थी, अब हमने उसको २१ दिन कर दिया है अब वह ९ दिन पहले हो जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन समय के लिहाज से जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाय। तो यह ३० दिन की जगह हमने २१ दिन कर दिया है और यह जनहित की दृष्टि से एक जगह पर किया गया है बाकी सब जगहों पर ३० दिन है।

धारा ४ में यह था कि रिकार्ड तैयार होगा उसकी नकल जो होगी उसकी प्रति कलेक्टर के पास जायगी। उस "प्रति" शब्द को निकाल दिया गया है क्योंकि हम प्रति को नहीं भेजना चाहते हैं। बल्कि असल को भेजना चाहते हैं। उसकी कापी फिर आफिसर को दी जायगी। असल कापी कलेक्टर के दफ्तर में रहेगी और वहां उसको रहना भी चाहिये। और उसके लिये उस रोज नियमावली जो रखी गई थी सदन के सामने, उसका नियम २३(६) यह है कि तत्पश्चात् मूल अभिलेख कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायगा जो धारा ५२ के अधीन चकबन्दी की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् १३ वर्ष तक उसको अपने पास रखेंगे और उसकी प्रतिलिपि चकबन्दी की कार्यवाही के अनुरूप में सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापिस कर देंगे। यानी ओरीजिनल रिकार्ड कलेक्टर को भेजा जायगा जिसको वह चकबन्दी खत्म हो जाने के १३ साल तक मेंटेन करेगा और जरूरत पड़ने पर उसकी कापी भेजी जायगी, लेकिन ओरीजिनल कलेक्टर के पास रहेगा। एक दो संशोधन और छोटा सा है जिसका महत्व नहीं है। ये संशोधन बाद में राज कर्मचारियों के तजुरबे से किये गये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको स्वीकार कर लेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—(जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इसका क्या तरीका रहेगा? एक एक संशोधन पर एक एक करके बोला जायगा?

श्री अध्यक्ष—पहले तो विधेयक विचारार्थ लेने का प्रस्ताव होगा, संशोधन तो बाद में आयेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, यद्यपि चकबन्दीकी योजना से हम लोगों ने राजस्व मंत्री जी से सदैव ही अपनी सहमति प्रकट की है लेकिन जो संशोधन लाये गये हैं उनसे सरकार की कार्यवाहियों के बारे में कुछ आशंका उत्पन्न हो गयी है क्योंकि इसमें छोटे सरकारी अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहला संशोधन चरागाह के बारे में तथा आगे होने वाले चरागाहों के बारे में है। हमारी राय यह है कि इस प्रश्न का हमेशा के लिये समाधान हो जाना चाहिये इसके बारे में तरह-तरह की आज्ञायें हैं। ऐसे भी बहुत से गांव हैं जिनमें कि किंचितमात्र भी चरागाह नहीं रह गये हैं। यद्यपि जमींदारी उन्मूलन की धारा २१२ में यह सुधार कर दिया गया है कि जिन लोगों ने चरागाहों का पट्टा ले लिया है उनसे वापस लेने की अब जिलाधीश ही आज्ञा दे सकते हैं। इसके पश्चात् भी बहुत से ऐसे क्षेत्र और गांव रह जायेंगे, जिनमें चरागाह नहीं होंगे तो क्या होगा? इस अवसर से लाभ उटाते हुये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

दूसरा संशोधन यह है कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर गांव की पड़ताल नहीं करेगा, इससे काफी परेशानी गई।..माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि कंसोलीडेटर आमतौर पर कानूनगो होगा लेकिन मेरी इत्तला है कि जो लेखपाल या पहले पटवारी लोग आफीशियेंटिंग काम कर रहे हैं वे भी इसके लिये चुन लिये गये हैं अगर परमानेंट कानूनगो ही चुने जाते तो भी उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती थी।

श्री अध्यक्ष—आज आप कल की बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं जरा उसका हवाला दे रहा हूं कि कंसोलिडेटर्स बहुत से पटवारियों में से भी चुने गये हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल के संबंध में जब कि सारी भूमि-व्यवस्था में क्रांति होने जा रही है, तब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ऊंचे से ऊंचा अधिकारी जाकर चकबन्दी के संबन्ध में पड़ताल करे। इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह संशोधन पेश किया है कि असिस्टेंट कंसोलीडेशन आफिसर को वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको वह कंसोलीडेटर से करा सकता है। हम सरकार से यह कहना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है तो जहां तक कम त्रुटि उसमें हो उतना ही अच्छा है।

राजस्व मंत्री जी ने यह भी बताया कि नियमों में व्यवस्था कर दी गई है कि उस नक्शे की असल कापी कलेक्टर के पास चली जायगी। इस सम्बंध में हमारी थोड़ी आपत्ति यह है कि कानून में ही इसकी व्यवस्था कर दी जाती तो अच्छा होता। असली कागज कलेक्टर के पास चल जायगा और उसकी प्रतिलिपि चकबन्दी अधिकारी के पास रहेगी। तो उसके लिये तो इतना ही काफी होगा कि आप नियम तो बनाते ही हैं और नियम हमारे सामने और विधान सभा के सामने भी आयेगा लेकिन लागू तुरन्त हो जायगा जब कि सरकार प्रकाशित कर देगी। तो हमें डर है कि इसमें कुछ दिक्कत होगी। मैं नहीं समझता कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति होगी यदि इस विधेयक में ही इस बात की व्यवस्था कर दें और वे स्पष्टीकरण कर दें। तो अध्यक्ष महोदय, मूल कुछ ऐसी आशंकायें हैं जिससे विधेयक के निर्दोष होते हुये भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है कि सही माने में चकबन्दी सफल नहीं होंगी। इसलिये मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ा।

श्री राजतारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो चकबन्दी पर पुनः विचार करने के लिये इस सदन में विधेयक आया है, मैं आपके जरिये निवेदन कर दूं कि यह विधेयक पहले आया, फिर यह सेलेक्ट कमेटी में गया और जब सेलेक्ट कमेटी से वापस आया तो फिर इस सदन में पारित हुआ और फिर इस सदन से कौंसिल में गया। श्रीमन्, आप देखेंगे कि यहां से जो विधेयक पारित हुआ, वह कौंसिल पर विचार करने के लिये जब गया तो इस विधेयक पर विचार होते समय जो हमारे दल की ओर से आशंकायें और आपत्तियां की गयी थीं और जिनको किसी कारणवश

यहां पर जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने पहले मान लिया था, उन्हीं में पुनः कौंसिल में संशोधन करा कर यहां पर पुनः विचार करने के लिये यह विधेयक आया है। ऐसी हालतमें अब तक जो इस चकबन्दी योजना के सही माने में लागू न होने में जो विलम्ब हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी में माननीय राजस्व मंत्री जी के सर मढ़ता हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि यदि इस तरह से यहां पर जो मंशा व्यक्त की जाय और सही माने में इस सदन के तमाम माननीय सदस्य जानते हैं कि इस हाउस का अधिकांश ग्रामीण जीवन से संबंध लगा रहता है। गांव की क्या मुसीबत है, किसानों को क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों और शिकायतों से कैसे पार पाया जा सकता है इस बात पर जितनी अच्छी तरह से इस सदन के माननीय सदस्य विचार कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह हमारा अपर चेम्बर नहीं विचार कर सकता है। इस बात को कहने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। उसे तो रईसों की कौंसिल भी कहते हैं, जहां बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे कहूंगा कि विधान परिषद के संबंध में यहां कोई ऐरपर्शन न होना चाहिये।

श्री राजनारायण—बिलकुल नहीं श्रीमन्, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो धारा संशोधित होकर आयी है अगर आप पुराने विधेयक को देखें तो मालूम होगा कि जिन चीजों को मुनासिब समझकर हमने रखा था उन्हीं को कौंसिल में इस तरह से संशोधित किया गया कि जो हमारे व्यक्त किये हुये भाव थे उसके यह बिलकुल उल्टा हो गया। जैसे कि श्रीमन्, टांर व खेतों पर जाकर रेकर्ड्स ठीक करने की बात है, तो उसके संबंध में जो संशोधन आया है उसी के साथ-साथ रेकर्ड्स की किताब कलेक्टर के पास जाने की बात है। एक संशोधन पैस्चर लैंड के बारे में भी है। यह बात मैं समझता हूं कि शायद आपको भी स्मरण होगा और माननीय मंत्री जी को भी स्मरण होगा कि सन् ३७ में बार-बार इसकी हम लोग चर्चा करते थे कि गांव-गांव में गोचर भूमि छोड़वा देंगे। तो तमाम बातों पर अगर मद्देनजर रखते हुये गौर किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विधेयक पर कौंसिल ने गौर किया और वह पुनः विचार करने के लिये हमारे पास वापस आया है। अगर किसानों का इससे लाभ होता और फी एकड़ ४ रु०, ६ रु० भी चकबन्दी के लिये किसानों को देना पड़ता तो मैं जरूर उसका स्वागत करता और करना चाहिये और हम पुनः उस पर विचार करते। लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूं कि किसान गरीब हैं, इससे किसानों का कोई लाभ ही नहीं होगा। एक बात मैं, श्रीमन्, आपके जरिये माननीय मंत्री को बतला दूं कि दो एकड़ तक के किसानों के संबंध में जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं, वे गलत हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, वह यह है कि एक दो एकड़ से कम के ज्यादा किसान यानी ७५, ८० फी सदी तक हैं। दो तीन एकड़ तक जो किसान खेत रखते हैं उनसे भी अगर ४ रु० या ६ रु० फी एकड़ चकबन्दी के लिये लिया जाय तो यह बहुत ही नामुनासिब बात है। इन बातों पर मैं जरूर चाहता था कि कौंसिल विचार करे और वह इसमें संशोधन लाये और हम फिर यहां उन पर विचार करें। उसमें हमें खुशी होती लेकिन हम देखते हैं कि जो बिल विचार के लिये इस सदन में प्रस्तुत करने की बात मंत्री जी कर रहे हैं उससे तो जो पुराना चकबन्दी ऐक्ट है और जो पारित हो चुका है उसमें जो सही बात चकबन्दी की और खातों को ठीक करने की थी उन आसानियों को भी छीना जा रहा है, बांधा जा रहा है और संकुचित किया जा रहा है। ऐसी हालत में पुनः विचार करने का जो प्रस्ताव माननीय माल मंत्री जी ने रखा है उसका हम विरोध करेंगे और कहेंगे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जिस रूप में हमने पहले चकबन्दी बिल पास किया था, यद्यपि उसमें खामियां थीं, कमी थी और दोष थे और उनको लेकर माननीय मंत्री जी ने भी कई बार यहां शिकायत की और हमारे दल पर दोषारोपण किया कि यहां के सदस्य भी देहात में जाकर चकबन्दी विरोधी बातें कहते हैं। मैं उनसे साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा विचार है कि चकबन्दी इटसेल्फ अगर कोई योजना है तो वह किसानों के हित में है और उनके सुख के लिये है और उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध उस चकबन्दी से है जो यहां की जा रही है जो बड़े-बाड़े

[श्री राजनारायण]

भूपतियों के हित में हो रही है और जो गरीब किसानों का शोषण करती है और उनके अहित में होती है। चकबन्दी का जो प्रिंसिपल है उसका हम विरोध नहीं करते। हम उस चीज का जोरदार शब्दों में विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि चकबन्दी के लिये जो किसानों स पर एकड़ रुपया लिया जा रहा है वह बहुत नामुनासिब है। अगर वह उस रुपये को कम करने का संशोधन लाते तो अच्छा होता लेकिन वह न कर के लेखपालों के हाथ में इतनी भारी शक्ति दी जा रही है जिससे सारे प्रदेश में त्राहि त्राहि और कोहराम मच जायगा और जिस कानून को वह किसानों के हित में समझते हैं वह किसानों का हित स्वप्न हो जायगा। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस समय इस पर विचार करने के लिये जो कृपा करना चाहते हैं वह ऐसी कृपा न करें। वह अगर कृपा ही करना चाहते हैं तो इस संबंध में विरोधी दल की ओर से जो विचार व्यक्त हुये हैं कि किस तरह से चकबन्दी हो, किन का हित रखा जाय। इसमें छोटे-छोटे किसानों के हित के लिये क्या पेशबन्दी है ? गांव-समाज के जो .....

**श्री चरण सिंह**—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और वह यह है कि जो संशोधन विधान परिषद से आये हैं केवल उन्हीं पर कुछ कहा जाय तो मुनासिब है मगर यह कि सब मसले उठा लिये जायं और कोई सीमा ही न रहे और सभी बातें कह डाली जायं कि अगर यह संशोधन आता तो यह होता और अगर यह संशोधन आता तो .....

**श्री अध्यक्ष**—आप उसको ज्यादा व्यापक न करें।

**श्री राजनारायण**—मैं तो आप की हिदायत के अनुसार ही इस तरह से कह रहा हूं। हम तो सीधी-सादी बात कह रहे थे और मंत्री जी सोचने लगे .....

**श्री अध्यक्ष**—आप उदाहरणों पर व्यापक बहस न करें। एक-दो उदाहरण आप दे सकते हैं।

**श्री राजनारायण**—अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिलकुल संकुचित भाषण कर रहा हूं और अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि संशोधन आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स हैं और धाराओं पर विचार होगा और उस वक्त कहने का अवसर मिलेगा, लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह धीरज न खोयें, अगर उनकी ओर से जनहित की कोई योजना होगी तो हमारी ओर से उसका कोई विरोध न होगा, लेकिन अगर जनहित की बात होगी तो हमें विरोध नहीं लेकिन जनदुखाय होगी और उन पर कुठाराघात होगा तो हम विरोध अवश्य करेंगे और हम अपने कर्त्तव्य का पालन जरूर करेंगे। एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं और वह यह है कि हमने वैसी आदत नहीं डाली है और न हम कोई अच्छे पार्लियामेंटेरियन ही अपने को मानते हैं, हम बैड पार्लियामेंटरियन भी कुछ की राय में हो सकते हैं लेकिन पार्लियामेंटरियनशिप के नाम पर हम हाई पोक्रेसी (बेईमानी) नहीं बरतते और हमें इस बात का गौरव है कि हम झूठे पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं और मैं वह गौरवान्वित भारतीय संस्कृति और परम्परा को कायम करने वाला सदन देखना चाहता हूं। जिस दिन हम जो बात बाहर कहें उसी को सचाई के साथ सदन में भी कहें, ऐसी धारणा हमारी नहीं होनी चाहिये कि हम सदन में कुछ कहें और बाहर जाकर कुछ कहें। श्रीमन्, सदन की एक सीमा होती है उसकी एक परम्परा होती है और यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें हमें दूर करना है और हम समझते हैं कि हमारा सदन जब ऐसा होगा तभी जनतंत्र का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा और तभी, श्रीमन्, आपकी गद्दी भी सुगंधित होगी और उसकी ख्याति और विख्याति लोगों को सुवासित करेगी वरना लोग यही सोचते रह जायेंगे कि यहां के लोग सदन में बैठ कर कुछ कहते हैं और बाहर आकर कुछ कहते हैं। श्रीमन्, जो दो-तीन वर्ष का जीवन हमने यहां पर व्यतीत किया है उसके बाद भी आप हमें ऐसा ही रहने दें और यदि आप चाहें तो हमें बैड पार्लियामेंटरियन करार दे दें मगर झूठ बोलने वालों

में हमारा नाम न दें बस इतने से हमें प्रसन्नता रहेगी। मैं बेईमानी की जगह अकुशल होना पसन्द करता हूं।

**श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद से जो संशोधन किये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे दुख है कि माननीय राजनारायण जी चाहे अच्छे पार्लियामेंटेरियन हों या बुरे लेकिन विधान परिषद के सदस्यों के प्रति या उस हाउस के मेंम्बरों के प्रति जो भावना उन्होंने प्रकट की है, उसको श्रीमन् ने यद्यपि रोका है और रोकने के बाद ही उनकी बेहबूदगी हो पाई, लेकिन, श्रीमन्, कहां तक अकुश हमारे विरोधी दल के नेता पर लगाते रहेंगे और कहां तक उनको समझाने बुझाने का प्रयत्न करते रहेंगे। परन्तु, श्रीमन्, जो आपने किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि बहुत से संशोधन शाब्दिक हैं और उनमें कोई ऐसा विवादग्रस्त विषय नहीं है और एक बात जो हमेशा वह कहते हैं कि भूमिपति जिनके पास अधिक जमीन है उनसे ले ली जाय वही इस बार भी है और उनसे वह सदैव भयावह परिस्थिति उन्पन्न होने की आशंका किया करते हैं। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि लोग अपने को पहले देखा करें तो अधिक अच्छा हो उसकी अपेक्षा कि किसी पर बगैर किसी बुनियाद के दोषारोपण करें। श्रीमन्, जहां हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों के अधिकार हैं वहां उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे ऊपर भार है और हमारे कुछ कर्त्तव्य भी हैं जिनका पालन करना हमारे लिये परमावश्यक है। श्रीमन्, यदि हम उन जिम्मेदारियों को भूल जायं तो हम समझते हैं कि उन जिम्मेदारियों का हम दुरुपयोग करेंगे। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यदि इस पर सदन का अधिक समय नष्ट न किया गया तो अच्छा है। जहां तक बागों का संबंध है, उसका किसी भी हालत में इस चकबन्दी रकीम में लाया जाना उचित नहीं था यह कहना ठीक नहीं है और उस विषय में यदि कोई संशोधन किये गये हैं तो वह असंगत नहीं हैं, लाभप्रद है और जनता के लिये कल्याणकर हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

***श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं हाउस का ध्यान बागों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो चकबन्दी की गई है उनमें एक जगह इकट्ठा हो जाने से ज्यादा फायदा होगा। हुजूरवाला, देहातों में ऐसी हालत है कि बड़े-बड़े बाग हैं और उसमें कई आदमियों की कई जगह है। बाग एक है लेकिन कई हिस्सेदारों के कई स्थानों पर है। आपस में झगड़े होते हैं तो शरारती लोग जो हैं वह अपने वृक्षोंको रख लेते हैं और दूसरों के तोड़ लेते हैं और भले लोग एक ही बाग में अपने पेड़ इकट्ठा कर नहीं पाते अगर एक ही बाग में एक आदमी के पेड़ इकट्ठे कर दिये जायं तो उसको गोड़ने में, पानी देने में उनकी रक्षा करने में आसानी होगी। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है आनरेबिल मिनिस्टर साहब से कि जैसे उन्होंने जमीन की चकबन्दी कर दी है उससे किसानों का भला होगा वैसे ही एक ही बाग में अगर बहुत से हिस्सेदारों के कई तरह के पेड़ हैं तो उनके पेड़ों को इकट्ठा अगर कर दें तो उन्हें उनकी रक्षा करने में आसानी होगी। इसलिये इस तरफ भी अगर आप मेहरबानी फरमायें तो यह एक बहुत अच्छी और फायदेमन्द बात होगी।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जान नहीं पाया कि पेड़ों को हटाकर एक जगह उनकी चकबन्दी कर दी जाय, यह माननीय शुक्ल जी कह क्या रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष**—अगर नहीं समझे तो अच्छा ही है। मैं आपको खुशकिस्मत समझता हूं।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत ही दिक तकलीफ है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत ऐसे संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं जिनसे गरीबों का नुकसान होने वाला है। चकबन्दी का जो मूल अधिनियम है उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पर प्रवर समिति में और इस सदन में बहुत वाद विवाद हुआ और आप, अध्यक्ष महोदय, जानते है कि पड़ताल को लेकर के इस प्रदेश में कितना तहलका मचा था और खासकर के हमारे जिले आजमगढ़ में तो प्रांतीय स्तर पर एक आन्दोलन भी हम लोगों को शुरू करना पड़ा था और मेरा यह विश्वास अब भी है कि यह संशोधन जो विधान परिषद् द्वारा पड़ताल के संबंध में आया है इससे गरीब किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लें।

**श्री अध्यक्ष**—मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूं कि यह विधेयक पहली मरतबे नहीं आया है। राजस्व मंत्री जी से आप यह नहीं कह सकते हैं कि वापस ले लें। आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा चाहे आप उनके संशोधनों को रिजेक्ट कर दें। वह विधान परिषद् से वापस आया है कुछ संशोधनों के साथ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक इस सदन ने पास कर दिया था, उसमें जो संशोधन विधान परिषद् द्वारा लाया गया है वह बहुत ही अनुपयुक्त है। मैं यह चाहता हूं कि पड़ताल मौके पर करने की और खाते-खाते और खेत-खेत करने की जो परिपाटी थी, उसी को स्वीकार करना चाहिये और उसे वापस लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब पड़ताल की समस्या पर इस सदन में और बाहर बहुत खुले शब्दों में विरोध किया गया था तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने बीसों बार कहा था कि पड़ताल बहुत ठीक है, पटवारी ठीक करता है, सरकारी कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को लेकर के आजमगढ़ में तो सत्याग्रह हुआ और उस वक्त माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार नहीं करते थे, गलत इन्दराज को, लेकिन साल भर बाद माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया उस चीज को जिसे साल भर पहले हम लोग कहा करते थे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा पड़ताल पुनः करने का जो आदेश गया है उसमें जो मौके के अधिकारी हैं, वह उसकी पाबन्दी नहीं कर रहे हैं और फिर उन्हीं के हाथ में यह अधिकार देकर, तहसीलदार तक तो गनीमत रही, तहसीलदार के नीचे अब पड़ताल करने वालों को अधिकार दिया जा रहा है, जिसकी निन्दा करते राजस्व मन्त्री जी और उनकी पार्टी के सदस्य थकते नहीं थे। मैं इस संशोधन का सख्त विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि भूमि प्रबन्धक समितियों और चकबन्दी समितियों को अधिकार दिया गया था कि गांव की चकबन्दी के संबंध में वह फैसला करेंगी। उसको चकबन्दी अफसर मानेगा। लेकिन इस संशोधन में यह भी विधान परिषद से तय कराया गया है कि चकबन्दी अफसर भूमि प्रबन्धक समिति को चकबन्दी समिति को खत्म कर सकता है और फिर वह चकबन्दी समिति का पुनः चुनाव करा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि जिस तरह से आपका विशाल हृदय है उसी तरह से उन अधिकारियों का नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप सही माने में चकबन्दी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े और गरीबों के हक़ सुरक्षित रहे तो भूमि प्रबन्धक समिति और चकबन्दी समिति को खत्म कर के जो अधिकार चकबन्दी आफिसर को सौंपे हैं वह बहुत खराब हैं। जिस गांव की कमेटी अपने मन के अनुकूल चकबन्दी करना चाहती है तो वह नहीं कर सकती है और उसके अधिकार छीन कर चकबन्दी आफिसर को अधिकार देना लोकतंत्र के विरुद्ध होगा।

**श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई संशोधन विधान परिषद् में नहीं किया है जिस पर जनाब तकरीर कर रहे हैं.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि विधान परिषद ने नहीं किया है तो में इसको वापस लेता हूं लेकिन जो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है उसमें चर्चा है। में इतना ही निवेदन करता हूं कि जो विधेयक विधान परिषद् से पारित हुआ है उसे पास नहीं करना चाहिये ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के सदस्यों को कुछ भ्रांति हो गयी है । वास्तव में विधान परिषद ने इस विधेयक में केवल सात स्थानों पर संशोधन किया है और वह संशोधन ऐसे हैं कि जो विधेयक निश्चित रूप से पारित किया गया था उस पर कुछ सुधार ही हो गये हैं और जैसा कि विरोधी दल के सदस्य चाहते हैं गरीबों को ही इनसे लाभ होता है मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में इस संशोधन पर कोई विशेष बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । सदन ने इस विधेयक पर पर्याप्त रूप से विचार किया है और पारित किया है और जो संशोधन विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत हुए हैं वह केवल सात स्थानों में हैं । जैसा कि विधेयक को देखने से प्रकट होता है एक तो मूल अधिनियम की धारा ३ के उपखंड (२) में जो एक अपवाद था उसको स्पष्ट कर दिया गया है यानी बात को स्पष्ट कर दिया गया है । पूर्व विधेयक में बाग के संबंध में विवाद हो सकता था और कोई व्यक्ति अपनी भूमि को चकबन्दी से बचाने के लिये यह कर सकता था कि कुछ पेड़ लगा कर कह देता है कि यह तो हमारा बाग है ऐसा करने से इसके द्वारा उसको रोक दिया गया है। इससे तो सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है वही हो सकता है जिसके पास भूमि ज्यादा है और वह नहीं चाहता कि उसकी भूमि किसी दूसरे के हाथ में जाय, चाहे जहां कानून की मंशा को समाप्त करने के लिये ऐसा किया जाना सम्भव था तो उसको रोका गया है । अन्य स्थानों में केवल तीन चार जगह छोटे मोटे संशोधन किये गये हैं जिससे विधेयक की मंशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को बहस में अधिक समय न ले कर इसको स्वीकार करना चाहिये ।

†श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मुझे पश्चाताप ही नहीं, बल्कि बड़ा दुख हुआ माननीय नेता विरोधी दल को सुन कर। मुझे ठीक यह बात याद आ रही थी कि.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य 'पश्चात्ताप' कह रहे हैं वह तो अपने ही कार्य पर होता है न कि दूसरे के कर्म पर।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या करें अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही साथ पड़ा है लेकिन बहरहाल ऐसा ही कह कर छोड़े देता हूं कि गोली बारूद चाहे जहां जाय आवाज से काम है । विधेयक तो चकबन्दी का था लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि उनके क्या कर्त्तव्य होने चाहिये, नैतिकता क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या है । इस पर भाषण दे डाला। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं । जब वह सदन में उपस्थित रहेंगे तब उठाया जायगा । जहां तक चकबन्दी विधेयक का संबंध है जो हमारे सामने प्रस्तुत है वह एक वास्तविकता की दृष्टि से देखा गया है विधान परिषद् में । यह सत्य है अपनी जगह पर कि नायब तहसीलदार के लिये प्रत्येक खेत पर जाना असम्भव है । जहां तक उनकी तरफ से आशंकायें प्रकट की गयी हैं उनके विषय में केवल इतना ही कहना है कि वहां पर केवल कानूनगो चकबन्दी ही मौजूद नहीं रहेगा और भी अफसर होंगे और गांव की कोई घटना गांव वालों से आफिसर से छिपी नहीं रहेगी । इसलिये यह संशोधन उचित ही है। इसके अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण संशोधन बागों के विषय में है । विधान परिषद् ने यह उचित

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

ही सोचा कि बाग के समय की सीमा निश्चित कर देनी चाहिये, वरना यह बात कानूनी दृष्टिकोण से बड़ी कठिनाई में पड़ जायगी कि उधर तो चकबन्दी गांव के एक हिस्से में हो रही है और दूसरे हिस्से में एक एक साल के पेड़ पौधे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जितने संशोधन आये हैं जैसे कलेक्टर के पास कागज रखने का, वह उचित है। चकबन्दी के लिये माननीय नेता विरोध दल की जो आशंका है कि इस दल की तरफ से देर की जा रही है, उसका पाप और दोष माननीय राजस्व मंत्री के ऊपर है, तो यह वह रास्ता है जिससे उनका उद्देश्य जल्दी पूरा हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में केवल एक बात कह करके समाप्त करूंगा कि लक्ष्य पर पहुंचने के लिये सत्य के दो स्वरूप कभी नहीं हो सकते हैं और माननीय नेता विरोधी दल चाहे जिस रूप में इस चीज को सदन में रखें, चकबन्दी का बाहर विरोध करना और सदन में उपदेश देना, ये सत्य के दो रूप न संसार में कभी हुए हैं और न आगे होंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आज हमारे सामने इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जो संशोधन कि हमारे सामने रखे गये हैं वह केवल अनुभव के आधार पर रखे गये हैं। यह खुशी की बात है कि हमारी कांस्टिट्युएंसी में भी चकबन्दी होने वाली है, इसलिये मैं भी चकबन्दी के सम्बन्ध में और परताल के सम्बन्ध में एकआध अनुभव की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संशोधन की मुख्य विशेषता यह है कि जो पड़ताल मुकाम पर, ( स्पाट पर ) की जायगी, वह कौन करेगा पड़ताल करने का यह अनुभव है। मैंने एस० डी० ओ०, के साथ पड़ताल करा कर और दूसरे मौकों पर भी अनुभव किया है। आम तौर से परताल करने के लिये सरकार की तरफ से पिछले साल और इस वर्ष भी सख्त हिदायत की गयी है कि मुकम्मिल और सही सही की जाय, लेकिन उस सम्बन्ध का यह अनुभव है कि जब कि बहुत ही अधिक शिकायतें बार बार और संगठित रूप में की जाती हैं तो एस० डी० ओ०, साहबान स्पाट पर जाते हैं और यह अनुभव में आया कि जिस गांव में पड़ताल करने के लिये एस० डी०, ओ० पहुंच जाते हैं उसके रेकार्ड्स तो नामुकम्मिल रहते हैं, लेकिन जब पटवारी को मालूम होता है कि एस० डी० ओ०, फलानी जगह जायेंगे तो वहां के रेकार्ड्स सही कर लिये जाते हैं और जहां के नामुकम्मिल रह जाते हैं वहां डिस्प्यूटेड (विवादग्रस्त) लिख दिये जाते हैं और जहां तक कानूनगो और लेखपाल की ताकत रहती है उसको देरी करने की कोशिश करते हैं और यह बहुत कम देखने में आया है कि अगर सरकारी अधिकारी ने सरप्राइज विजिट (अकस्मिक निरीक्षण) की और वहां के रेकार्ड्स ठीक पाये गये हों। हमारे पड़ोसी जिला सुल्तानपुर की मिसाल मौजूद है कि वहां के लैंड रेकार्ड्स में कई हजार की तादाद में अशुद्धियां मिलीं। इस प्रकार से स्पाट के ऊपर पड़ताल कौन करेगा, इसका विशेष महत्व है। चकबन्दी के अन्दर अधिकार जो दिया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये उच्च अधिकारी को अधिकार देना चाहिये और उनकी संख्या बढ़ाई जाय, ताकि स्वयं जा कर उस क्षेत्र में पड़ताल कर सकें। इसके साथ ही रेकार्ड्स के सम्बन्ध में यह भी अनुभव है है कि गांव के रेकार्ड्स की नकल गांव सभा वालों को मिल जानी चाहिये। ऐसी आज्ञा कई साल से है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी फैजाबाद के जिले में नकल नहीं मिल सकी।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि इस बात का कोई ताल्लुक संशोधन से नहीं है जो यह नकल देने की बात है।

श्री मदन गोपाल वैद्य---उसका सम्बन्ध यों है, कि यहां कहा गया है कि उनकी असल डी० एम० के पास रहेगी और प्रतिलिपि गांव सभा को दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---आपका इस संबंध में संशोधन भी है।

श्री मदनगोपाल वैद्य---तो जहां तक स्पाट पर जाकर पड़ताल करने का प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पड़ताल के लिये विश्वासनीय उच्च अधिकारी नियुक्त होने चाहिये और इस सम्बन्ध में आमतौर से यह अनुभव में आया है कि जो सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं जैसे एस० डी० ओ० वगैरह, वे इसके ऊपर तब तक ख्याल नहीं करते हैं जब तक कि उनके ऊपर बहुत ही अधिक दबाव नहीं पड़ता है। इसलिये जो चकबन्दी का कार्य इस वर्ष होने वाला है उसके सम्बन्ध में उच्च अधिकारी को ही पड़ताल करने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, जहां तक भूमि प्रबन्धक समितियों को अलाहिदा करने का अधिकार अफसरों को देने या न देने का प्रश्न है तो जो संशोधन विधान परिषद् से आये हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है। इसलिये माननीय रामसुन्दर पांडेय की बात बिलकुल असंगत है जहां तक चरागाह छोड़ने या न छोड़ने की बात है उसका भी विधान परिषद् से जो संशोधन आये हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिये माननीय रामनारायण त्रिपाठी की बात भी असंगत है रूल सेक्शन १४ है, इसमें सब पालिसी दे रखी है, वह गांव वाले खुद तय करेंगे।

अब अध्यक्ष महोदय, केवल दो बातें रह जाती हैं। एक तो यह कि कलेक्टर के पास जो ओरिजनल रेकार्ड्स रखे जायेंगे वह नियम २३ के उपनियम ६ में न रख कर अधिनियम में रखा जाय वरना क्या इस बात का यकीन है कि इस बात पर अमल होगा। श्रीमन्, जो नियम हैं उनका उतना ही असर होता है जितना कि किसी धारा का, उसमें कोई अन्तर है ही नहीं और माननीय राजनारायण जी यहां मौजूद नहीं हैं, उनके दोस्त यहां बैठे हुये हैं वे उन तक खबर पहुंचा देंगे। मैं उनकी इत्तिला के लिये यह कहना चाहता था कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत बन्दोबस्त होता है और बन्दोबस्त में जो इन्दराज होता है वह भी क़तई होता है। उसका भी ओरिजनल रेकार्ड कलेक्टोरेट में रखा जाता है लेकिन लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये रेकार्ड्स कलेक्टोरेट में रखे जायेंगे, सेट्लमेंट रूल्स के मातहत यह है। तो जब कोई बात नहीं पाते कहने को तो कुछ न कुछ कहना ही है, अगर यह मतलब है तब तो बात कुछ समझ में आ सकती है।

एक बात पर बहुत जोर दिया गया कि सेंट परसेंट पड़ताल, जैसा कि हमने पहले से अधिनियम में रखा था, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर या नायब तहसीलदार को ही करने का अधिकार देना चाहिये न कि क़ानूनगो को। इसके मुताल्लिक़ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था ९ हजार एकड़ का रक़बा एक नायब तहसीलदार के हिस्से में आता है। वह इसकी पड़ताल कर नहीं सकता। इरादा था, मैं खुद ही चाहता था, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसमें ही यह लिखा था लेकिन आखिर तजुर्बा भी दुनिया में कोई चीज है या नहीं, तो तजुर्बे से यह मालूम हुआ, दो जगह हो रहा है कि यह उनके लिये नामुमकिन है क्योंकि जो गलतियां निकली हैं उनको देखने के लिये भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर नहीं जा सका, कंसोलिडेटर ही जा सका। मैं तो तैयार हूं कि ऊंचे अधिकारी से कराया जाय। एस० डी० ओ० से कराइये। लेकिन क्या सदन तैयार है कि इतने एस० डी० ओ० मुकर्रर किये जायं? खर्चा कहां से आयेगा? जनरल रेवेन्यूज में डाल दो तो किसानों से आना है और जिसकी चकबन्दी हो उससे सीधे ले लो तो किसानों को देना है। तो एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि खर्चा बहुत कम हो, माफ हो जाय तो और अच्छा और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि नायब तहसीलदार क्या, ऊंचे से ऊंचा अधिकारी हो। तो आखिर खर्चा कहां से आये। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि दो जगह पड़ताल हो रही है। कानूनगो ने पड़ताल की है। आप के द्वारा मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वे जरा इन दोनों जगहत जायं, खुफिया तरीक़े से जायं, और गांव में तहक़ीकात करें और मैं उनका बहु

[श्री चरण सिंह]

अनुगृहीत हूंगा अगर वह मुझे बता सकें कि फलां लेखपाल ने या फलां कानूनगो ने यह भ्रष्टाचार किया । इतना भ्रष्टाचार बताया जाता है, लेकिन केवल दो लेखपालों की और एक कानूनगो की शिकायत आयी है । यह इत्तला मेरे पास एक महीने पीछे की है और एक के खिलाफ कार्यवाही चल रही है । तो इतनी, अफसरान ने सख्त निगरानी ऊपर से कर रखी है । दिन रात वहां घूमे हैं और लाखों एकड़ की जमीन, जिससे लाखों आदमियों की जिन्दगी का वास्ता है, महीनों से वह लोग पड़े रहे, खेतों पर गये और कुल तीन शिकायतें आयीं । तो उन तीन शिकायतों की बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । त्रिपाठी जी ने कहा कि लेखपालों को ही कानूनगो बना दिया है । मैं ठीक तो नहीं कह सकता । लेकिन जो कानूनगो वहां काम कर रहे हैं हमने कोशिश यह की है कि जो डाइरेक्टली रेक्रूटेड हों, उन्हीं को रखा जाय, हो सकता है कि कोई एक आध इनके अलावा हो । वही शख्स हों जो परमानेंट.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आफिशिएटिंग भी हैं ।

श्री चरण सिंह—चाहे आफिशिएटिंग ही हों, लेकिन केवल लेखपाल होने की वजह से यह मान लेना कि यह आदमी बेईमान है, मैं इस उसूल को मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैंने अफसरों को ताकीद की है कि ईमानदारी से काम हो और जिनको आप ईमानदार समझते हों, उन्हीं को रखें । अगर कानूनगो ईमानदार हो सकता है तो लेखपाल भी ईमानदार हो सकता है । मेरे सामने एक प्राबलम है कि कहां से इतने अफसरान लाये जायं, मसलन २८० नायब तहसीलदारों की जरूरत है इस वक्त और ९ सौ कंसोलिडेटर्स की जरूरत है । कहां से आयें ? लेखपाल भी नहीं मिलेंगे इतने । तो इसके लिये हम डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट कर रहे हैं । उनको तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग देंगे और अगर किसी लेखपाल की शिकायत हो तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर वह मेरी नोटिस में लायी जाय और मैं हाथ जोड़ कर माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि किसी बात को जनरलाइज न किया जाय, क्योंकि हर एक को कंडेम करना कि बेईमान है लेखपाल या कानूनगो की इससे हिम्मत टूटती है । फिर फर्ज कर लें कि सब बेईमान हैं तो सब को निकाल दें । हमने पुराने पटवारियों को निकाला और फिर उनकी जगह नये आदमी रखे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बेईमान हैं । कहां से आदमी आयें । माननीय राजनारायण जी ने न मालूम क्या कहा, झूठ बात कही गयी, कुछ लोग यहां झूठ बोलते हैं । पता नहीं वह किस पर कह रहे थे । इसलिये मैं कुछ कह नहीं सकता । लेकिन हर एक बात की सफाई होनी चाहिए । लेकिन उन्होंने एक जनरल बात कह दी । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो साहबान किसी बात को खोलने के लिये तैयार न हों उस सम्बन्ध में कोई जनरल बात कहना ठीक नहीं है । यह कहना तो ठीक है और पार्लियामेंटरी है कि लोग यहां कुछ कहते हैं और बात कुछ और होती है । लेकिन झूठ कहने का मतलब यह है कि जान-बूझ कर ग़लत कहा जाता है । डेढ़ करोड़ का खर्चा हो गया, मैं समझता हूं कि ऐसी बात जब तक किसी को पूरा इल्म न हो, किसी को न कहनी चाहिए । उससे वातावरण दूषित होता है ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । )

उपाध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष—विधान परिषद् ने खंड २ में निम्नलिखित संशोधन किया है—

विधेयक के वर्तमान खंड नं० २ को खंड २ के उपखंड (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को उक्त खंड के एक नये उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय—

"(२) मूल अधिनियम की धारा ३ के उपखंड (२) में 'अपवाद' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

स्पष्टीकरण—इस खंड में शब्द "जोत" में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है, जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लायी जाती हो या काम में लाई जाने के लिये अभिप्रेत ( intended ) हो, किन्तु उसमें ऐसी भूमि का अन्तर्भाव नहीं है जो अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के दिनांक को बाग थी या जिसे १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ लागू होती है।"

प्रश्न यह है कि.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो इस पर जनरल डिस्कसन के तौर पर विचार हुआ था। मैं समझता हूं कि एक एक संशोधन ले लिया जाय और उन पर माननीय सदस्यों को विचार करने का मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष—संशोधन तो लिये ही जायंगे, किन्तु खंड २ में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये इसे सदन के सामने पेश कर दिया।

श्री गेंदासिंह—किन्तु मैं खंड २ का विरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष—आप पहले कहते।

श्री गेंदासिंह—इसका मौका ही कहां मिला।

उपाध्यक्ष—अच्छा आप कहिये क्या कहना है।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—अभी तो राय ली है, यह तो राय का प्रश्न है। संशोधन न होने के कारण अब उस पर विचार का प्रश्न रह नहीं जाता।

श्री गेंदासिंह—आप उस समय मौजूद नहीं थे। मैंने अब आपका ध्यान दिलाया। मुमकिन है जानकारी न होने के कारण आपको ख्याल न रहा हो। मैं अब उस चीज को आप की नोटिस में लाया और यह उचित ही है कि अब मैं विरोध करना चाहता हूं तो मुझे अवसर मिले। फिर आप इजाजत भी दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष—नियमावली में तो यह है कि अगर कोई संशोधन हो तो विचार किया जा सकता है। लेकिन अब इजाजत दे चुका हूं, तो आप विरोध कर सकते हैं।

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् ने खंड ३—क के सम्बन्ध में जो संशोधन किया है, जो रूप उसमें दिया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर पिछली मर्तबा जब इस सदन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री गेंदासिंह ]

विचार हुआ था, कमेटी में विचार हुआ था और जहाँ कहीं भी विचार हुआ था वहां पर इस बात के लिये बहुत जोर दिया गया कि जहां तक हो सके इस बात की कोशिश की जाय कि किसी कागज की दुरुस्ती जरूरी है, यानी क़ब्जे के सम्बन्ध में बहुत एहतियात बरती जाय और उसको दुरुस्त करने में जितना भी हो सके उतना सतर्क रहा जाय । इसी ख्याल से असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर के जिम्मे यह काम किया गया था .....

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—प्वाइंट आफ आर्डर । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जो प्रस्तुत है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। पहली रीडिंग इसकी खत्म हो चुकी है और उसका जवाब माननीय राजस्व मंत्री दे चुके हैं।

**श्री राजनारायण**—जो संशोधन परिषद् से लौट कर आया है उस संशोधन के विषय में हम अपनी सम्मति प्रकट करेंगे या नहीं। उसी पर हम बोलना चाहते हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुये बतलाया था कि इन संशोधनों के आने की आवश्यकता क्यों हुई। इसी पर उन्होंने अपना तर्क दिया था। तो उस तर्क का जवाब हम देना चाहते हैं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—जो संशोधन पेश है उसी पर आपको बोलना चाहिये। इसके बाद दूसरा संशोधन फिर आयेगा उस पर यह कह सकते हैं। मौजूदा संशोधन में वह बात नहीं आती है। बस यही मैं निवेदन करना चाहता था ।

**उपाध्यक्ष**—माननीय सदस्य को खंड २ के विषय में ही विरोध करना चाहिये और अपना विरोध उसी खंड पर सीमित रखना चाहिये, यह मानी हुई बात है।

**श्री गेंदासिंह**—मैं तो समझता था कि वह खंड ३ का संशोधन है। मुझे ऐसा भ्रम हुआ है कि उसी पर यह विधान परिषद् का संशोधन है। तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, इसका मुझे विरोध करना है। यहां पर यह जो खंड २ है उसमें यह लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (२) में अपवाद के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । अब माननीय राजस्व मंत्री का जो विधेयक प्रस्तुत है, उसमें वह यह चाहते हैं कि इस खंड में शब्द "जोत" में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशु-चर भूमि के रूप में काम में लायी जाती हो या काम में लायी जाने के लिये अभिप्रेत ( intended ) हो। तो यह सही है और धारा १३२ के मुताबिक जो जमीन छूटती है वह उसमें सम्मिलित नहीं है और जो जमीन धारा ५० जमींदारी एबोलीशन के मुताबिक बागों का थी वह भी उसमें शामिल नहीं है, लेकिन श्रीमन्, अगर पुराने ऐक्ट को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसके ऐक्सेप्शन में इतना ही आता है—

"*Exception*—For the purpose of this clause land does not include grove lands mentioned in section 132 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 but includes pasture lands."

तो पुराने ऐक्ट में चरागाह को इन्क्लूड किया गया है, लेकिन अब माननीय मौर्य जो चाहते हैं, और जो संशोधन आया हुआ है उसमें भी पाश्चर भूमि को अन्तर्भाव कर रहे हैं। केवल फर्क पड़ रहा है पाश्चर के काम में लायी जाने वाली (अभिप्रेत) भूमि का। केवल इतना ही फर्क है और पुराने ऐक्ट की जो भाषा है उसमें और जो संशोधित होकर हमारे सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें जो चरागाह में परिणत होने के लायक जमीन हो, उस जमीन को भी माननीय मंत्री जी चकबन्दी के काम में, जोत वाली जमीन में शामिल कर लेना चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी और मौर्य जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि वे पुराने मैनीफेस्टों को देखें और पुरानी घोषणाओं को देखें, इस समय जो पोलिटिकल

कांग्रेस पार्टी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कह रहा हूं जो पुरानी कांग्रेस थी जिसमें हम सब लोग थे तो हमारे मैनीफैस्टो में और चुनाव लड़ने में बार-बार इस बात का प्रचार किया गया था कि गांव-गांव में गोचर भूमि छुड़वा देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी के सभासचिव मौर्य जी उसको वापिस लेना चाहते हैं। फिर चकबन्दी करा के वह किसको मिलेगी, या क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह जमीन किसके हक़ में जायगी, उसका क्या होगा, इस पर इस सदन में कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया है। अब तो माननीय मंत्री जी भी आ गये, उनकी बड़ी कृपा हुई, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें जो 'अभिप्रेत' शब्द जोड़ा जा रहा है वह किस लिये जोड़ा जा रहा है। वह जमीन भी क्यों अन्तर्भाव की जा रही है जो चराई के काम में ली जाने वाली हो सकती है। अगर इसकी सफाई मौर्य जी ने की होती तो हम समझ भी सकते और सदन में कुछ रोशनी पड़ सकती। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई खुद दें कि वे ऐसा संशोधन क्यों ला रहे हैं। मैं इसे उनका संशोधन इसलिये कहता हूं कि विधान सभा ने जो एक प्रकार से संशोधन पास किया है वह उनका ही संशोधन है, क्योंकि अगर माननीय मंत्री जी या कांग्रेस पार्टी उसे न चाहती तो वह पास नहीं हो सकता था। इसलिये मेरा यह कहना कि जो विधान परिषद् ने संशोधन किया है वह कांग्रेस सरकार का संशोधन समझा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे संशोधन के लाने की क्या आवश्यकता हुई। ऐसी कितनी जमीन है अपने प्रान्त में? या सरकार को इस विधेयक को हमारे सदन से पास कराने के बाद और कौंसिल में जाने के बीच में क्या कोई ऐसे आंकड़े मिले या ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी जमीनें जो चराई के काम में आने वाली हैं वे बहुत काफी हैं? इन तमाम बातों पर माननीय राजस्व मंत्री जी को और माननीय मौर्य जी को इस सदन में रोशनी डालनी चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर वे रोशनी डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारा एतराज भी खत्म हो जाय। लेकिन मेरा कहना स्पष्ट है कि ऐसी जमीनों के लिये गांवों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि पूरी जमीन का प्लानिंग हो, जितनी जमीन खेती में है उसका कितना हिस्सा हम गोचर भूमि के लिये छोड़ेंगे। यह सारी व्यवस्था होनी चाहिये कि जितना हिस्सा सरकार छोड़ना चाहती है गोचर भूमि के लिये, उतनी जमीन इस समय है या नहीं है। जब तक इस तरह के तमाम आंकड़े सदन में प्रस्तुत न हों तब तक सारी बातों को एक में ही समावेश कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं श्रीमन्, आप के जरिये फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को बतलाना चाहिये कि कितनी जमीन में खेती है और उसका कौन सा भाग चरागाह के काम में आ रहा है क्योंकि श्रीमन् इस सम्बन्ध में बराबर इस सदन में और इस सदन के बाहर भी बातें उठती रहती हैं।

श्रीमन्, इसी लखनऊ में ही कुछ लोग गोरक्षक संघ के नाम पर सत्याग्रह खड़ा करने की बात सोच रहे हैं तो यदि गोचर भूमि को दूसरी जगह से ले कर काम में लाये जाने की बात विधेयक में रखी जाती है तो फिर ये लोग एक और ही बावेला खड़ा कर देंगे कि सरकार गोचर भूमि के लिये कोई जमीन ही नहीं छोड़ना चाहती है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक, संशोधन विधेयक के रूप में उपस्थित किया गया है इससे कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं पैदा हो जायगी कि जिससे गायों को चरने के लिये कोई जमीन ही नहीं रह जाय? अगर ऐसा नहीं है जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, तो ठीक है।

श्रीमन्, मैं आप को बतला दूं कि कभी-कभी माननीय राजस्व मंत्री जी की भावना बड़ी शुद्ध होती है और मैं भी उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें देखना यह है कि वह भावना हो कर ही क्या हुई, जिसको कार्यान्वित न किया जाय और जिसे सरकार ग्रहण न करे? हम सब लोग इस बात को कहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि गांधी जी के राम-राज्य की भावना का हम लोग आदर करते हैं लेकिन गांधी जी के न रहने पर उनकी फिलासफी का दूसरे ही प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट उसको

[श्री राजनारायण]

दूसरे ही तरीके से सोचती है। तो इन तमाम बातों से सारी चीजें स्पष्ट हैं। यह बड़ी ही इम्पार्टेंट चीज है कि हम लोग सदन में बैठ कर विधान बनाते हैं। इसलिये हम जानते हैं कि दिक्कतें हैं, फिर भी सरकार की ओर से इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जहां तक हो सके स्पष्ट बातें सदन के सामने आनी चाहिये। अगर यह समझा जा रहा हो कि हम जो विरोध कर रहे हैं वह जायज है तो इसके ऊपर विचार किया जाय या अगर सरकार की दृष्टि में नाजायज है तो यह क्यों नाजायज है। इस क्यों पर प्रकाश डालना जरूरी है और जब तक इस क्यों पर प्रकाश नहीं डाला जाता तब तक हमारा विरोध रहेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो आक्षेप इस शंका से किया, उनकी वह शंका सही नहीं है। इस का शायद उन्होंने यह अर्थ लगाया कि गोचर भूमि जो चकबन्दी में शामिल समझी जायगी यानी उसकी भी चकबन्दी की जा सकती है। इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि जो गोचर भूमि होगी वह भी जोत के काम में लायी जायगी और गोचर भूमि नहीं रह जायगी— यह अर्थ नहीं है, बल्कि जब चकबन्दी समिति की राय से ऐसी जो गोचर भूमि है उसके अलावा भी जो लोग गोचर भूमि के लिये छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी तमाम गोचर भूमि के लिये भी एक अलग से चक बन जायगा। आप देखेंगे कि इसमें बाग को भी एक्सक्लूड किया गया है लेकिन बाकी सब के चक बन गये हैं। तो जैसे सब जोतों का चक बनेगा वहां गोचर भूमि के लिये भी रखा गया है कि उसके लिये भी एक अलग चक हो जाय तो ठीक है। कई जगह चरागाह रखने की अपेक्षा एक ऐसे ढंग से चरागाहों की शकल रख दी जायगी ताकि उसका एक चक हो जाय, यह नहीं कि वहां गोचर भूमि ही नहीं रहेगी। भूमि प्रबन्धक समिति के नियम के अन्तर्गत यह था कि वह जोत की जमीन को भी गोचर भूमि के काम में लावे। तो इसलिये यह जो कहा गया है "या काम में लायी जाने के लिये अभिप्रेत हो" यानी जो भी इंटेंडेड है चराई के लिये उसका भी चक बनाया जाय। तो इससे उल्टा अर्थ वह क्यों लेते हैं? यह तो अभिप्रेत है कि जो इंटेंडेड है चरागाह के लिये वह भी चक में शामिल कर लिया जाय और उसका भी विचार किया जाय। हम तो उसको चरागाह के लिये एक सहूलियत देने जा रहे हैं लेकिन उसको उन्होंने उलट दिया कि जो भी चरागाह के लिये है वह भी चकबन्दी में आ जायगा। हम तो यह चाहते हैं कि जो इंटेंडेड है चरागाह के लिये अगर हम उसको चाहते हैं तो हम उसको भी ले लें और इस तरह से उनकी जो एक शंका है अपनी जगह पर वह सही नहीं है।

श्री राजनारायण—आपका मतलब है कि अलग-अलग पास्चर लैंड होगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अलग-अलग भी बनें तो इस योजना के अंदर जब हर एक का चक जोत का बनेगा तो जो जमीन निकाली जायगी चरागाह के लिये, उस रकबे और कीमत के मुताबिक वह भी एक जगह हो जानी चाहिये और इसके अलावा अगर चकबन्दी समिति यह सोचती है कि कुछ और जमीन चरागाह के लिये निकाल ली जाय तो सब के मजमुई रकबे में से सम्मिलित रूप से वह जमीन चरागाह में रख दी जायगी इस तरह से वह तो गांव समिति की राय पर निर्भर करता है। सब के सम्मिलित में से भी निकाली जा सकती है और जितनी मौजूदा है वह अपनी जगह पर चरागाह रहेगी, लेकिन जोतों को और देने का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरे जो चरागाह की जमीन है वह किसी को क्यों दी जायगी? उसके देने का सवाल नहीं होता बल्कि और ज्यादा छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ी जा सकती है। इसका अर्थ जैसा राज नारायण जी लगाते हैं वैसा नहीं है। यह तो अभिप्रेत है उसके तो माने यह हैं कि अगर लोग और जमीन छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ें बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय राज नारायण जी ने जो शंका रखी है कि गोचर भूमि

की कमी हो जायगी , तो यह शंका निरर्थक है, क्योंकि भूमि व्यवस्था अधिनियम में इसकी व्यवस्था है कि न तो गोचर भूमि कम रखी जायगी और न कम की जायगी। तो महज कंसालिडेट हो जाने से, चाहे वह काश्तकारों के पास हो या गांव समाज के पास हो , फायदा ही होगा। उसकी चकबन्दी होना बहुत जरूरी है चाहे वह गांव समाज के पास हो , किसी खातेदार के पास हो या किसी काश्तकार के पास हो या अगर वह और जमीन इसके लिये देना चाहता है तो वह भी इसमें आ जायगी और इसलिये जो शंका श्री राज नारायण ने उठाई है, मेरी समझ में निरर्थक है।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)— उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इसमें लाया गया है, उसको आप की आज्ञा से मैं फिर पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है : "या जिसमें १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ लागू होती है धारा १३२ पास्चर भूमि ( चरागाह ) के बारे में है उसमें यह है कि पास्चर लैंड इस जोत में सम्मिलित कर रहें है और यह कह रहे है कि १३२ धारा इसमें लागू नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कन्ट्रेडिक्शन (विरोधाभास) है क्योंकि धारा १३२ में यह जमीन गांव समाज की है और वह अगर उठायी जाती है किसी सीरदार को या असामी को तो वह ठीक नहीं है। अगर पास्चर भूमि नहीं उठायी जा सकती तो आप कहते कि चकबन्दी में यह धारा उस पर लागू नहीं होगी । दूसरा मेरा एतराज यह है कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) हो रहा था उस समय जमींदारों ने तमाम जमीनों के पट्टे कर दिये। अब तक तो ऐसा था कि जिसके पास जमीन पहुंच गयी उसने अपना नाम कायदे से लिखा लिया लेकिन अब भी ऐसी परिस्थिति है कि जहां लोगों ने गांवों की परती जमीनें तोड़ ली हैं और उन पर क़ब्जा कर लिया है।

वेस्टर्न (पश्चिमी) जिलों में हो सकता है कि जमीन कम हो, लेकिन मैं बता सकता हूं कि बुन्देलखंड में कितने ही ऐसे गांव हैं जिनका मुझे अनुभव है कि वहां एक बीघा भी परती जमीन बाक़ी नहीं रही है, वहां यह हुआ है कि जिसके हाथ में लाठी है उसने जो चाहा किया है, "माइट इज राइट" वाली बात वहां हुई है और जो वहां के सबल लोग हैं, उन्होंने एक बीघा भी जमीन बाक़ी नहीं छोड़ी है और मैं ऐसे कितने ही गांवों का नाम बता सकता हूं कि जहां नाममात्र की भी परती जमीन नहीं रही है। इसलिये इसमें जो कहा गया है कि जो चरागाह के प्रयोग में आते हैं या जिनके लाये जाने का काम हो रहा है उसमें लागू हो। मैं समझता हूं कि यह पहले के जमींदारों को एक प्रकार से सुविधा दी जा रही है और जहां उन्होंने जबर्दस्ती क़ब्जा कर लिया है तो चकबन्दी में वह एरिया आ जायगा और उसको लीगल करार दिया जायगा और चकबन्दी के हक़हकूक उसको मिलेंगें। धारा १३२ जो है वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं वह इस प्रकार है: "धारा १३१ में किसी बात के रहते हुये भी किन्तु धारा १९ के निदेशों को बाधित न करते हुए निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे:—

(क) पशुचर भूमि या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो, और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ख) अस्थिर या अस्थायी खेती के ऐसे भूखंड, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, और

( ग ) ऐसी भूमि, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है।"

इतना ही नहीं कि परती तोड़ ली गई हैं बल्कि जहां पर पहले तालाब थे और जिन में ग़रीब लोग जो धींवर कहलाते हैं सिंघाड़ा आदि बो लेते थे और लोगों ने जो बन्दी बनी

[श्री जोरावर वर्मा]

हुई थीं उनकी मिट्टी खोद डाली है और वहां भी अब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है। और मैं क्या कहूं जो शक्तिशाली लोग हैं उन्होंने नाजायज तौर पर सब जगह कब्जा कर लिया है। अब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जो था वह तो खुद ही फेल हो रहा है और गांव समाजों को अपनी जमीन नहीं मिल रही है और जो संशोधन कौंसिल से लाया गया है मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा जरिया उन लोगों को दिया जा रहा है, जिन्होंने जमीन पर नाजायज तौर से क़ब्जा कर लिया है। इन शब्दों के साथ मैं इस सेक्शन का विरोध तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आशा है कि जो शंका मैंने प्रकट की उसको दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी अवश्य ही इस में संशोधन लाने की कृपा करेंगे ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमान् जी, सुल्तानपुर में और खासकर हमारे क्षेत्र में चकबंदी हो रही है। मुझे उसका जाती तजुर्बा है। दो बातें यहां हाउस में उठायी गयी हैं। एक तो रिश्वत के बारे में और दूसरी बात चरागाह के मुताल्लिक। तो इन्हीं दो विषयों पर मैं कहना चाहता हूं। पहले हम लोगों को भी इस बात का खतरा था कि रिश्वत होगी, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां जो तरीका है और जो हम लोगों ने देखा है उससे यह चीज बहुत साफ हो गयी है कि रिश्वत की कोई जगह नहीं है। वहां हर गांव में एक पटवारी है। पटवारी अपनी ड्यूटी बजाता है और गांव के लोगों से कहता है कि आइये पड़ताल पर चलिये। गांव के दस, बीस, पचास आदमी पटवारी के साथ हो लेते हैं और वह खेतों पर जाकर रेकार्ड को सही करता है और इससे यह मालूम हो सकेगा कि ५९ हजार गलतियां सिर्फ एक तहसील में पायी गयी हैं। यह इस बात का सबूत है कि जो गलतियां थीं वह सही कर दी गयी हैं। अगर यह चीज न आयी होती तो कहा जा सकता था कि गलतियां रह गयी हैं, लेकिन गलतियां कहीं नहीं रह गयी हैं। पटवारी जा-जा कर गांव वालों को इकट्ठा करता है और वह लोग उसके साथ जाते हैं और अपने-अपने खेतों पर जाकर उसको सही कराते हैं। उस कागज को लेकर गिरदावर कानूनगो निकलते हैं और मैं खुद उनके साथ गया था। ऐसे गांव मिले जहां पर जमींदारों ने पटवारियों की छातियों पर बल्लम रख दिये और कहा, नहीं तुम हमारे नाम में रखो, वहां पर पुलिस भी रखनी पड़ी है। बाज-बाज गांव में तो यह सब चीजें आयी हैं, लेकिन रिश्वत का कहीं नाम ठिकाना नहीं रहा है। एक बात मैं और कहूं कि नायब तहसीलदार साहब के साथ मैं हफ्तों रहा १५ दिन तक उस क्षेत्र में था, जहां चकबंदी हुयी है। एक दफा एक गांव में गया तो क्या देखा कि एक पटवारी रोता हुआ गिर पड़ा नायब तहसीलदार साहब ने पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि अगर नाजिम साहब कहते तो मुझे मौत के मुंह से बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं किया और हमें यहां भिजवा दिया। अगर कुछ लेनदेन की बात होती तो वह रोता नहीं और चिल्लाता नहीं और यह नहीं कहता कि हमें मौत के मुंह से बचाइये। लेनदेन की बात यहां हो भी नहीं सकती इसलिये कि काम इतना होता है कि लोग उनके सिर पर सवार रहते हैं। दो चीजें जरूरी हैं एक तो यह कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात का खयाल रखें कि जब उनके यहां चकबंदी हो तो वे साथ रहें और इन चीजों को देखते रहें और दूसरी यह कि हुकूमत को यह करना है कि डिप्टी कलेक्टर उस जिले में ऐसा होना चाहिये जिसका रिश्वत के नाम पर खून खौलता रहे। अगर डिप्टी कमिश्नर ऐसा नहीं होगा तो लोग जो उसके मातहत होंगे वह नरम पड़ जायेंगे और रिश्वत की गुंजाइश हो सकती है।

श्री चरण सिंह—आपके तो यहां इसी प्रकार के डिप्टी कमिश्नर आजकल हैं।

श्री नाजिम अली—जी हां, यह तो सही है कि हमारे यहां के डिप्टी कमिश्नर इसी तरह के हैं। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि उनका एक महीना हुआ तबादला कर दिया गया था, तो मैंने आकर पंत जी से कहा कि इन्हीं की बदौलत चकबंदी हमारे यहां ठीक से हो रही है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके हटाने से अगर चकबंदी पर असर खराब पड़ा तो सभी जगह इसका असर पड़ेगा इसलिये मेहरबानी करके रहने दीजिये और वह वहीं हैं और हमारी प्रार्थना है कि जब तक एक तहसील में चकबंदी न खत्म हो जाय तब तक उनको वहीं रहने दिया जाय। तो हम सदस्यों को भी यहां हाउस में बैठकर केवल बातें नहीं करनी चाहिये बल्कि हमें अपने क्षेत्रों में भी जाकर देखना चाहिये और उनके साथ रहना चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो फायदा किसानों को जमींदारी के खत्म होने से नहीं पहुंचा है वह आज चकबन्दी से पहुंचा है और पहुंच रहा है। जो मुखालिफत करते हैं वे तो चाहते हैं कि लोग गरीबी में पड़े रहें, मुहताज रहें ताकि उनको हुकूमत को उलटने का मौका मिले। इसीलिये वे लोग अच्छी से अच्छी बात को भी बुरा करके कहना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि चकबंदी किसान के लिये बहुत अच्छी चीज है। इन लाल टोपीवालों ने हमारे क्षेत्र में जाकर हुल्लड़बाजी की थी, लेकिन यह ऐसी चीज है कि जो मुखालिफत करेगा वह जिन्दा नहीं रह सकता, जो मुखालिफत करेगा उसकी पार्टी खत्म हो जायेगी, क्योंकि यह किसानों के बड़े फायदे की चीज है।

दूसरी चीज जो चरागाहों के सम्बन्ध में कही गयी है। किसी सोशलिस्ट पार्टी, किसी कांग्रेस पार्टी या किसी के पास यहां पर गाय नहीं, बैल नहीं, भैंस नहीं, लेकिन बातें सब करते उसी की हैं। गाय, बैल और भैंस तो हमारे किसानों के पास हैं और चकबंदी में किसानों को अख्तियार दिया गया है और वे अपनी जितनी जमीन चाहेंगे चरागाह के लिये छोड़ देंगे। तो जो यहां हाउस में बैठ करके कहते हैं, वे बिलकुल बेमतलब बात कहते हैं। उनको तो बिलकुल अख्तियार दिया गया है कि वे पहले अपनी कह लें कि इतनी हम जगह चाहते हैं चरागाह के लिये, इतनी हम चाहते हैं खेल के मैदान के लिये, इतनी हम चाहते हैं बागीचे के लिये। वह सब जमीन निकालने के बाद तब चकबन्दी होती है। तो फिर यह कहना कि चकबंदी हो जायगी तो चरागाह कहां रहेंगे यह बिल्कुल गलत है। गांव वालों को पहले अख्तियार है कि वह जितनी जगह जिस जिस काम के लिये चाहते हैं, उतनी जगह निकाल कर तब चकबन्दी की जायगी। तो यह सब चीजें जान करके करनी चाहिये। बस मुझे यही निवेदन करना है कि कोई चीज न रिश्वत की है, न गड़बड़ी की है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो किसानों के फायदे के लिये न हो। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इसे पास होना चाहिये।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय व्रज विहारी मिश्र दो बार खड़े हो चुके हैं, उनको और मौका दे दिया जाय।

**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजनारायण जी का भाषण बड़े गौर से सुना है और माननीय जोरावर वर्मा जी का भी भाषण सुना है.....

**श्री राजनारायण**---आप सुनते हैं, समझते नहीं हैं, यही हमको अफसोस है।

**श्री व्रजविहारी मिश्र**---यह तो आप ही पर लागू होता है। इसमें जो इन्होंने शंका प्रकट की है वह बिल्कुल निर्मूल है। जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसके पढ़ने से ही प्रगट हो जावेगा कि वह गलत है। मुझे अफसोस है कि माननीय राजनारायण जी उठ कर चले गये ज्यों ही मैंने अपना भाषण शुरू किया, इतना ही अगर इन्होंने कष्ट किया होता कि जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसको पढ़ लिये होते तो मेरा ख्याल है कि वह यह शंका उपस्थित न किये होते जो उन्होंने की है। इसके देखने से मालूम होता है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि

"इस खंड में शब्द 'जोत' में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लायी जाती हो या काम में लायी जाने के लिये अभिप्रेत (intended) हो.....''

इसमें दोनों चीजों का समावेश कर दिया गया है कि जो भूमि पशुचर भूमि है, पशुचर के रूप में जिसका प्रयोग होता है या जो भूमि पशुचर के रूप में लायी जाने के लिये ( Intended ) है, दोनों भूमि से इसका सम्बन्ध है। इसलिये यह प्रश्न कहां उपस्थित

[श्री व्रजबिहारी मिश्र]

होता है कि गोचर भूमि समाप्त हो जायगी । आज हम कांग्रेस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या और पार्टियां जो कहती हैं कि गौओं का ह्रास हो रहा है और जिसके लिये गोसम्बर्धन कमेटी बनायी गयी है, इन सब बातों का जिक्र करते हैं श्री राजनारायण जी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे ऐसी बातें क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है । हम तो चाहते हैं कि गोचर भूमि छूटे और जो गोचर भूमि इस समय है अथवा जो अब बनने वाली है सबके लिये यह लागू होगा । इसी स्पष्टीकरण के पढ़ने से यह साफ प्रकट हो जाता है । उस पर भी माननीय राजनारायण जी ने शंका की है और श्री जोरावर वर्मा ने भी शंका की है । उनकी भी शंका मेरी समझ में नहीं आयी । मैंने प्रयत्न किया समझने का। धारा १३१ में बिल्कुल साफ तौर पर लिख दिया गया है कि पशुचर भूमि अथवा जो भूमि गोचर भूमि है उस पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं प्राप्त किया जा सकता है । अगर कोई किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं किया जा सकता है पशुचर लैन्ड पर तो फिर क्यों घबड़ाहट उनको होती है कि पशुचर लैन्ड भी खत्म हो जायगी । उनकी यह भी शंका है कि पुराने जमींदार जो हैं वह जमीन इस विधेयक के अनुसार उनके कब्जे में रह जायगी, यह ठीक नहीं है । अगर माननीय सदस्य इसे ध्यान से पढ़ें तो इसमें साफ तौर पर दिया गया है कि जो गोचर भूमि है वह गोचर भूमि ही रहेगी और इसके लिये जो संशोधन इस विधेयक में किया गया है, हम समझते हैं बिल्कुल साफ हैं इसके विवाद में समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिये । इसको जैसा है पास करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने जो विरोध किया है वह निर्मूल है और वे उसे वापस ले लेंगे ।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नहीं अब तो और कुछ विशेष कहना नहीं है ।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है ।

विधेयक के वर्तमान खंड नं० २ को खंड २ के उपखंड (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को उक्त खंड के एक नये उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय---

"(२) मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (२) में "अपवाद" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

स्पष्टीकरण---इस खंड में शब्द "जोत" में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लायी जाती हो या काम में लायी जाने के लिये अभिप्रेत (Intended) हो, किन्तु उसमें ऐसी भूमि का अन्तर्भाव नहीं है जो अधिनियम की धारा ४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति के दिनांक को बाग थी या जिसे १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १३२ लागू होती है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष---अब विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सं० २ * पर विचार होगा ।

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं ।

---

* संशोधन---

२---खंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"३-क---मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द 'सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत को परताल करके' के स्थान पर शब्द 'नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल करके' रख दिये जायं और दुबारा प्रयोग हुये शब्द 'करेगा' और शब्द 'जिसमें' के बीच में शब्द 'या करायेगा' रख दिये जायं ।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पहले उपस्थित हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष—उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने उसको ले लिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि मौर्य जी ठीक कह रहे हैं कि पहले उसको वह उपस्थित कर दें।

उपाध्यक्ष—उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तो मैं समझता हूं कि नियम भी है कि स्पीकर की तरफ से यह उपस्थित कर दिया जाता है। मैंने इसका हवाला दे दिया कि संशोधन संख्या २ पर विचार जारी कर रहा हूं। पहले भी मैंने उसे इसी प्रकार पेश कर दिया था, उस पर उसका विरोध हुआ। तो विरोध के लिये मैं मौका दे दे रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं कोई बात नहीं है।

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करके माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधान परिषद् ने संशोधित रूप इस अंश का किया है उसे अस्वीकार किया जाय और जो कुछ हमने पहले यहां से पास किया था, उसी तरह उसे रखा जाय। मैं इसको तो समझने में असमर्थ हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने विधान परिषद् में जाकर के इसे क्यों स्वीकार किया और वह स्वयं ही इस बात को बता सकेंगे कि आखिर क्या कारण थे, जिनकी वजह से जहां तक मैं समझता हूं कि एक इतना बड़ा परिवर्तन उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं ऐसा सोचता नहीं हूं कि उनको अपील करूं कि वे यहां अपनी राय के मुताबिक इसे वापस लें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सम्मत्ति वहां दी है और उस सम्मत्ति के अनुसार वह जरूर चाहेंगे कि यहां भी सदन उसी प्रकार का मत दे। लेकिन मैं माननीय सदन से ही अपील करूंगा कि इस संशोधन को उस रूप में स्वीकार कर लेने से जैसा कि विधान परिषद् ने किया है हमारी चकबंदी की योजना के सफल होने में बड़ी दिक्कत दिखायी देती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो निर्विवाद है कि हमारे देश में कब्जे के सम्बन्ध में जमीन पर बहुत झगड़ा है और कब्जे के लिये यह जरूरी हो जाता है कि जहां पर हम चकबंदी करें, चकबंदी की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि कब्जे का सही सही इन्दराज कागज में किया जाय। कब्जे का सही इन्दराज अगर लेखपाल महोदय ने किया होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमको एक ड्राइव सारे देश में करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रमाण काफी है। सुल्तानपुर और बरेली को ले लीजिये। बरेली की एक तहसील में सरकार द्वारा जो आंकड़े हमारे सामने बताये गये हैं, कुछ थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन यह बतलाया गया कि जब एक ड्राइव किया गया वहां पर कागजात की दुरुस्ती का तो ७५ हजार गलतियां एक तहसील में मिलीं। सुल्तानपुर के मुसाफिर खाने तहसील में जब काम शुरू किया गया चकबंदी का तो मुझे यह मालूम हुआ है कि एक तहसील में सवा लाख गलतियां मिलीं। तो फिर इस बात को तो स्वीकार ही कर लेना पड़ेगा कि लेखपाल साहबान की कलम जो है, वह आज भी पवित्र नहीं है और वह सही नहीं है। और फिर जब हम चकबंदी के लिये एक योजना बनाते हैं कि कंसोलिडेशन करके सरकार अपने को कंसालिडेट करती है तो फिर इस कंसोलिडेशन को पवित्र रखा जाय और लोगों की आराजी का सही सही कंसोलिडेशन हो सके तो सही बात होगी।

मैं नहीं कह सकता कि सुल्तानपुर में जो काम हो रहा है उसमें कहीं रिश्वत नहीं ली जा रही है जो कुछ नाजिम साहब ने कहा उसका अविश्वास करने का कोई कारण मैं नहीं समझता हूं और वह उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी राय है कि वहां रिश्वतखोरी नहीं होती है और ईमानदारी से काम होता है, मैं भी उनकी राय को मानता हूं लेकिन इसके साथ-साथ इस बात को भी श्रेय देना पड़ेगा कि सुल्तानपुर के जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

एक स्थान ऐसा है कि अगर ऐसे हो अन्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट इतनी दिलचस्पी के साथ, मेहनत के साथ और गरीबपरवरी के साथ कार्य करें तो हो सकता है कि यह काम पवित्रता के साथ हो सके। लेकिन मुझे यह मालूम है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ऐसे कलेक्टर की इज्जत आज की सरकार के सामने नहीं है और यह सरकार शायद ऐसे कलेक्टर नापसन्द भी करती है।

कुछ सदस्य--मुअत्तिल कर देंगी।

श्री गेंदा सिंह--ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मुअत्तिल करने का कोई कारण नहीं है। सही काम मुअत्तली का कारण नहीं हो सकता है। मुमकिन है कि कलेक्टरी करने के काबिल न रह जायं कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करनी चाहिये, जिसने सवा लाख गल्तियां पकड़ने के बाद भी वहां रिश्वतखोरी नहीं रहने दी। मुझे मा ूम है कि वह कलेक्टर दौड़ता है, गांवों में जाता है और अपने मातहतों के ऊपर लगाम रखता है और सोचता है कि कैसे काम करना चाहिये, ताकि सरकार और उसकी बदनामी न होने पाये और फिर गरीबों को आजादी भी है।

मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि इस तरह के लोग सरकार पैदा नहीं करना चाहती है, सरकार इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन देना नहीं चाहती है। मैं शुबहा करता हूं और इसी के साथ साथ सदन के सामने यह कहता हूं कि जब पिछली मर्तबा इस सदन में इस पर विचार हुआ था तो यह निश्चित हुआ था कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर के नीचे वाले को पड़ताल का काम सिपुर्द नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गयी कि सरकार ने अपनी राय बदली कि वह खुद पड़ताल नहीं करेंगे करायेंगे, तो श्रीमन्, अगर वह करायेंगे तो कौन करेगा पड़ताल यह मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कंसोलिडेटर करेगा।

श्री गेंदासिंह--वह कानूनगो होगा और उनकी मदद के लिये ४६० के इर्द गिर्द लेखपाल होंगे। मैं बहुत जोर के साथ और बहुत आग्रह के साथ सदन के सामने कहना चाहता हूं कि यह बुनियाद है चकबन्दी की और इसी बुनियाद पर चकबंदी की दीवार खड़ी होगी। अगर बुनियाद दुरुस्त होगी, टेढ़ी नहीं होगी तो आगे चकबंदी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर यह बुनियाद बिगड़ गयी तो कंसोलिडेशन की ऊपर की दीवार ठीक नहीं हो सकती है। इसलिये हमने कमेटी स्टेज और सिलेक्ट कमेटियों में और सदन में बराबर जोर दिया था कि लेखपालों के ऊपर पड़ताल का काम न छोड़ा जाय। यह मैंने माना कि जो लेखपाल वहां के मौजूदा लेखपाल होंगे उनके अलावा भी दूसरे लेखपाल जायेंगे उनके काम देख रेख करने के लिये लेकिन वह लेखपाल साहबान ही करेंगे और एक लेखपाल साहब के काम की निगरानी दूसरे लेखपाल करेंगे और फिर उसके बाद कानूनगो साहब, जिनका सम्बन्ध लेखपालसहबन से बहुत नजदीक का होता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं मालूम होता कि हजार उपाय करने के बाद आज भी कानूनगो लेखपालों से अपनी माहवारी जो रस्मी तौर पर उनको मिलती है, उसको लेने में पीछे नहीं हैं। पहले कुछ दिन यह झगड़ा जरूर चला था पटवारियों से। उन्होंने इन्कार कर दिया था कि हम महीने में जो दो रुपया या तीन रुपया दिया करते हैं, वह नहीं देंगे। उसका क्या परिणाम हुआ, उस बात को छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी चर्चा इस वक्त नहीं, वह स्वयं राजस्व मंत्री जी समझें, सरकार समझे कि उसका फैसला क्या हुआ।

आज भी मैं यह पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या इस सरकार को यकीन है कि जो कानूनगो हैं सूबे के, उनमें से अधिकांश ऐसे नहीं हैं जो लेखपाल से महीने में अपनी रस्मी तौर से कुछ रकम वसूल करते हैं। तो कानूनगो और लेखपाल का ऐसा सम्बन्ध है कि इन दोनों के सम्बन्ध से पड़ताल दुरुस्त नहीं हो सकती। जो पहले गलतियां थीं, वे आज भी मौजूद रहेंगी।

इसी लिये यह बात सोची गयी थी कि बजाय कानूनगो और लेखपालों की पड़ताल के, पड़ताल करायी जाय नायब तहसीलदार से, जो असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसर होगा। अगर असिस्टेन्ट कंसालिडेशन अफसर से करायें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका सम्बन्ध नहीं होगा। शास्त्री जी कहते हैं एक उसका भी सम्बन्धी हो सकता है। तो वह ठीक है, आपस के सम्बन्ध कैसे टूटेंगे, लेकिन उसका बहुत दूर का सम्बन्ध हो सकता है, वह होगा। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि इस वक्त असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसरों का अप्वाइंटमेंट हो रहा है। उनका कोई सम्बन्ध किसी गांव से आज तक नहीं रहा है और अगर हो भी मैं मानता हूं कि ऐसी योजना है जिस में पुराने लोग भी आयेंगे, फिर भी पुरानी सर्विस जो है उस खास मुकाम में से जहां चकबंदी का काम है उसका सम्बन्ध नहीं होगा। जरा दिक्कत होगी उन्हें अपना मामला तय करने में, जल्दी सम्बन्ध स्थापित करने में। मैं समझता हूं कि मनुष्य स्वभाव में कमजोरी होती है और मैं उसको मानता हूं कि रुपया देख कर और कुछ और चीजें देख कर आदमी दौड़ता है, लेकिन अगर उसके लिये परिस्थिति न पैदा हो और उसके सामने रुपया न आवे और दूसरी चीजें न आवें तो कमजोर मनुष्य भी अपने को बचा सकता है। उस कमजोरी को मानते हुए मैं समझता हूं कि हम वह कमजोरी न पैदा करें जिसमें उसको रिश्वत मिलने की गुंजाइश हो सके और ऐसा करके माननीय सदन बहुत बुद्धिमानी का काम होगा तो मैं समझता हूं कि यह शब्द जो रखा गया है यहां पर उसको नामंजूर किया जाय। मैं माफी चाहूंगा यह स्पष्ट कहने के लिये क्योंकि स्पष्ट कहने पर हम यह देख रहे हैं कि बहुत नाराजगी उधर से हो रही है और दिक्कत हमारी यह है कि उस नाराजगी की परवाह तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर एक हाथ से ज्यादा उसकी परवाह करें तो हम भी अपने कर्त्तव्य में गिर जायेंगे। हम इसलिये नहीं आये हैं कि हम नाराजगी से किसी की डर कर सच्ची बात न कहें।

हम यह कहना चाहते हैं कि इन लेखपालों को जबकि राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि लड़के हैं, इनके काम पर कुछ देख-भाल और निगरानी नहीं करनी चाहिये और जिसके ऊपर कि सारे सूबे का दारोमदार है, सारे आंकड़ों का और सारे भूमि सम्बन्धी रेकार्ड और कागजों का उसको हम इस तरह से सौ चेकि वह सबके सब अच्छे ही आदमी हैं, वे तो पटवारियों की जगह पर आये हैं, इसलिये ये गलती कर ही नहीं सकते पटवारी ही कर सकते थे। चूंकि माननीय राजस्व मंत्री ने उनकी नियुक्ति की है इसलिये वे गलती नहीं कर सकते। यह भावना आदमी को बहुत गलत जगह पर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि लेखपालों के सम्बन्ध में जो माननीय सदन ने अपनी राय जाहिर की माननीय राजस्व मंत्री जी कम से कम उससे सबक लें। एक आदमी भी लेखपालों के पक्ष में नहीं बोला। पुलिस के सम्बन्ध में तो एक आदमी माननीय गृह मंत्री जी को मिल भी गया था। पुलिस के पक्ष में कुछ कहने के लिये, लेकिन लेखपालों के बारे में इस सारे सदन में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके पक्ष में कुछ कहता। मैंने तो मुलायम बात कही थी, लेकिन उसके बाद जो माननीय राजस्व मंत्री को सुनने को मिला उससे वह विचलित हो गये। मैं देख रहा था उनके चेहरे को कि कितना तमतमाया हुआ था और उसी तमतमाहट में उन्होंने न जाने क्या क्या कह डाला। सरकार चकबंदी करके सारे प्रदेश का भला करना चाहती है। तो भलाई करने में बुराई न हो यह ज्यादा अच्छी चीज है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि पैसा कहां से लायें। तो पैसा सरकारी खजाने से तो जायगा नहीं। वह तो जिनके खेत चक में मिलाये जायेंगे वे देंगे। हम चकबंदी चाहते हैं हम देंगे। माननीय मदनगोपाल जी वैद्य हमारी तरफ तो बैठते नहीं हैं। वह तो उसी पक्ष के हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा उससे सबक लेना चाहिये सरकार को। उन्होंने आज ही इस विधेयक पर बोलते हुए कहा कि लेखपालों का क्या काम है। तो हम तो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के पक्ष के लोग जो सरकार को शेष नाग के सिर पर बैठाना चाहते हैं उनकी बात तो कम से कम समझना चाहिये कि सही कहते हैं। तो रुपए की बात नहीं उठायी जा सकती। रुपया हम देते हैं। इसलिये अगर पटवारी काम न करे, नायब तहसीलदार करे तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। फिर सरकार ने जो स्कीम पहले दी थी, उसमें यही था कि नायब तहसीलदार पड़ताल करेगा और उस स्कीम के मुताबिक ऐक्ट में हिसाब लगा लिया गया था कि इतना रुपया

[श्री गेंदा सिंह]

तक हमको किसानों से वसूल करना है। वह पास हो गया और वह पैसा किसानों से वसूल किया जायगा। लेकिन आज कहा जाता है कि नायब तहसीलदार नहीं करेगा, बल्कि लेखपाल करेगा। मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हू। सरकार को कहने से कोई लाभ नहीं है, माननीय सदन से कहना चाहता हू कि चकबंदी के काम में यह काम नुकसान पहुंचाने वाला होगा। माननीय राजस्व मंत्री ने मुजफ्फरनगर की मिसाल दी। मैं वहां की बात नहीं करता। वह तो पंजाब से मिला हुआ है, छोटे खाते हैं, सम्पन्न और पढ़े लिखे लोग हैं और दिल्ली के पड़ोस में है। किसान खुद इतना सचेत है कि जब कि वह खुद कंसालिडेशन कराना चाहता है तो वह खुद कंसालिडेटेड भी है। लेकिन दूसरे जिलों की बात लेकर के हम कहने लगें तो यह बहुत गलत बात होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ दो लेखपालों को बर्खास्त करना पड़ा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पड़ताल में क्या क्या करना होगा, कैसे काम करना होगा यह सब एक पत्रिका में दिया हुआ है। आपकी इजाजत से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नाम की यह पत्रिका है सितम्बर की। इसमें उन्होंने फरमाया है कि "उन सुपरवाइजर कानूनगो तथा लेखपालों के खिलाफ, जो पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न पाये जायेंगे, तुरन्त सख्त कार्यवाही की जायगी। बरेली में इस आंदोलन के दौरान में लगभग ३२ लेखपालों को नौकरी से हटाया गया था और कई सुपरवाइजर कानूनगो के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी दूसरी कार्यवाही की गयी थी। इसका असर भी अच्छा हुआ था"।

तो यह जहां पर ७५ हजार इंट्रीज गलत पायी गयीं बहेड़ी तहसील या कौन सी तहसील है, वहां ३२ लेखपालों को बर्खास्त किया गया और अनेक सुपरवाइजरों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्यवाही करनी पड़ी। तो दो के खिलाफ मुजफ्फरनगर में कार्यवाही की गयी और ३२ के खिलाफ बरेली में की गयी। अगर हम बरेली से नीचे चलें, तो एक तहसील में ३२, उसको मल्टिप्लाई कर लिया जाय तहसीलों के हिसाब से। मैं नहीं समझता कि बर्खास्त करने की जरूरत है। मैं जरूरत समझता हूं कि इस बात को कि उनको करेक्ट किया जाय, और जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों का भी चरित्र उठा होना चाहिये, हम इस लेविल पर चाहते हैं कि चरित्र लोगों का उठा हो। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता खराब है। इसलिये सारे नौकर खराब हैं। फिर हम यह क्यों न कहें कि जनता को बनायी हुयी सरकार खराब है। हमारी खराबी से सरकार खराब है खराब दर खराब है, इसलिये हमारी खराबी है। इसलिये इस तरह के उपदेश से कोई और सरकार काम चलने वाला नहीं है। जनता खराब नहीं है, यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। बन लीजिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इस काम को अगर पवित्रता के साथ कराना है तो फिर इस बात की जरूरत है कि लेखपालों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाय, कानूनगो सुपर-वाइजरों पर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाय। फिर इस के बाद जो कंसालिडेशन आफिसर और असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर और सेटेलमेंट आफिसर वगैरह हैं। वे कम से कम ईमानदारी के साथ इस काम को करें। अगर ऐसा काम वह नहीं करते हैं तो मैं बहुत ही अदब के साथ यह कहता हूं कि इस कंसालिडेशन के साथ साथ मुसीबत आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें ज्ञात है गोरखपुर में जो कंसालिडेशन का काम हो रहा था तो उस समय महराजगंज फरेंदा तहसीलों में एक बवंडर खड़ा हो गया। जो वर्तमान डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन हैं वह उस जमाने में वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। मुझे भी उनसे उस समय बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि मेहरबानी करके बन्द करिये इस चकबंदी को। जब जनता का राज्य होगा, उस राज्य में हम जनता की राय से इस कंसालिडेशन को कराने की कोशिश करेंगे। फिर १९४८ में न हुयी। उस समय बन्द होकर फिर आज हमको कंसोलिडेशन के तरफ जाना पड़ा है। उस बात को सोच कर

जो कुछ भी यहां कहा गया है, मैं पढ़ देना चाहता हूं– "मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द 'सम्पूर्ण गांव के खेत की पड़ताल करके' के स्थान पर शब्द 'नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल करके' रख दिये जायं और दुबारा प्रयोग हुआ शब्द 'करेगा' और शब्द 'जिसमें' के बीच में शब्द 'या करायेगा' रख दिये जायं"।

शब्द थोड़े हैं लेकिन बड़े भयानक हैं सारा मतलब ही बदल देते हैं। वह खुद न करके दूसरों से करायेगा इस काम को और जब दूसरों से करायेगा इस काम को तो बड़ी गड़बड़ी होगी। अन्त में एक बात और कह दूं हमको यह जवाब मिलेगा कि साहब बड़ा काम है नौ हजार एकड़ पर एक नायब तहसीलदार को काम करना है, बड़ा मुश्किल हो जायगा। पिछले जमाने में जब से पटवारी गये, तब से डेढ़ हलका पटवारी का जो था उसपर एक लेखपाल काम करता है २७ हजार पटवारियों की जगह पर १८ हजार लेखपाल काम करते हैं। १८ हजार जो लेखपाल काम करते हैं और इस वक्त जो काम उनके सुपुर्द किया गया है पड़ताल का, उसमें इस बात का क्यों ध्यान नहीं रक्खा गया, एक पटवारी के जिम्मे ५०० एकड़ रक्खा गया, और ६ पटवारियों पर एक कानूनगो रक्खा गया, गोया ३,००० एकड़ हुआ और तीन कानूनगो पर एक नायब तहसीलदार हुआ यानी ९ हजार एकड़ में एक नायब तहसीलदार के लिये खेत-खेत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। यह तो हो नहीं सकता कि ९ हजार के ९ हजार का समूचा रेकार्ड गलत ही होगा। अगर यह सोचते हैं माननीय राजस्व मंत्री कि ९ हजार का ९ हजार ही गलत है तो फिर अपने बारे में सोचें कि वह क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सूबे भर के ५० प्रतिशत से ज्यादा इन्दराज होंगे, अगर ५० प्रतिशत से ज्यादा इन्दराज सही हैं तो साढ़े ४ हजार एकड़ ही देखना होगा, नहीं तो ९ हजार देखना होगा। ९ हजार एकड़ देखेंगे तब गल्ती मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आमतौर से हजार दो हजार एकड़ के बाद एक गांव होता है। दो-दो दिन में एक-एक गांव का काम हो सकता है तो १५, २० दिन का काम है। १५, २० दिन में नायब तहसीलदार दौड़ कर पड़ताल का काम दुरुस्त कर देगा और इससे चकबंदी की बुनियाद मजबूत होगी। नायब तहसीलदार अगर नहीं जाता है तो लेखपाल और कानूनगो के भरोसे छोड़ दिया जाता है तो मुझे भय है कि चकबंदी का काम ठीक से चल पायेगा। कानूनगो और लेखपालों से काम लिया जाय, इसके लिये मैं मना नहीं करता, लेकिन नायब तहसीलदार इस परताल का जिम्मेदार हो। अगर परताल के समय परताल दुरुस्त हो गयी तो चकबन्दी का मामला दुरुस्त हो जायगा। अगर आज लेखपालों ने गलत इन्दराज पर काम शुरू करा दिया और काम शुरू हो गया तो परिणाम यह होगा कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी, मुकदमेबाजी ही सिर्फ नहीं होगी बल्कि झगड़े होंगे, उन झगड़ों को दूर करना है। तो उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बढ़िया बात यह है कि लोभ संवरण करें इस बात का, चूंकि अपोजीशन यह कह रहा है इसलिये वह बात न मानी जाय। मैं जानता हूं कि मानेंगे भी नहीं। फिर मैं क्या कहूं? जो तै करके आये हैं वही करेंगे और आज उनको लेखपालों से बड़ी मुहब्बत जो हो गयी है। मैं कोई नियत पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस चकबंदी को बिगाड़ना नहीं है और जैसी कि राजस्व मंत्री जी की नियत भी नहीं है तो लेखपालों को क्यों इसमें दही में मूसर की तरह घुसेड़ा जा रहा है, जहां वे हैं वहीं उनसे काम लिया जाय। अगर ठीक से काम करना है तो जैसा विधेयक है वैसा मंजूर किया जाय और विधान परिषद् ने जो सलाह दी है उससे कहा जाय कि हम ज्यादा सही सोच रहे हैं और इस बात को वह न सोचें और उसे वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला बेवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन का सीधा अर्थ यह है कि जो कंसोलिडेशन आफिसर्स हैं और मूल अधिनियम द्वारा जिनको यह अधिकार दिया गया था कि वे खेतों पर जा जा कर गांवों में पड़ताल करें उन्हें इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपने कामों को न करें और अपने लेखपालों और अपने मातहत के द्वारा पड़ताल करायें। इसके पहले कि मैं इस संशोधन पर अपने विचार

[श्री रामेश्वर लाल]

प्रकट करूं मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी हम प्रयत्न करते हैं या जब कभी कोई सुझाव देते हैं तो उसका बड़ा गलत अर्थ उधर के माननीय सदस्यों द्वारा लगाया जाता है। जब से यह संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ है तब से बहुत लोगों के इस पर मत प्रकट हुये हैं। इसके सम्बन्ध में नाजिम अली साहब बोले और उन्होंने कहा कि विरोधी दल इस सदन में चकबंदी का विरोध करता है। इस संशोधन का विरोध करना और इस संशोधन विधेयक का विरोध करने में बड़ा अन्तर है। इसलिये माननीय सदस्यों को समझना चाहिये कि यह जो संशोधन इस समय प्रस्तुत है आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान उसकी गलतियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर आपके इस संशोधन विधेयक में ऐसी कोई गलती रखी गयी है जिससे हमको यह आशंका है कि चकबंदी जब हमारे प्रान्त में लागू की जायगी और उसका असर ऐसा पड़ेगा जिससे लागू करने में सफलता नहीं होगी तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सरकार को सुझाव दें। यह चकबंदी कोई हमारी सरकार की देन नहीं है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में सन् १९१६ में सबसे पहले यह बम्बई में लागू की गयी थी फिर उसके यहां के लेजिस्लेचर ने फेल कर दिया। १९१७ में पुनः स्थापित करना पड़ा हम यह भी देखते हैं कि चकबंदी भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में भी पहले हुयी थी। यहां हमारे प्रान्त में, पंजाब में और बंगाल में पहले ही प्रयत्न हुआ है हर जगह इस योजना को माना गया था। वह जानते थे कि जमीन के टुकड़े टुकड़े करने से काम नहीं चल सकता है और हिन्दुस्तान में पैदावार नहीं बढ़ सकती है। इसलिये अंग्रेजी जमाने में भी हमारे प्रान्त में यह योजना लागू की गयी थी। पंजाब को चकबंदी का श्रेय मिला इसलिये कि वहां पर जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की गयी और यही वजह है कि पंजाब के किसानों को कोआपरेटिव का मेम्बर बनाया गया और एक लाख से अधिक एकड़ जमीन की वहां पर चकबंदी की गयी। इसी कारण से हमारी सरकार को भी ५० आदमी अपने यहां से पंजाब में ट्रेनिंग के लिये भेजने पड़े। तो यह हम समझते हैं कि चकबंदी की सफलता कोआपरेटिव बेसिस पर हो सकती है और जनता का सहयोग लेने पर निर्भर करती है। अगर इस विधेयक में कोई कमजोरी है और इसमें जनता का सहयोग प्राप्त न होने की भावना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करें और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूं कि इस संशोधन में यह दोष है। पहले यह था कि यदि कोई किसान कागज के इन्दराज के सम्बन्ध में कोई अपील करता था तो उसके लिये उसको ३० दिन का समय अधिनियम में दिया गया था जिसको अब घटाकर २१ दिन कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २१ दिन का तात्पर्य क्या है यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी जब खड़े होंगे तो बतलायेंगे। मैं यह समझता हूं कि ३० दिन का समय उन लोगों के लिये जो पढ़े लिखे नहीं हैं उचित ही मालूम होता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह चीज तो अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—यह तो मैंने इसलिये कहा कि नाजिम अली साहब ने इसका जिकर किया था। अगर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो हम यह समझते हैं कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार को बतलायें उन्होंने एक तरह से जनरल डिस्कशन किया था उसी आधार पर हम सुझाव देते हुए उनकी बातों का जवाब देना चाहते हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हम जब कभी कोई सुझाव देत हैं तो वह चकबंदी का विरोध कर रह हैं। अगर हम विचार सदन में अपना प्रकट करते हैं तो उसके समझने में अन्तर हो जाता है और आप हमारे विचारों से सहमत नहीं होते। किन्तु हम उचित ही सुझाव सदन के सामने रखते हैं। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इस संशोधन के पहले तहसीलदार को यह अधिकार था कि वह गाँव गांव लोगों के खेतों पर जाकर खुद पड़ताल करे लेकिन इस संशोधन विधेयक में यह है कि गांवों में जो चकबंदी समिति बनी है उस चकबंदी समिति को भंग करने का अधिकार चकबंदी अधिकारी को है यदि यह न होता तब तो बात भी ठीक

थी और मैं इसका विरोध न भी करता लेकिन जब इस विधेयक में चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति को भंग करने का अधिकार रखा गया है तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि कुछ लोगों की मोनोपली हो जायगी जो सफेद टोपी लगाते हैं और वे अपनी मनमानी करा लेंगे। अगर चकबंदी समिति को भंग करने का अधिकार दे दिया गया तो लोगों को इससे बहुत दिक्कत हो जायगी और छोटे लोगों को इससे बहुत नुक्सान पहुंचेगा। आपने जो अधिकार चकबंदी अधिकारी को दिया था कि गांव-गांव जाकर वह सही पड़ताल करे वह खत्म हो जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे साथी श्री गेंदासिंह जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके सिलसिले में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं तथा सब भाइयों के कान में डाल देना चाहता हूं ताकि लोग भ्रम में न रहें कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर्स जो नियुक्त किये जायेंगे वे केवल नायब तहसीलदारों में से ही नहीं नियुक्त किये जायेंगे क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत बड़ा काम है। इसलिये उसमें नायब तहसीलदार कानूनगो भी मुकर्रर किये जायेंगे और उनके ऊपर यह काम छोड़ा जा रहा है करें या करायें जब उनको अधिकार दिये जा रहे हैं तो वे किससे करायेंगे, बस पटवारी या लेखपाल ही उसको करेंगे, या उनसे ही करायेंगे। यह चीज बहुत ही भयानक हो जायगी और इसलिये हमें इसका विरोध करना चाहिये। मैं इधर बैठने वाले अपने भाइयों को भी यह बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर केवल नायब तहसीलदार ही न होंगे बल्कि नायब कानूनगो भी होंगे जो लेखपालों से पड़ताल करायेंगे। मैं इससे अधिक और कुछ न कहूंगा सिर्फ सरकार से यह कहूंगा कि वे इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर दे कि नायब कानूनगो भी असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर मुकर्रर किये जायेंगे। अगर सरकार साफ तौर से हमें यह बता दे कि केवल नायब तहसीलदार ही इस पद पर मुकर्रर किये जायेंगे तब हम इस पर गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सदर कानूनगो से यह काम करायेगा, तब किसी हद तक ठीक भी रहेगा। लेकिन जैसा कि मेरा विचार है राजस्वमंत्री जी ने कहा कि काम बहुत बड़ा है, बहुत रुपया खर्च होगा, तो हम अंधेरे में रहना नहीं चाहते कि नायब कानूनगो को भी इस पद पर नियुक्त कर दिया जाय और उसको यह अधिकार दे दिया जाय कि वह पड़ताल दूसरों से कराये। अब वह सिर्फ लेखपालों से ही यह काम करायेगा इस प्रकार से हम लेखपालों को इतना बड़ा अधिकार दे देना मुनासिब नहीं समझते। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं थोड़े ही में माननीय मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि हमें तो वही गोंसाई जी की चौपाई याद आ जाती है "काहि देखि पुनि काहि दिखावा"। यानी होने वाली थी राजगद्दी राम को, मगर हो गया उनको बनवास। अब यह जो चकबन्दी को बड़ी धूम है, बड़ी चर्चा है, बड़ी शोहरत है और माननीय राजस्व मंत्री जी तीन-तीन, ढाई-ढाई घंटे तक पब्लिक मीटिंग्स में चकबन्दी योजना की खूबियों को समझाते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय राजस्व मंत्री जी या माननीय मौर्य जी तुगलकी नीति को छोड़ेगें या बराबर तुगलकी नीति पर ही चलते रहेंगे ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—तुगलकी नीति क्या है, जरा समझा दीजिये।

श्री राजनारायण—एक तुगलक बादशाह था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता था और कभी दौलताबाद से दिल्ली लाता था। यही तुगल की नीति है। श्रीमन्, माननीय शिव नारायण जी अक्सर इस तरह से ज्यादा समय लेना चाहते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार को इस तुगलकी नीति को छोड़ देना चाहिये। तुगलकी नीति मैं क्यों कहता हूं, अगर श्रीमन्, आप इस अधिनियम के पेज ५ में देखें तो ७ में है रीति, नीति और नियम और उसमें सब बातें बतलायी गई हैं। जब-जब इस सदन में मैं जनतंत्र की चर्चा करता हूं तब-तब हमारे कुछ सम्मानित सदस्य खड़े हो

[श्री राजनारायण]

जाते हैं कि यह जनतंत्र कहां से आ गया ? शायद उन्होंने जनतंत्र को, जो कि डेमोक्रेसी का साधारण स्वरूप बालिग मताधिकार ह वही समझ लिया है । मैं उनको समझा देना चाहता हूं कि जनतंत्र एक सर्वांगीण विकास का नाम है जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक अंग को छूता है, वह जनतंत्र है । वह मनोवृत्ति तो सरकार की नहीं होती । जो क्षेत्र है, अभी श्रीमन्, शिक्षा का कोई विधेयक आयेगा तो श्री हरगोविन्द सिंह जी और उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब आ जायेंगे, जब भूमि व्यवस्था व चकबन्दी का विधेयक आया तो माननीय राजस्व मंत्री जी आ गये । "चले थे हरि भजन को ओटल लगे कपास" । तो अब इसको जरा देख लिया जाय कि सहायक चकबन्दी अधिकारी , चकबन्दी की एक स्थायी योजना तैयार करने के बाद सम्पूर्ण गांव के खेत पर जा कर पड़ताल करेगा । श्रीमन् देखना यह है कि नियम में यह व्यवस्था की गयी है कि वह सहायक चकबन्दी अधिकारी खुद सम्पूर्ण गांव की जमीन पर जायेगा । वह मौर्य जी के घर पर बैठ कर नहीं, बल्कि खुद गांव के खेतों पर जा कर पड़ताल करेगा । दूसरी बात यह कि वह गांव के नक्शों, खसरों के रजिस्टर की शुद्धता की वार्षिक जांच करेगा और उसकी परीक्षा करेगा कि वे विवरण ठीक हैं या नहीं । फिर सहायक अधिकारी नक्शे, खसरे व खतौनी की शुद्धता की जांच करने के बाद भौमिक अभिलेखों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगा कि उसकी क्या व्यवस्था है तथा तमाम जो अंडर डिस्प्यूट (विवाद) हैं उन सबको रेकार्ड करेगा ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस हाउस के लोग मुझे अपना आदमी नहीं समझते हैं । मैं आप ही का आदमी हूं , भले ही आप के साथ न हूं, क्योंकि हम तो उन्हीं का काम करते हैं, उन्हीं के हित का काम करते हैं । विद और आफ का अन्तर आप लोगों को समझना चाहिये । जो हमारा संशोधन है वह जनहित में है, जनसुख के लिये है । आप को महसूस करना चाहिये कि हम किसी के हक को छीन नहीं रहे हैं । इस समय जरा माननीय मौर्य जी और माननीय चरण सिंह जी के बयानात को पढ़ लिया जाय जो उन्होंने चकबन्दी बिल ने जब ऐक्ट की शकल ली थी उस समय व्यक्त किये थे । उस वक्त तो बड़ी घोषणा की थी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कि अब नायब तहसीलदार के ग्रेड के लोग भेजे जायंगे, उनको असिस्टेंट सहायक चकबन्दी अधिकारी बना देंगे और वह गांव-गांव और खेत-खेत पर जायंगे और जितने भी झगड़े होंगे किसी भी नेचर के डिस्प्यूट होंगे वह उनको खत्म करेंगे और एक व्यवस्था होगी और जो जिसका हक होगा वह उसको दिला देंगे । इन बातों को समझ कर हमने सोचा था कि देखें चकबन्दी का प्रयत्न कहां तक कारगर होता है और उससे कितना जन हित होता है, लेकिन चकबन्दी अभी शरू भी नहीं हुई, एक दो जिले भी अभी उसमें नहीं लिये गये, ट्रेनिंग की भी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन महल ढहने भी लगा । बड़ा दुख होता है जब इस तरह से सदन का समय खराब किया जाता है और बिल लाने में जल्दी की जाती है । यह तमाशा क्या है कि साल भर भी नहीं हुआ उस पर प्रयत्न भी अभी कुछ नहीं, एक क़दम भी नहीं उठाया गया, अधिकारी गांव में गये भी नहीं और एक नयी व्यवस्था आ गई । यह जो नया खंड ३–क जोड़ा जा रहा है उसको अगर आप देखें तो मालूम होगा कि मूल अधिनियम की धारा ७ में जो शब्द थे "सम्पूर्ण गांव की खेत खेत की पड़ताल कर के" उनके स्थान पर शब्द 'नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल कर के' रख दिये जायं और दुबारा प्रयोग हुए शब्द "करेगा" और शब्द 'जिस में' के बीच में शब्द 'या करायेगा' रख दिये जायं । तो श्रीमन्, देखें कि इस में जो यह है कि शब्द 'करेगा' और शब्द 'जिसमें' के बीच में शब्द 'या करायेगा' रख दिये जायं "। तो जो पुराने अधिनियम में था जिसे मूल अधिनियम कहा गया है कि जो कंसालिडेशन आफिसर होगा उसके लिये कम्पलसरी होगा, वह बाध्य होगा कि वह हर खेत पर जाय और खेत-खेत की पड़ताल करे, नक्शा बनाये और अगर कहीं कोई विवाद होगा तो वह उसको भी दर्ज करेगा और तय करेगा । इसमें किसी को गलत फहमी नहीं हो सकती थी । सहायक चकबन्दी आफिसर पहुंचता और जितनी

शंकायें या अपात्तियां होती वह सब ठीक हो जातीं और रिकार्ड भी सब के हक़ के मुताबिक ठीक हो जाते और किसी के अधिकारों पर कुठाराघात न होता। जब यह मूल अधिनियम आया था तो सदस्यों को बड़ा इत्मीनान हुआ था कि इससे अब कन्सालिडेशन आफिसर के सामने सब ठीक हो जायगा। पता नहीं कि माननीय मंत्री जी यह क्या कर रहे हैं जिनकी मैं व्यक्तिगत तरीके से इज्जत करता हूं, क्योंकि वह मुझसे अवस्था में काफी बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, लेकिन वह कहते हैं कि राजनारायण कभी हमें धन्यवाद ही नहीं देते और जब होता है टीका-टिप्पणी ही किया करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वह किस बात के लिये धन्यवाद चाहते हैं। वैसे ही धन्यवाद देना शोभा नहीं देता, वैसे हम धन्यवाद तो टोकरियों उनके सिर पर लादना चाहते हैं, ताकि वह चलते-चलते गिर जायं और घर न पहुंच सकें। लेकिन आप देखें कि परिस्थिति क्या है कि आज कितने दिन बीते हैं जब यह ऐक्ट बना है और यह संशोधन उसमें फिर आ गया, सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके पर संशोधन आ गया, तो धन्यवाद वह इसी पर चाहते हैं?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—आपकी गाली ही हमारे लिये धन्यवाद है।

**श्री राजनारायण**—आप इसको भी गाली समझ रहे हैं। इतनी सीधी-सादी संयमित भाषा को भी आप गाली समझें तो फिर अगर हम गाली ही देते तो आप न जाने क्या समझते। मूल अधिनियम की धारा ७ में जहां तक हो सके चकबन्दी अधिकारी को कानून के जरिये यह कह दिया था कि तुमको खेत-खेत पर जाना पड़ेगा। अब उनसे राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि भाई देखो अब खेत-खेत पर जाने की परिस्थिति कहां पैदा करोगे, खेत-खेत पर जाने से सब किसान सही-सही हक पा लेंगे, इसलिये जितने अफसर हों, लेखपाल हों वह गांव के जो बड़े-बड़े रईस हों उनको पकड़ लें और उनके यहां हलुवा, पूड़ी, मुर्गी, दही, बकरा, भेड़ा खायें और वहां बैठ कर पड़ताल करें। आंख मूंद कर और "मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं" और वहां बैठ कर चाहे मौर्य जी का नाम लिख दो चाहे राजनारायण का नाम लिख दो। वह चाहते हैं कि ऐसा संशोधन कर दो कि किसानों को जो उसका हक़ छीना जा रहा है उसके बारे में उसके पास जा कर किसान बोले भी नहीं, तो इस लिये संशोधन आया है। मैं तो श्रीमन्, सोच भी नहीं सकता। अगर यह संशोधन श्रीमन्, मुझे लाना पड़े तो मैं सोचता हूं कि शायद नरककुंड का कोई गंदे से गंदा कीड़ा मेरे दिमाग़ को चाट रहा है। जब तक नरककुंड का गंदे से गंदा कीड़ा राजनारायण का दिमाग़ नहीं चाटेगा तब तक राजनारायण ऐसा संशोधन नहीं ला सकता। आखिर माननीय राजस्व मंत्री को क्या हो गया है, जिनका मस्तिष्क बहुत परिष्कृत है, जिनकी दिव्य ज्योति है और जो बराबर एक हक़ और नाहक़ का लिहाज करते हैं। ग्रामवासी जो हमारे सामने बैठे हुये हैं एक बार उनसे बात चीत हुई तो उन्होंने कहा कि तीन प्रकार के इन्सान होते हैं। पहले नम्बर का अव्वल इन्सान वह है जो नाहक को हाथ पैर से रोक दे और दूसरे नम्बर का इन्सान उन्होंने वह बतलाया जो नाहक और हक का एलान कर दे और तीसरे नम्बर का इन्सान वह है जो नाहक को पसन्द न करे और हक़ को पसन्द करे। तो आखिर मौर्य जी किस तरह का इन्सान बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नाहक का काम हो, जो गैरवाजिब काम हो, जो अन्याय का काम हो उस काम को हमारे देश और प्रान्त की जनता हाथ पैर से रोके। अव्वल नम्बर के इन्सान के यह फर्ज बताये गये ह। मगर ये तो यहां की जनता को अव्वल नम्बर का इन्सान नहीं बनने देना चाहते हैं, तो दोयम नम्बर का इन्सान बनने दें और उसे एलान करने दें कि हक क्या है और नाहक क्या है और उसी को जब मैं इस सदन में एलान करता हूं तो कहा जाता है कि यह गाली है। अब गाली का शब्द कह कर इन्डाइरेक्टली मौर्य जी हमसे चाहते हैं कि तुम हक का एलान भी न करो और यह भी न कहो कि यह नाहक है। तो मैं चाहता हूं कि चाहे माननीय मौर्य जी जो कहें चाहे न कहें कि यह आउट आफ आर्डर है, चाहे यह कहें कि

[श्री राजनारायण]

जो विधेयक पर कहना चाहिये था वह नहीं कहा और चाहे यह कहें कि विरोधी दल ने पढ़ने को कोशिश नहीं की और पढ़ कर हमारे सामने कोई तथ्य नहीं रखे, जिससे रोशनी पड़े और इंटेलेक्चुअली इक्विप करे लेकिन मैं तो कहता हूं कि यह बातें कहने की उनकी आदत पड़ गयी है उस पर तो मैं जाता नहीं हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन के लाने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों यह संशोधन आया है, आज सरकार क्यों चाहती है कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर खेत-खेत पर न जायं और क्यों सरकार चाहती है कि तमाम डिस्प्यूट्स के अन्दर न देखें और उनके रेकार्डस् गलत तरीके से हुये हों वह अपने लिये न बोलें, इसका क्या कारण है ? क्यों ऐसा संशोधव आया और एक रद्दी तरीके से ऐसा संशोधन आया कि नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल कर के तो वह नियत की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, कौन नियत करेगा इन प्रक्रियाओं को ? माफ कीजियेगा, मैं आपका नाम ले रहा हूं आप स्वयं जनतंत्र के बारे में एक दो शब्द सुना दिया करते हैं और एक दिन तो यहां तक कह दिया "महिमा बढ़ी समुद्र की रावण बसा पड़ोस" यह उनके शब्द हैं। अच्छा ही है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और कभी-कभी एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से जानने से कंटेक्ट हो ही जाता है, मगर ग्रामवासी जी तो सीधे साधे हैं, इसलिये मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जनतंत्र में जनहित नहीं है। वह जनतंत्र जनतंत्र नहीं है कि जिसमें जनहित न हो। आप लोग जनतंत्र की कसौटी पर जो यह संशोधन ला रहे हैं, क्या यह जनतंत्र के नाम पर जनतंत्र है ? पार्टी पालिटिक्स से अलग हो आप सोचें कि अगर अधिकारी गांव-गांव में, खेतों-खेतों पर नहीं जाते हैं तो इसमें किसका नुक्सान है ? उसमें छोटे किसान का नुक्सान होगा, जो रिश्वत देने की शक्ति नहीं रखता उसका नुक्सान होगा या उसाक नुक्सान होगा कि जो बड़ा किसान है, जो धनपति है, जो लेखपालों को आपने दरवाजे पर बैठा कर के उनको शरबत और खाना खिला कर अपने हक़ में पड़ताल करा सकता है ? दूसरे की सही पड़ताल कटवा सकता है, दूसरे की खेती पर अपना कब्जा लिखवा सकता है, श्रीमन्, मुझे जानकारी है इस बात की कि कितनी ही जगह बेईमानी हुई है। हमारे माननीय मौर्य जी १३५६ की बात कहते हैं, तहसील में मैंने स्वयं लिख कर दिया है कि बड़े-बड़े जमींदार जो पुराने हैं, तजुर्बेकार हैं जो तिकड़म के हथकंडों से वाकिफ हैं वह पुराने रिकार्ड्स को निकाल कर के १३५६ तक अपना नाम करवा लिये हैं और किसी-किसी जगह में मेरी जानकारी के अनुसार, तहसील में बाकायदा काननगो बैठते हैं रेकार्ड निकाले जाते थे पुराने और दिन दहाड़े डंके की चोट पर बड़े-बड़े ताल्लुकदारों और जमीदारों के नाम उनमें चढ़ाये जाते थे। यह हाल है, इनसे मौर्य जी क्यों आंख मूंद रहे हैं, अगर वह आंख मूंदते हैं तो विधान परिषद् से जो नया संशोधन आया है, सदन का फ़र्ज है कि जो व्यवस्था पुराने अधिनियम में की गई थी उसी पर अड़ा रहे। मैं माननीय मौर्य जी से हमदर्दी भी रखता हूं और मैं यह पसन्द भी नहीं करता जैसा कि आज सबेरे अखबार में छप कर निकला है। मैं इस तरह की चीजों को पसन्द नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य उसका जिक्र ही क्यों करते हैं ?

श्री राजनारायण—मैं उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, मगर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़े विचार के बाद किसी ने कहा है कि "Coming events cast their shadows before." आगे आने वाली घटनायें छाया फेंकने लगती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था न रखी जाय जिससे कि इस तरह की गड़बड़ी होने की गुंजायश रहे, इस तरह की गड़बड़ी होने की शंका रहे और आधार रहे। वह आधार जो विधेयक में नहीं था, अब हो रहा है। जब माननीय मौर्य जी इसकी विधेयक में गुंजायश कर देंगे तो उन्हें मौका मिलेगा। पुराने

अधिनियम में "करेगा" शब्द है जो अब "करायेगा" में परिणत किया जा रहा है। वह किससे करायेगा? अगर वह ग्रामवासी जी से कराये या शिवनारायण जी से कराये तो शायद कुछ उद्धार हो, मगर वह करायेगा किससे? उन्हीं लेखपालों से, जिनको हमारे माननीय पांडेय जी ने कहा था कि सरकारपाल हैं। लेखपाल शब्द बहुत सुन्दर है, चाहे जो गढ़ लें, लेकिन यह तो आत्म प्रशंसा है, आत्मश्लाघा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमन्, यह लेख-पाल क्या पड़ताल ठीक करेगा? वह बेचारा पेटपाल हो करके अपने ही को बनाने में रह जायगा। माननीय राजस्व मंत्री जी यहां नहीं हैं अफ़सोस है, उनके प्रतिनिधि स्वरूप मौर्य जी विराजमान हैं, वह खुद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं उस विभाग के। मैं पूछना चाहता हूं कि लेखपालों को श्रीमन्, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक धारणा बन गई है जब-जब माननीय मुख्य मंत्री उठेंगे और दूसर मंत्री उठेंगे तो कहेंगे कि यह तो तमाम सरकारी कर्मचारियों को बेईमान कहता है विरोधी दल। कब हमने कहा? तमाम सरकारी कर्मचारियों को हमने बेईमान नहीं कहा। हम अब भी मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कि मंत्रियों से साफ कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमने जो उचित समझा है वही लिखा है। सरकारी कर्मचारियों को मंत्री लोग दबाते हैं, उपमंत्री लोग दबाते हैं और रूलिंग पार्टी में जिनकी ताक़त मजबूत है वह दबाते हैं और वह कहते हैं कि तुम गलत काम करो। वहां पर वह बेचारा अपना दिमाग खो बैठता है, अपने दिमाग को गिरवी रख देता है, पैसे की लालच में आ करके, वह साहस के साथ टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि वह कर्मचारी है, दरिद्र है। इसलिए श्रीमन्, पैसे की लालच में ३०,४०,५०,७५ रुपया जो भी हो, उसकी लालच में वह बेचारा सोचता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी छूट जायेगी। उस लालच का नाजायज फायदा ले करके यह हमारे मंत्रीगण लोग जनता के हित में कुठाराघात कर रहे हैं और वही कुठाराघात करने के लिये आज इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत है। क्यों वह "करायेगा" "करेगा" क्यों नहीं, उन पर रुपया खर्च होगा। किसान के ऊपर चकबन्दी के लिये साढ़े चार रुपया एकड़, साढ़े ६ रुपया एकड़ लगेगा। मैं समझता हूं यह बिलकुल गलत है, निहायत गलत है।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि चकबन्दी करने में जो रुपया लगेगा वह कहां से आयेगा? हम भी मानते हैं कि मंत्रीगण के पेट से तो पैसा निकलता नहीं है, रुपया जब सरकारी खजाने में आता है टैक्स के जरिये, उसका बोझ तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। तो उस जनता की कमर को झुका करके रुपया तो ले लिया गया साढ़े चार रुपया फ़ी एकड़, उसमें कमी नहीं कर रहे हैं और उस किसान से जो चकबन्दी के काम में सहयोग न करे उससे दो रुपया और बढ़ा करके लेने जा रहे हैं। सरकार मालगुजारी में कमी नहीं कर रही है। अगर हम कहते हैं तो एक जवाब उनकी तरफ से आता है कि इतने असिस्टेंट कन्सोलीडेशन आफ़िसर कहां से रखें? क्यों नहीं रखेंगे साहब? रुपया ले रहे हैं उसके लिये और रुपया ले करके उसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसा संशोधन तो नहीं आया सरकार की तरफ से। अच्छा एक रुपया ही फ़ी एकड़ लेंगे, आठ आना फी एकड़ ही लेंगे या चार आना फी एकड़ ही लेंगे, किसान के ऊपर जो भार पड़ता है वह कुछ हल्का हो। लेकिन कहते हैं कि जो किसान परेशान हो, मर रहा हो, चकबन्दी उसके हित में कही जाने वाली योजना है और उससे रुपया ले करके इन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाय और ग़लत तरीक़े से दिया जाय। एक व्यवस्था थी जिसमें कम्पलशन करके मजबूर किया जा सकता था कानून के जरिये और अगर कंसोलीडेशन आफ़िसर खेत-खेत पर नहीं जाता तो हमारा यह एतराज होता, हम कहते कि हमारे खेत पर असिस्टेंट कन्सोलीडेशन आफिसर नहीं आया, इसलिये यह जो चकबन्दी की रिपोर्ट है यह गलत है, वह हमारे पक्ष में फैसला होने को बड़ा मजबूर करता है। मगर यह नहीं किया जा रहा है तो मौर्य जी, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका चकबन्दी विधेयक अब जा रहा है बड़ी-बड़ी जोत वालों के पक्ष में या उनके पक्ष में जो खेती भी नहीं करते हैं और खेत के मालिक बने हुये हैं, उनके पक्ष में

[श्री राजनारायण]

जा रहा है। हम ज्यादा समय सदन का नहीं लेंग, मगर इतना हम जरूर निवेदन करेंगे और जोरदार शब्दों में निवेदन करेंगे माननीय मौर्य जी से कि वह बहुत गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं इस संशोधन के जरिये। इस संशोधन का सरकारी पक्ष के लोगों को विरोध करना चाहिए और जम कर विरोध करना चाहिए। जिस नुक्तेनजर से, जिस दृष्टिकोण से, जिस ऐंगिल आफ विजन से देखा जायगा, हमारी बात सही साबित होगी और जो संशोधन विधान परिषद् से हुआ है यह गलत साबित होगा, किसानों के लिये अहितकर साबित होगा और अगर उस तरह का संशोधन होकर यह विधेयक अधिनियम बनता है तो यकीन मानिये चकबन्दी की योजना अभिशाप के रूप में परिणत होगी और जो इसका फल प्राप्त करने की आशा माननीय राजस्व मंत्री जी रखते हैं वह उनकी आशा निराशा में परिणत होगी। उसका दोष हमें न देंगे श्रीमन्।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि चकबन्दी कानून हम लोगों ने इसी सदन में बैठ कर पास किया था। निहायत ही सुन्दर यह कानून पास हुआ इस हाउस से और यह अपर हाउस गया था और वहां से अमेंड हो कर लौटा है। आज उस अमेंडमेंट बिल पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई राजनारायण जी ने जो कहा कि गांवों में जाकर अफसर बैठ जायगा, मैं इसका विश्वास नहीं करता। हमारे गांवों का प्रत्येक आदमी सतर्क हो जाय, आज हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों में जायें और गांव के निवासियों से कहें कि तुमको एलर्ट होना चाहिए। मैंने अपनी कांस्टीच्युएंसी में घूम.घूम कर लोगों से यह कहा है कि यह सरकार चाहे जिस किस्म का कानून बनाये, लेकिन अगर वह एलर्ट हो जायंगे तो सरकारी कर्मचारी और अफसर उनका कुछ नहीं कर सकेंगे, पटवारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न कानूनगो कुछ कर सकता है, न डिप्टी कुछ कर सकता है। इसमें दिया हुआ है कि असिस्टेंट कलेक्टर, या तहसीलदार या नायब तहसीलदार, कानूनगो का जिक्र नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग डटे रहें और तैयार रहें। हमारे गांव वाले अगर सचेत हुए तो कोई महारा रास्ता रोक नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का जो नारा यहां लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी को हमने गांव-गांव पहुंचाया है, गांव-गांव में आज हमारा पंचायत राज मौजूद है, हमारे पंच मौजूद हैं, हमारे सरपंच मौजूद हैं। अगर वह ढीले हो गये और लाला भाई को पैसे देने की फिक्र में पड़ गये तो और बात। वह दासानु दास की जो प्रथा अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से चली आ रही है, वही अगर वर्तमान रहेगी तो चाहे सोने का भी कानून हम बनायें.....।)

श्री राजनारायण—All that gli.ters is not gold.

[चमकने वाली सभी चीजें सोना नहीं हैं।]

श्री शिवनारायण—आल राइट। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं को गोल्ड दिखाई देता है। उन्होंने कहा था मौलाना को मुखातिब कर के, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि—

"हद चले सो मानवा बेहद चले सो साधु,
हद बेहद दोनों तजै ताको मता अगाध।"

इस पर जरा अमल करें राजनारायण सिंह जी। आइए चलिए गांवों में हम देखें कि कौन सा पटवारी किस गांव में जरा भी इधर-उधर तो कर दे। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ११ अगस्त को मैं अपनी कांस्टीच्युयेंसी से लौटा हूं। मैंने डिप्टी कलेक्टर को भेजा, उन्होंने जा कर के जांच की और सही रिपोर्ट दी। तो मैं कहता हूं कि कोई घपला नहीं हो सकता, अगर हम जा कर उनको सतर्क करें, उनके बीच में घूम-घूम कर उन्हें बतायें। लेकिन अगर लखनऊ के चौराहे पर हम ढोल बजाते रहें या दारुलशफा में या इस सदन में बैठे रहें और लेक्चर देते रहें तो कुछ होने वाला नहीं है। चकबन्दी कानून में यह दिया हुआ है

कि किस्म जमीन पर खेत बंटेगा, कोई घपला वहां नहीं होगा। लेकिन 'गो टू दि मासेज एण्ड ट्रेन दी मासेज' (जनता के बीच में जाइए और उसे शिक्षित कीजिए।) अगर यह नहीं किया तो कुछ होने को नहीं है। चाहे सोशलिस्ट पार्टी में रहें, चाहे कांग्रेस में रहें, चाहे जनसंघ में रहें, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करने की जरूरत है। घर-घर जा कर उनको बतलाइए, उनको ट्रेन कीजिये। सरकार ने चकबन्दी कानून बनाया है और उसको लागू करना चाहती है, जनता उसका स्वागत करती है। आये दिन रोज तकाजा होता है कि हमारे जिले में यह कब लागू होगा, गोरखपुर और बस्ती के लोगों ने बार-बार हमसे कहा कि हमारे यहां जल्दी चकबन्दी कराइए। माननीय राजनारायण जी, माननीय मौर्य जी के सिर पर धन्यवाद का टोकरा रख रहे हैं और न जाने क्या-क्या कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धन्यवाद का टोकरा आप अपने सिर पर रखिए। मान्यवर, हम आपकी इजाजत से कहना चाहते हैं कि धन्यवाद कोई दे या न दे, कोई यहां उसकी तवक्को नहीं रखता है। हम तो काम करना चाहते हैं।"

"We will march on. If you join hands. we will also join hands. If you do not join hands we will march on alone."

(हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप हमारे साथ योग देंगे तो हम आपके साथ मिल कर कार्य करेंगे। यदि आप योग दान नहीं करेंगे तो हम एकाकी आगे बढ़ेंगे।)

लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे कोई धन्यवाद दे या न दे, जो काम करता है वह उसकी इच्छा नहीं रखता है, वह तो आगे बढ़ता जाता है : "Those who join hands with us we will join hands with them otherwise we will march on." श्री राजनारायण जी हमारे साथ आयें या न आयें यह उनकी मर्जी लेकिन चरण सिंह जी और मौर्य जी रुकेंगे नहीं वह आगे बढ़ते ही रहेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम किसानों के शुभचिन्तक ह। आप घबराते हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। यह सरकार लाल झंडी वालों का रास्ता साफ करती जारही है। हमने जमींदारी अबालिशन किया और अब हम आगे चकबन्दी कर रहे हैं और नहरें भी खुदवा रहे हैं, फिर क्या रह जायगा जिसे ले कर आप माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त को गलियां देंगे, पंडित नेहरू को गालियां देंगे। अगर आप में अक्ल होगी तो आप गांवों में जा कर कहेंगे कि चकबन्दी कानून बना है, उसमें हम आप की मदद करेंगे, पटवारी क्या कर सकता है ? उसके सारे अधिकार हमने छीन लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पटवारियों का मामला सदन में आया तो श्री गेंदा सिंह जी को छोड़ कर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि श्री चरण सिंह ने बुरा किया। इसका सारा श्रेय माननीय चरण सिंह जी को मिला कि उन्होंने सारे सूबे के पटवारियों को कान पकड़ कर एक साथ निकाल दिया। हमने उनके सारे अधिकार छीन लिये। उनकी हड़ताल इसलिये नहीं हुई कि उनकी तनख्वाह का सवाल था, बल्कि हड़ताल इस बात पर हुई कि गवर्नमेंट ने उनके सारे अधिकार छीन लिये। खतौनी और खसरा उनके पास तीन साल तक पड़े रहते थे। मैं भी गांव में रहता हूं और जानता हूं कि खतौनी क्या चीज है और खसरा क्या चीज है।

आज हमारे यहां सरकार काम कर रही है, उसमें वह घबराती नहीं है और बराबर आगे बढ़ती चली जा रही है और आगे बढ़ती रहेगी। आप उसको रोक नहीं पायेंगे। आप के हल्ला करने से कुछ काम नहीं चल सकता है। चरण सिंह जी और मौर्य जी हिलने वाले नहीं हैं, वह तो आगे बढ़ते ही जायेंगे चाहे कितने ही आप रुकावटें बीच में डालें। चरण सिंह जी आगे ही बढ़ेंगे, वह रुकने वाले नहीं हैं। यह वह सिपाही हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था। हम एक नाव पर ही बैठने वाले हैं। यह बात नहीं है कि आज इस नाव पर और कल उस नाव पर चले जायं। उनका रंग सफेद है और सफेद ही रहेगा।

[श्री शिवनारायण]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मिशन बड़ा पक्का है और वह गांधीवाद है और उसमें आज दुनिया आना चाहती है। आज दुनिया ने हमारी ओर अपनी नजर लगा रखी है कि हिन्दुस्तान वाले क्या कर रहे हैं। ४–५ दिन हुये कि इंडोनेशिया से चार आदमियों का एक डेलीगेशन लखनऊ में आया था और वह लखनऊ के लोगों को देख कर गया है। वह बख्शी का तालाब वगैरह देख कर गया है। वे आपने यहां जा कर कहेंगे कि हमारी सरकार चकबन्दी का कानून कैसा बना रही है और किसानों को सरकार कैसी सुविधा दे रही है, यह नहीं कि वह जा कर गालियां देंगे। सरकार तो अपना काम किये जा रही है।

श्री चरण सिंह ने कहा था कि हम इस तरह से आये दिन रोज कानून अमेंड करेंगे। अगर हमने कोई भूल की है तो हम अपनी भूल ठीक करेंगे। अपनी भूल ठीक करना कोई अनुचित बात नहीं है, बल्कि उचित है। वह बहुत बड़े विद्वान् हैं 'होनहार बिरवान के होत चिकने पात' तो यह बहुत ही होनहार विद्वान् हैं, ये देश को शांति का और कल्याण का संदेश देने वाले हैं, यह देश का कल्याण करने वाले हैं, यह देश को किसी दूसरे के हाथ बेचने वाले नहीं हैं। हमारा एक-एक मेम्बर तपा हुआ सोना है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा सन् १९४२ ई० में लिया था और अंग्रेजों से कहा था कि भारत छोड़ो। हम हंडी में छेद करने वाले नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नुक्ताचीनी करने से काम चलेगा नहीं। गवर्नमेंट वही अच्छी होती है जिसका अपोजीशन स्ट्रांग होता है। श्री ब्रजभूषण मिश्र जी ने कहा था 'कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस' जैसा प्रबन्ध रावण का था वैसा किसी का नहीं हो सकता है। राजनारायण जी रावण के स्थान पर नहीं हैं, वह पांडित्य आप में नहीं है कि आप रावण हो सकें। रावण को आप क्या समझते हैं? उन्होंने क्या-क्या किया? कितना बड़ा संगठन किया और शक्ति प्राप्त की। अगर आप इसमें अपमान समझते हैं तो मैं अपने दोस्त की ओर से उसको वापस करता हूं। मैं समझता हूं कि हरगिज आपको रावण नहीं कहा जा सकता, अगर उन्होंने आपको कहा है तो मैं वापस लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इजाजत से कहना चाहता हूं कि हमारे चन्द भाइयों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि वह कर रहा हूं जो मुनासिब है, हमें तो आगे बढ़ना है। हमको मिल कर एक नारा लगाना है, देश का कल्याण करना है, आगे चलना है। चकबंदी लागू है और लागू रहेगी और उसके द्वारा हम गांव की दशा सुधारेंगे। मैं तो गांव में गया था। हमारा पटवारी आया था और उसने कहा कि देख लीजिये कहां गड़बड़ है और कोई आपत्ति नहीं की, सब दिखला दिया।

मैं अवधेश प्रताप जी से कहना चाहता हूं कि हम और आप दोनों पड़ोसी हैं। कहा गया है कि "साईं बैर न कीजिये 'गुरु' 'पंडित' 'कविराय" तो गुरु, पंडित और कवि के बाद पड़ोसी के लिये भी यह है कि उससे बचकर रहना चाहिये। आप मेरी बात जानते हैं और मैं आपकी जानता हूं लेकिन वह छोटी बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो किया है वह बहुत सुन्दर किया है। सरकार समझती है कि हमारे जो गरीब काश्तकार हैं उनके खेत एक जगह हो जायें। आज गांवों में डिमांड है, बच्चा–बच्चा पूछता है कि हमारी जो बीघा, दो बीघा जमीन है वह कब एक जगह होगी? मैं यह नहीं कहता कि सब हरिश्चन्द्र हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। हमारे जमींदार भी परेशान किये जाते हैं, किसान गरीब भी परेशान किये जाते हैं। मैं मौर्य साहब से कहना चाहता हूं कि आप इस बात की निगरानी रखें और गवर्नमेंट की मशीनिरी को टाइट रखें। हम यह नहीं कहते कि गवर्नमेंट की मशीनिरी ढीली कर दें। हम राजनारायण जी की तरह ढीले नहीं हैं। हम यहां भी गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट करते हैं, गालियां देने से काम नहीं होता। हम देहात में जाकर गवर्नमेंट मशीनरी के साथ कोआपरेट करते हैं, उसे गाइड करते हैं। किसी पटवारी या कानूनगो की मजाल नहीं है कि जिस गांव में कोई आनरेबिल मेम्बर मौजूद हो और वह कोई गड़बड़ कर सके, यह नामुमकिन है। तो मैं राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि यह जो अमेंडिंग

बिल आपके सामने है यह किसानों के हित के लिये है, इसमें अहित नहीं सोचा गया है। इसमें पटवारी नहीं लेखपाल है। इसमें शब्द हैं 'करेगा', या 'करायेगा' तो अकेला तो कोई पड़ताल करेगा नहीं। कानूनगो अकेला पड़ताल में नहीं आयेगा, तहसीलदार ही नहीं होगा, उसके साथ लेखपाल होगा, नायब तहसीलदार, कंसालिडेशन आफिसर होगा, सब होंगे। गांव का सरपंच होगा, मुखिया होगा और गांव का चमार भी होगा, अकेले कोई कुछ नहीं करेगा। अगर चमार कहेगा कि यह हुजूर हमारा खेत है तो काट कर उसको अलग कर देंगे। हमारे गांव वाले कहते हैं कि हमारी जो बगिया है उसका क्या होगा। हमने बताया कि बगिया जो है वह तुम्हारी ही रहेगी, उसके पास ही तुम्हारे खेत खिच कर आयेंगे, तुमको सचेत रहना चाहिये। मैंने उनको बताया कि अलर्ट रहोगे तो तुम्हें फायदा होगा और ठीक से चकबंदी हो जायगी, वरना पटवारी सब खा जायगा जोकि तुम्हारी थाली में बिलार छिपा हुआ है। इस करप्शन को रोकना है और गांव के भाइयों से कहना है कि तुम रुपया देना बन्द कर दो। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हमने मुसीबत काटी तब स्वराज्य मिला। यह हम मानते हैं कि बड़ा करप्शन है, लेकिन हमारे पास जो नौकर है वह वही हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में थे। हमने उनको पनिशमेंट नहीं दिया। हमने कहा कि वह इंडियन हैं, हिन्दुस्तानी हैं, उनको इग्नोर मत करो, उनसे काम लो और उनसे ढंग से काम लिया। उपाध्याय जी को घबराना नहीं चाहिये, उनके यहां भी होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी भाई ऐसी बात कहें जो यह गवर्नमेंट माने, सजेशन मुनासिब दो ताकि यह गवर्नमेंट एलर्ट रहे। जो भी मुनासिब बात इधर से आयी मैंने उसको बिना इस बात का ख्याल किये कि गवर्नमेंट नाराज होगी या खुश, सदैव वेलकम किया है, सदैव सपोर्ट किया है। मैं गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि चलिये देवरिया मैं आपके साथ चलूंगा और देखूंगा कि कौन लेखपाल गड़बड़ करता है। लेकिन यहां बैठे रहकर काम नहीं चल सकता कि बाढ़ आये देवरिया में और बैठे रहें लखनऊ में और कहें कि वहां के जो डी० एम० हैं मिस्टर शुक्ला वह तो अपने बंगले में सोते रहते हैं। आपसे कम गरीबों के हमदर्द हम नहीं हैं, चौरीचौरा का केस हमें याद है। हमने आजादी की लड़ाई में पूरा हिस्सा लिया है और इस देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विरोधी दल के नेता ने और दूसरे व्यक्तियों ने इस संशोधन का विरोध केवल इस आधार पर किया है कि लेखपाल जो गरीब तबके के हैं, जो कम तनख्वाह पाते हैं वे कभी ईमानदार नहीं हो सकते और असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी जो यूनिवर्सली अच्छे घर का होगा, ज्यादा तनख्वाह पाता होगा और धनी घर का होगा वह जरूर ईमानदार होगा। जो दल गरीबों का दम भरता हो उसके नेता की यह मनोवृत्ति हो, यह देख कर मुझे अत्यन्त क्षोभ और दुःख होता है। मैं उनसे कहूंगा कि पहले अपनी मनोवृत्ति बदलें और यह समझें कि ईमानदारी उतनी ही लेखपाल में हो सकती है जितनी कि एक ऊंचे आफिसर में हो सकती है। हमारा तो यह विश्वास और अनुभव है कि जितने छोटे आदमी हैं, जितने गरीब आदमी हैं, कम तनख्वाह पाने वाले आदमी हैं वे अपेक्षाकृत ज्यादा ईमानदार हैं। यह तो वही पुरानी मनोवृत्ति अंग्रेजों के जमाने की है। अंग्रेज बड़े आफिसर को समझता था ईमानदार और छोटे को बेईमान। उस वक्त कानून यह था कि जो बड़ा आदमी गवाही देने आये तो उससे जिरह की जाती थी कि तुम्हारी कितनी आमदनी है, क्या स्टेट्स है। अगर बड़े स्टेटस का है तो जरूर ईमानदार है और अगर छोटा स्टेटस का है तो जरूर बेईमान है। अगर लेखपाल जरूर बेईमानी करेगा तो आपने १३५६ व १३५९ फसली में उसी लेखपाल द्वारा लिखे हुए रेकार्ड को क्यों सही मान लिया ? क्या वह उस वक्त ईमानदार हो गया था और अब चकबंदी के मामले में बेईमान हो जायगा ? मेरा विश्वास है कि लेखपाल जो कम तनख्वाह पाता है, जो गरीब तबके से आता है वह हर्गिज गरीब किसानों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। यह मनोवृत्ति कि बड़े अफसर ईमानदार हैं और छोटे कर्मचारी बेईमान हैं यह गरीबों के हितैषी भी नहीं हैं। घंटा भर आप बोले और दूसरे विरोधी पक्ष के लोग बोले, लेकिन आपने कोई और दूसरा तर्क नहीं दिया सिवाय इसके कि गरीब

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

लेखपाल छोटी तनख्वाह पाने वाला आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि यह आपकी भ्रांति है और इस छोटे से संशोधन पर इस प्रकार का विवाद करना और इतने लांछन लगाना और उस सरकार के ऊपर लगाना जिसने जनता का विश्वास और प्रेम प्राप्त किया है जिसका न आप मुकाबला अभी कर सके और न निकट भविष्य में मुकाबला कर पाने की सम्भावना है। माननीय मौर्य जी पर और माननीय मंत्री जी पर इस प्रकार से वैयक्तिक लंछन लगाना और इस प्रकार से तर्क उपस्थित करना चाहे वे प्रासंगिक हों या अप्रासंगिक हों, और उन सब का मूल आधार यह हो कि लेखपाल यूनिवर्सली बेईमान हैं। आपने इसको स्पष्ट व्यक्त नहीं किया परन्तु आपकी भावना यही है कि लेखपाल इसलिये बेईमान हो गये क्यों कि वह छोटे तबके से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं। मैं समझता हूं कि इस वजह से कि वह स्वयं गरीब तबके से आते हैं उनसे गरीबों का अहित नहीं हो सकता है। वह उन लोगों में से हैं जो कि बैकवर्ड हैं, गरीब हैं, उन लोगों के दिल में गरीबों के लिये उतनी ही हमदर्दी होगी जितनी कि हमारे और आपके दिल में है। फिर आपने जिसके हाथ में इतना बड़ा अधिकार रेकार्ड रखने का रख दिया है, जिसके रेकार्ड पर आपकी सारी खेती का प्रबन्ध निर्भर है, उस पर इतना अविश्वास करना और इस माननीय सदन में यह कहना कि वह बेईमान है, मैं इस तर्क पर हैरान हूं। केवल एक ही तर्क है कि गरीब आदमी बेईमान होगा और अमीर आदमी कम बेईमान होगा। मैं समझता हूं कि इस थोथे और अमान्य तर्क को मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा, उसी तरह से त्याग देना चाहिये जैसे किसी अवांछनीय वस्तु को कोई त्याग देता है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय राजनारायण जी के बाद आपने जो श्री शिवनारायण जी को मौका दिया और जितने तर्क माननीय राजनारायण जी के थे उन सबको उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि श्री राजनारायण जी अपना मैदान छोड़ कर भाग गये।

अब मैं थोड़ी सी मतलब की बात पर आता हूं। मुझे अब ये भी बड़ी खुशी है कि दोनों हमारे महारथी लौट आये हैं। दोनों ने एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से सुना और समझा, जहां राजनारायण जी ने मनुष्यता पर व्याख्यान दिया वहां माननीय शिवनारायण जी ने देश-विदेश की बातें भी कही हैं यह तो उनकी बुद्धि की प्रखरता की बात है। मेरे जैसे आदमी का उस तरफ जाना बिलकुल व्यर्थ होगा।

अब मुझे थोड़ी सी बातें कानून के सम्बन्ध में कहनी हैं। मुझे वह भ्रांति विरोधी दल के भाइयों के मन से निकालनी ह जो कि उनको इस छोटे से संशोधन से हो गयी है। मैं यह समझता हूं कि अगर हमारे विरोधी दल के भाई कानून को देखें जो हमारे सामने है और उसके जो संबंधित नियम बने हैं अगर दोनों को मिला कर पढ़ लेते तो शायद जो भ्रांति उनके मन में हो गयी है वह न होती। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ जरा इन दोनों बातों को पढ़ें तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी यह भ्रांति दूर हो जायगी। अभी जो हमारे सामने मौजूदा विधेयक था इसमें यह तो था कि चकबंदी करने वाला सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत पर जायेगा और वह इसके साथ-साथ नकशा खतौनी, खसरा और योजना तैयार करेगा। अब तो सिर्फ बात इतनी ही है कि वह चाहते हैं इस संशोधन से सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की पड़ताल को निकाल दिया जाय, बल्कि इसके स्थान पर यह रखा जाय कि जो नियमों में व्यवस्था की जायगी उसके अनुसार यह कार्यवाही की जायगी। मैं यह समझता हूं कि अगर मेरे मित्र ने नियमों को भी पढ़ लिया होता जो इस सेक्शन ७ के अनुसार बनाये गये हैं तो शायद यह भ्रांति उनकी दूर हो जाती।

श्री राजनारायण—देहात में हमने एक किस्सा सुना है।

श्री बलवन्त सिंह—मेरे मित्र नेता विरोधी दल ने कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाया नहीं, देहात का कोई किस्सा सुनाने लगे हैं और मुझ देहाती को ही सुनाने लगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनसे ज्यादा किस्से तो मैं ही जानता हूं। दफा ७ के मुताबिक जो नियम दिये गये हैं उससे उनकी भ्रांति दूर हो जायगी। जो नियमावली गवर्नमेंट से हमको मिली हुई है उसके सफा ४ पर रूल २० इस प्रकार है "नियम १६ में उल्लिखित चकबंदीकर्ता की प्रसूचना प्राप्त होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति के सहयोग से खेत-खेत को पड़ताल करके उसकी जांच करेगा"। तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि दफा के अन्दर जो खेत-खेत था उसको निकाल कर उन्होंने नियमों में रख दिया है, यह दरअसल पहले भी गलती थी। प्रोसीडियोर की बात नियमों में आनी चाहिये और ऐक्ट की धाराओं के अन्दर सिद्धान्त की बातें आनी चाहिये। लिहाजा प्रोसीडयोर की बात निकाल कर नियमों में और सिद्धांत की बात धारा में रख दी। यह जो मौजूदा संशोधन किया जा रहा है उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है 'खेत-खेत' पर यह नियमों में आ गया है। चकबंदी करने वाला खेत-खेत पर जायगा और स्वयं ही नहीं जायगा बल्कि वह जो आपकी भूमि प्रबंधक समिति होगी उसको भी साथ ले जायगा और इस तरह से वह अच्छी तरह से चकबन्दी के काम को कर सकेगा। दूसरा संशोधन यह था जिसके जरिये वह एक ऐसा विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे---उस विवरण के अन्दर नक्शा खसरा खतौनी में पायी गयी अशुद्धियां और उनका प्रकार यानी सिर्फ यह बात लिखी नहीं है कि वह लिखेगा और जो-जो मौके पर अशुद्धियां मिलेंगी उनका विवरण तैयार करेगा। मैं कहता हूं कि जब चकबंदी अधिकारी मौके पर गया और कमेटी के साथ गया और उसके साथ जो नीचे के आदमी हैं, या उसका क्लर्क है वह भी गया और उससे यह कहा कि जो फला फलां गल्तियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ तो उसके अन्दर क्या खराबी आयेगी ? जाने वाला वही है, कराने वाला वही है, वह स्वयं न करके दूसरे आदमी से लिखा देता है तो इसमें क्या दिक्कत की बात है। अगर मान लीजिये इसमें यह बात नहीं लिखी है "करेगा" या "करायेगा" अगर उसको मौका है तो खुद कर देगा लेकिन काम ज्यादा बढ़ गया है तो वह सारा काम स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरे से करा भी सकता है। यह तो एनेबलिंग प्राविजन है जिसमें उसको इस बात का मौका है कि वह दूसरे से मदद ले ले। अगर कानून के अन्दर यह शब्द लिखे होते कि वह स्वयं करेगा तो उसकी कलम से हर चीज लिखी जानी चाहिये थी और अगर हर चीज न लिखी जाती तो वह कानून के खिलाफ बात होती और अवैध करार दी जाती। लिहाजा इसमें यह एनेबलिंग कर दिया, उसको मौका दे दिया कि वह दूसरे की मदद ले कर काम करा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर न कोई अशुद्धि है और न कोई नुकसान की बात है जबकि मौके पर वह जाता है और कमेटी के साथ जाता है। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का भ्रम पैदा होता है, इस सेक्शन में जो अमेंडमेंट किये जा रहे हैं, वह मुनासिब नहीं हैं। अगर हमारे सामने यह नियमावली न होती तो इस प्रकार का भ्रम मनों के अन्दर हो सकता था, क्योंकि मुझे याद है कि जिस समय चकबंदी कानून बना था उस वक्त भी मैंने इस बात की मुखालफत की थी कि चकबंदी के लिये जहां तक हो सके निम्न अधिकारियों से कम से कम काम लिया जाय। उनसे कुछ अन्देशा हो सकता है। अब तो यह नियमावली हमारे सामने है उसके अन्दर सारी बातें रखी गयी हैं कि किसको क्या करना चाहिये और कैसे क्या कार्यवाही होगी। अब तो हमारे सामने यह नियमावली होगी तो चकबंदी का पूरा-पूरा क्या प्रोसीजर होगा और उसके लिये क्या प्रिंसिपल हैं वह सब के सब हमारे सामने होंगे। इसलिये अब हमको किसी प्रकार से चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। हां, मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं और वह यह बात है कि कुछ लोगों का इधर भी ऐसा ख्याल हुआ है और भ्रम हुआ है कि उनके नीचे के जो काम करने वाले आदमी हैं उनके बारे में मैं समझाता हूं इस बात से सदैव हमको सतर्क रहना चाहिये कि जो तरीका शिवनारायण जी ने बताया है उसको हमें बरतना चाहिये और उसको हमको करना चाहिये। जिस इलाके में चकबंदी होती हो तो जितने वहां के प्रतिनिधि हैं उनको पूर्णरूप से सतर्क रहना चाहिये और पूरे तरीके से इंतजाम करना चाहिये। लोगों

[श्री बलवन्त सिंह]

से मिलना चाहिये और उनको यह कानून पूर्णतः बतलाना चाहिये । मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारे बहुत से भाई जिन्होंने इस कानून को बनाया है उनको इसके नियमों को अच्छी तरह से देखना चाहिये, वे इसके नियमों को नहीं जानते हैं यह बात बड़े दुःख की है । रिश्वत क्यों चलती है, क्योंकि लेखपाल या पटवारी के पास या कंसोलिडेटर के पास हम लोग जाते हैं, इसलिये कि जिनके गांव में चकबंदी हो रही है उनको कानून का पता नहीं ह इसलिये वह यह समझता ह कि जब तक इसका पैसा किसी आदमी को न दे तब तक उसका काम नहीं बनेगा । यह भ्रम उनके मन से निकाल देना चाहिये और यह बात निकालकर हमको यह बतला देना चाहिये कि लेखपाल या कंसोलिडेटर या दूसरे चकबन्दी अधिकारी का या जो भी अधिकारी इसमें हो उन सब का यह काम है और इसके लिये आज वह कुछ नहीं कर सकते हैं । इसलिये उनको पैसा देना या सिफारिश कराना बिलकुल व्यर्थ है । अगर वह इस बात को जानते हों और लोगों को इन सब बातों को बतलायें तो मैं समझता हूं कि रिश्वत बहुत जल्द बन्द हो सकती है । मगर हमारी दिक्कत यह है कि हम खुद नहीं उसको समझते हैं तब वह बेचारे बे पढ़े लिखे लोग कैसे समझेंगे जबकि हम उसको नहीं समझते हैं तो उनको समझा भी नहीं सकते हैं । इसलिये मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि वे लोग कुछ समझ कर इस चीज को अपने-अपने इलाके में जाकर लोगों को अच्छी तरह से क्या-क्या कौन कर सकता है खुद इसका प्रचार करना चाहिये ।

अब मैं थोड़ी बहुत बात अपने जिले मुजफ्फरनगर की बतलाना चाहता हूं । इस समय मुजफ्फरनगर जिले में चकबंदी हो रही है । वहां पर ८० हजार गलतियां पायी गयीं । अब वहां पर यह मामला इस स्टेज पर चल रहा है कि जो गलतियां हैं उनको कागजात में दुरुस्त किया जा रहा है । मुझे आप सब को बतलाते हुए यह प्रसन्नता है कि इतनी गलतियों के होते हुए भी वहां के लोगों ने जो तरीका अपनी चकबन्दी का रखा है उस चकबंदी के तरीके से वे गलतियां इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से और इतनी ईमानदारी के साथ तय हो गयीं कि जो मैं समझता हूं कि शायद हमारे चकबंदी के कानून को बनाने वालों को भी इसका ख्याल नहीं था । जो लोग अधिकारी थे, वे लोग गांव में गये और गांव के लोगों के सामने यह बात रखी कि यह गलती है तो इसका उपाय क्या हो । गांव के लोगों में यह बात होती है कि वह सबके आसपास बैठते हैं और कोई भी आदमी जिन आदमियों के सामने जो बातें होती हैं सब के सामने उसको बतलाने की कोशिश करता है । अगर उनके बीच में कोई बात पूछी जाती है तो वह उसको सही बतलाता है, तो वह गलतियां जब बतलायी गयीं तो बहुत से कागज दुरुस्त कर दिये गये । अब जाकर मुश्किल से २०,३० केसेज ही ऐसे हैं कि जिनके अदालत के जाने की नौबत आयेगी । वहां पर जो गांव की पंचायत बैठती है, उसके सामने सब लोग सच बोलने की कोशिश करते हैं अदालत में जाकर तो कोई भी आदमी गलत बयान दे देता है, क्योंकि दूसरे लोग वहां पर सुनने वाले नहीं होते हैं और जो वहां पर वह झूठ बोलता है उसका प्रचार भी नहीं होता है, लेकिन गांव में इस बात का बड़ा डर रहता है कि झूठ बोला तो सब को मालूम होगा और बड़ी बदनामी होगी । सब आदमी वहां पर बैठते हैं और उनके सामने यह बात रखी जाती है कि फलां आदमी का नाम दर्ज है और फलां आदमी का कब्जा है तो इस पर सही क्या होना चाहिये । इस बात को सब जानते हैं कि असल बात क्या है तो जो वहां पर तय हुआ उसको लोगों ने माना यानी जो भी तय हुआ कि इसका नाम होना चाहिये और इसका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये इस बात को सब ने माना । इस प्रकार की बातें जिला मुजफ्फर नगर में हुई

अब इतनी ज्यादा तादाद में गलतियां होते हुए भी केवल २००–२५० गलतियां ऐसी हैं जिनमें शायद मुकदमे की नौबत आये । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो विश्वास आप लोगों में हो चला है कि इसमें बड़ी भारी बदउनवानियां होंगी, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैंने जो पहले बात बतलायी, अगर आप सतर्क न रहे, इलाके

के एस०एल०एज और रिप्रेजेन्टेटिक सतर्क न रहे तो इसमें बड़ी भारी दिक्कत भी हो सकती है और इस प्रकार से आप कर्मचारियों को यह मौका दे देंगे कि उनकी देखभाल पूरे तरीके से न हो। एक और बात है। अभी तो दो जिलों में २-३ तहसीलों में ही चकबंदी हो रही है लेकिन जब २०-२० जिलों में चकबंदी होगी तो इतनी ज्यादा तादाद में ऊपर के कर्मचारी न मिलेंगे और आपको उसकी निगरानी करनी ही होगी। अगर हमारे विचारों में से यह बात न गयी कि इसमें गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी अवश्य बढ़ जायगी क्योंकि गांवों के आदमियों के अन्दर यह धारणा मौजूद है कि चार पैसे दे दें तो काम हो जायगा, पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ऐसी हालत में अगर हम सतर्क न रहे तो गड़बड़ी हो सकती है। आजकल जो तहसीलें हैं उनमें काफी ज्यादा गड़बड़ी है। जहां तक कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का सम्बन्ध है हम उनकी बातों को जानते हैं, उनकी कोई बात हमसे छिपी हुई नहीं है। आज सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात को जानता है कि चाहे पटवारी कहिये, चाहे लेखपाल कहिये, चाहे कानूनगो अथवा नायब तहसीलदार कहिये और मैं तो कहता हूं तहसीलदार भी, कोई भी किसी से अधिक अच्छा नहीं है। क्योंकि पटवारी भी जो गड़बड़ी करता था वह कानूनगो और नायब तहसीलदार के हाथ से गुजर कर ही पक्की होती थी। अब इसका इलाज केवल एक है और वह है आपकी सतर्कता।

अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि गवर्नमेंट ने अभी लेखपाल को मुस्तकिल नहीं किया है तो जो पटवारी लोग इस चकबंदी में काम कर रहे हैं वह भी मुस्तकिल नहीं हैं। इस प्रकार से पुराने पटवारी और लेखपाल दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। दोनों आपस में यह कोशिश करते हैं कि एक भी पैसे की बेईमानी न हो। मुमकिन है मुस्तकिल होने का नंबर पुराने पटवारी का ही आ जाय। यह उनकी विचारधारा है। गवर्नमेंट को भी इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि अगर लेखपाल ईमानदारी से काम करता है तो उसको मुस्तकिल कर दिया जाय और अगर पटवारी ईमानदारी से काम करता है और ४,५ साल बराबर ईमानदारी और मेहनत से काम करता है तो उसको भी बढ़ावा देना चाहिये, क्योंकि वे भी तजुर्बेकार हैं, लेखपालों में तजुर्बेकार नहीं हैं। लेखपाल जल्दी से रईस बनना चाहते हैं, जब कि पटवारी शनैःशनैः धनवान् बनना चाहता था। मैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझता, दोनों का काम देख कर ही गवर्नमेंट को मुस्तकिल करना चाहिये। अगर इस प्रकार से किया गया तो चकबंदी का कानून भी ठीक रहेगा और काम भी ठीक ही होगा। एक बात मैं माननीय राजनारायण जी को बतलाना चाहता हूं कि जब आप छोटे आदमियों को अधिकार दे रहे हैं और वे भी काम कर सकते हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह बात ठीक है कि जो आपने इसकी शरह रखी है ४ रु०, ३ रु० या ५ रु०, ६ रु० देंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें भी इतना करने की और जरूर ध्यान में रखना चाहिये कि जितना कम से कम खर्च हम किसानों के ऊपर इस चकबंदी के सिलसिले में कर सकें उतना ही कम करना चाहिये। अच्छा काम हो, छोटे आदमियों से हो या बड़े आदमियों से हो, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि छोटे आदमियों से ही काम लें, लेकिन उसकी निगरानी अच्छी तरह से करनी चाहिये। छोटे आदमियों से काम लेने से खर्च कम होगा और निगरानी करने से काम अच्छा होगा। इसलिये ये दो चार बातें कह कर मैं इसका सपोर्ट करता हूं क्योंकि जो नियमावली है उसी के अनुसार यह संशोधन है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे अभी माननीय बलवन्त सिंह जी के भाषण को सुन कर थोड़ा सा दुख हुआ और वह इसलिये कि माननीय बलवन्त सिंह की हम बड़ी इज्जत करते हैं और वे एक वकील भी हैं। मुझे दुख इस बात से हुआ कि अभी तो कानून बन नहीं पाया है पर कानून बनने जा रहा है। आज यहां पर बहस हो रही है और अपर हाउस से यह बिल आया है। माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जो हमारे नियम बने हैं उन नियमों की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—मैं वैधानिक प्रश्न उठाता हूं। मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक है। इसके पहले चकबन्दी का कानून बन गया है और वह लागू हो चुका है और उसी पर कार्यवाही हो रही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मुझे दुख है इस बात से कि ये भी वकील हैं। मैं भी वकील हूं लेकिन जब कोई वकील ऐसी बात करता है जो गलत हो और कानूनन गलत हो तो और भी दुख होता है। अगर माननीय शिव नारायण जी जैसे आदमी उस तरह की बातें कहते तो दूसरी बात थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया भर की सारी बातें रावण और पहाड़ आदि की इस चकबंदी के ऊपर की गयीं और इस तरह की अजीब-अजीब बातें उनका कहना कुछ ठीक भी लगता है लेकिन जब ऐसे लोगों के मुह से ऐसी बातें मैं सुनता हूं तो बड़ा दुख होता है। चकबन्दी का ऐक्ट तो अभी बना नहीं है, जब ऐक्ट बन जायगा तभी नियम भी बनेगा। कहा जाता है कि उसका दूसरा रूप असिस्टेंट कंसोलिडेशन अफसर के बजाय उस अधिकारी के द्वारा जिसको कि अधिनियम में बनाया गया है, होगा। अधिनियम तो अभी बना ही नहीं है, फिर हाउस के सामने उसकी चर्चा माननीय बलवन्त सिंह जी ने कैसे की, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जिस जोश और जिस गर्मी के साथ माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल जी ने इसके ऊपर कहा, आखिर चकबंदी में गर्मी करने की क्या जरूरत है? यह एक बड़ी छोटी सी बात है। वही पटवारी लोग जिन २८ हजार पटवारियों को यह सरकार बेईमान कहती थी, आज उन्हीं में से बहुत से लेखपाल होकर आये हैं, उन्हीं लेखपालों को यह सरकार कहती है कि वे बहुत ही अच्छे हैं। हम यह कहते हैं कि लेखपालों को बेईमान बनाने की बात है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है, सरकार उनको कम तनख्वाह दे, सरकार उनको बीस-पचीस रूपए देकर यह आशा करे कि वे दिन भर काम करते रहें और एक जगह के रहने वाले दूसरी जगह नौकर रहें और अपने बच्चों का खर्चा भी दोनों जगह चला लें और वे ईमानदारी के साथ काम भी करते रहें, उपाध्यक्ष महोदय यह बात बिलकुल हो ही नहीं सकती है। इसीलिये हम कहते हैं कि वे गरीब हैं और आप उनकी तनख्वाह बढ़ावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि आप उनकी तनख्वाह बढ़ावें और लेखपालों को कुछ और रूपया दें, जिससे वे अपनी गुजर कर सकें और तब आप उनसे यह आशा कर सकते हैं कि वे बेईमान नहीं हो सकते तथा वे ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक तो यह कहा जाता है कि जो असिस्टेंट कंसेलिडेशन आफिसर होंगे वह हर जगह पर जा कर जांच करेंगे लेकिन अब संशोधन के द्वारा सरकार कह रही है कि अब ऐसे नियम बनाये जायेंगे और इस ऐक्ट के मुताबिक बनेंगे। अभी तो जब यह संशोधन विधेयक पास हो जायगा और ऐक्ट बन जायगा तब कहीं जाकर नियम बनना शुरू होगा। अभी कहां से नियम बन सकते हैं? मंत्री जी इत्मीनान से जब चकबंदी का ऐक्ट बन जायगा तब नियम बनावेंगे। माननीय बलवन्त सिंह जी ने न मालूम कौन सी किताब उठा ली, उन्होंने नहीं सोचा कि अभी ऐक्ट नहीं बना है, मेन किताब बाद में बनेगी, जब नियम बनाये जायेंगे तब जाकर काम पूरा होगा। अगर मेरी बात गलत होगी तो माननीय मंत्री जी सफाई कर देंगे और कहिये तो मैं उनके लिये थोड़ा सा समय छोड़ दूं, ताकि वह बता सकें कि ऐक्ट बना या नहीं बना। कब ऐक्ट बनेगा या ऐक्ट के रूप में परिणत होगा और फिर कहीं रूल्स बनेंगे? इसलिये ज्यादा अभी क्या कहूं, काफी भाषण हो चुका? हमारे शिवनारायण जी ने दो एक-एक बातें कहीं, मैं उन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि माननीय विरोधी दल के नेता रावण के लायक भी नहीं हैं और वह तो बड़ा विद्वान था, लेकिन राजनारायण जी उसके लायक भी नहीं हैं। मैं उनसे क्या कहूं, क्षमा ही चाहता हूं क्योंकि उनका उपदेश तो हम रोज सुना ही करते हैं और हमें आशा है कि वह दिन बहुत नजदीक आने वाला है कि उन की इच्छाओं की पूर्ति हमारी सरकार जल्द करेगी। अब उस के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब उनको जो इच्छा है उसके बारे में मैं क्या कहूं? वह तो जाहिर ही है और सभी सदन जानता है और उन्होंने विरोधी दल के नेता को कुछ कहना तो अपना अधिकार समझ ही लिया है। इधर की तरफ से हमारा प्रयत्न रहता है

कि किसी की आलोचना न करें, लेकिन उधर से सदस्यों को छूट है कि चाहे जितनी छींटाकशी विरोधी दल के नेता पर कर लें। हम तो हमेशा इस सदन की मर्यादा रखना चाहते हैं और कभी ऐसी बातें नहीं कहते, जिससे किसी सदस्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगे। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे सदन की और उनकी मान मर्यादा पर धक्का लगे.....

श्री शिवनारायण---मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मैं.....

उपाध्यक्ष ---आप बैठ जायं। आप का भाषण समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---हम यह समझते हैं कि सदन की मर्यादा रखने का केवल इधर के लोगों का ही काम नहीं है, उधर के लोगों का भी है। अगर सदन में बार-बार कहा जाता रहे कि विरोधी दल के नेता ने यह किया और उन्होंने यह कहा तो हम भी कह सकते हैं कि हमने उनको नेता बनाया है, आप उनको कहने वाले कौन हैं। वह हमारी तरफ से इस सदन में विरोधी पक्ष के नेता हैं, आप राजनारायण जी को कहें लेकिन जब वह बिरोधी दल के नेता हैं, फिर भी उधर के लोग उन पर छींटाकशी करते जायं तो इस से यहां की मर्यादा बढ़ती नहीं है। पर जब इधर से कुछ कहा जाता है तो वही बातें होने लगती हैं कि साहब सदन की इज्जत नहीं रखी जाती है प्रतिष्टा का ख्याल नहीं किया जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह तरीका अच्छा नहीं है, हां शिवनारायण जी के लिये माफी है, उन को सब जानते हैं, वह चाहे जो कुछ कहें इसी से उन की इच्छा पूरी हो जाय। लेकिन जब माननीय सदस्य जैसे महावीर प्रसाद शुक्ल और दूसरे वकील या और सदस्य ऐसी बात करते हैं तो मैं उन से आप के द्वारा कहूंगा कि वह भी जरा मर्यादा यहां की रखें। मैं तो नहीं चाहता था कि चकबंदी पर यहां बोलूं क्योंकि यह बिल हमारे यहां तो ऐक्ट बन कर लगने वाला नहीं है। इसलिये इतने शब्द कह कर खत्म करना चाहता हूं लेकिन माननीय बलवन्त सिंह जी बुरा न मानें कि मैंने कोई आक्षेप किया है, मैं तो केवल उनकी गलतफहमी ही दूर करना चाहता था।

श्री शिवनारायण ---उपाध्य महोदय, मैं जरा अपने बारे में सफाई देना चाहता था। मैंने रावण शब्द को तो वापस लिया था और जो उस का गलत असर हो रहा था उसको रोका था। सही बात कही जाय तो वह गलत समझते हैं मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है और कोई खेद नहीं है और मैं भी समझता हूं कि उनकी बातें वेल्यूलेस हैं। जो सही बात है.....

उपाध्यक्ष---स्पष्टीकरण हो चुका है, अब माननीय सदस्य दूसरा भाषण नहीं दे सकते।

श्री राम नरेश शुक्ल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न पर बहस समाप्त की जाय।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर विरोधी दल के नेता को मंजूर हो तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आध घंटे के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण---जी नहीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय विरोधी दल के नेता को समय बढ़ाना अगर नहीं मंजूर है तो न सही। समय भी नहीं रह गया है और मैं समय भी ज्यादा नहीं लेना चाहता। इस संशोधन के मुताल्लिक़ मैंने देखा कि बहुत सी गैरमताल्लिक बातें इधर भी और

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

उधर भी कही गई । मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता तो माननीय विरोधी दल के नेता को नागवार लगता, इसलिये मैं बिलकुल चुप बैठा रहा और बोला नहीं। लेखपालों का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसके बारे में तमाम बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। इस संशोधन का मतलब केवल इतना है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी जो पहले था कि खेत-खेत पर जाकर परताल करेगा वह बात निकाल दी गई है और अब नियत प्रक्रिया के अनुसार वह खेत खेत पर परताल होगी। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि खेत-खेत पर परताल जरूर होगी लेकिन वह होगी कंसालिडेटर के जरिये और उसका कारण माननीय माल मंत्री ने बता भी दिया था। माननीय गेंदा सिंह जी सुन लें, जो उन्होंने भाषण में कहा। अगर दिक्कत नहीं होती तो उनकी बात मानने में एतराज नहीं था।

श्री राजनारायण---वह दिक्कत क्या है, यह तो बताइये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वही तो बता रहा हूं कि दो जिलों में जो काम शुरू किया गया, उसके अनुभव से यह पता लगा कि हमारे सहायक परताल अधिकारी का खेत-खेत पर परताल के लिये जा कर फैसला करना फिजीकली इम्पासिबिल (असम्भव) है क्योंकि ९ हजार एकड़ खेतों पर परताल करने के लिये अगर ५० एकड़ भी एक रोज के लिये रखा जाय क्योंकि एक एकड़ में तीन-चार गट्ठे होते हैं और जो होल्डिंग्ज के भी छोटे-छोटे टुकड़े बहुत होते हैं। अब एक-एक खेत पर परताल करने में एक आदमी के लिये ९ हजार एकड़ पर परताल कब तक हो पायेगी, यह समझा जा सकता है। यह कठिन बात थी और यह हमारे अनुभव में नहीं थी। अनुभव के बाद यह बात महसूस हुई। अब कंसालिडेटर्स नये भरती हो रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन रखी गयी है एफ० ए० पास और जो पुराने पटवारी थे अगर वह इंट्रेस पास हों और उनका काम अच्छा रहा हो, वह भी रखे जा सकते हैं। अब इतने नये कन्सालिडेटर्स होंगे और पुराने पटवारी भी होंगे। अब यह कैसे मान लिया जाय कि ये सब बेईमान होंगे। उनकी बुराई हम पहले से ही कैसे मान लायें यह भी कहा गया कि लेखपालों के जरिये कराया जायगा। लेखपाल भी मदद के लि हो सकते हैं लेकिन खेत-खेत पर परताल कंसालिडेटर्स के जरिये रखेंगे.....

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कुछ समय और लेना चाहते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अगर पांच मिनट में खत्म करने को कहें तो मैं खत्म कर दूं।

उपाध्यक्ष---तो फिर अपना भाषण कल ही जारी रखियेगा। आज पांच बज गये हैं और अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२३ सितम्बर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर।)

संख्या ६४६४/३---१७० (७)-१९५२

प्रेषक,

श्री भोला नाथ झा, आई० सी० एस०,
चीफ सेक्रेटरी,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के सब विभागों के अध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर,
जिला अफ़सर और अन्य प्रमुख दफ्तरों के अधिकारी।

दिनांक , लखनऊ, २९ अक्तूबर, १९५२ ई०।

---

विषय:---देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में चलाने की व्यवस्था।

---

महोदय,

सामान्य शासन विभाग।

अक्तूबर, सन् १९४७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी को इस राज्य की राजभाषा मान लिया था। इस निर्णय को अमल में लाने के लिये इस विभाग के सर्कुलर नं० ४६८६/३---१७०-४७, दिनांक अक्तूबर ८, १९४७ में विस्तार पूर्वक आदेश जारी किये गये थे। उस समय से अब तक इस विषय में काफी उन्नति हो गयी है और स्थिति में भी कुछ बदलाव हो गया है जो इस तरह है :--

(१) उस सर्कुलर में यह बताया गया था कि कार्यवाही इस ढंग से की जाये कि परिवर्तन काल में काम में खराबी न होने पाये और असुविधा भी कम से कम हो। सर्कुलर को जारी किये हुए पांच साल हो गये हैं। तब से समय-समय पर इस विषय में आदेश भेजे गये हैं और उन पर आपने कार्यवाही भी की है। सरकार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो हिन्दी नहीं जानते हैं या अच्छी तरह से नहीं जानते उनको उसे सीखने के लिये काफ़ी समय दिया जाये। इस सम्बन्ध में जो जानकारी विभागों से मिली है उससे यह मालूम होता है कि इस समय लगभग दो फीसदी सरकारी नौकरों को छोड़ कर सभी कर्मचारी हिन्दी सीख गये हैं।

(२) इस प्रदेश की विधान सभा में सब काम हिन्दी में ही होने लगा है। इस सम्बन्ध में विधान मण्डल ने फरवरी सन् १९५० ई० में एक अधिनियम (Act) भी पास किया था जिसका नाम Uttar Pradesh Language (Bills and Acts) Act, 1950 है।

(३) हिन्दी के ऐसे कोष भी, जिनमें अंग्रेजी के पारिभाषिक (technical) और कानूनी शब्दों का सही उल्था हो, बनाने की व्यवस्था सरकार ने की है। कुछ कोष छप भी चुके हैं।

(४) भारत के संविधान के अनुच्छेद ( article ) ३४५ में अन्य बातों के अलावा यह लिखा है कि राज्य का विधान मण्डल राज्य के

सभी या किसी सरकारी कामों के लिये हिन्दी के उपयोग को कानून बना कर कायम कर सकता है। इस अनुच्छेद ( article ) के अन्तर्गत प्रदेश के विधान मण्डल ने सन् १९५१ में एक अधिनियम ( Act ) बनाया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम ( Act ) १९५१ है और जो १२ नवम्बर, १९५१ से लागू हुआ है। इसकी एक प्रति नत्थी 'क' इसके साथ है। इस अधिनियम ( Act ) की धारा २ के अनुसार सरकार को एक विज्ञप्ति निकालनी है। जब यह विज्ञप्ति निकाली जायगी तो जो कुछ काम उस विज्ञप्ति के अनुसार होगा वह हिन्दी भाषा में होगा। इस विज्ञप्ति के निकालने के लिए कार्यवाही हो रही है और अलग से आपके पास आदेश पहुंचेंगे।

२—इस पत्र में तो केवल वह हिदायतें हैं जिनके निकलने के बारे में मुख्य मंत्री ने विधान सभा में तारीख ४ सितम्बर, १९५२ को एलान किया था कि सब सरकारी काम जहां तक मुमकिन होगा हिन्दी में ही होगा। नीचे लिखी हिदायतें उसी के अनुसार हैं :

(१) उन मामलों को छोड़ कर जिनमें विधान के अनुच्छेद ( article ) ३४६ और ३४७ के अनुसार दूसरी भाषा में काम होने की व्यवस्था है सब मामलों में, जहां तक सम्भव हो, हिन्दी में ही काम किया जाय। इन अनुच्छेदों ( articles ) की प्रतिलिपि इस पत्र के अन्त में नत्थी 'ख' में दे दी गयी हैं।

(२) जिन कर्मचारियों ने अभी तक हिन्दी में काम करने की योग्यता प्राप्त नहीं की है वे कुछ समय तक अंग्रेजी में काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें जल्दी ही काम करने लायक हिन्दी सीख लेनी चाहिये। इस पत्र की तिथि से ६ महीने के बाद ही सरकार को उन कर्मचारियों के नाम इत्यादि भेजे जावें जो उस समय तक हिन्दी न सीख सके हों। हिन्दी सीखने के लिए इस पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय अब न दिया जायगा।

(३) हिन्दी में काम करने के लिये हिन्दी टाइपराइटरों की भी आवश्यकता होगी। कुछ हिन्दी टाइपराइटर तो खरीद लिये गये हैं। अब से जो टाइपराइटर खरीदे जायें, वे हिन्दी के ही हों। इस तरह से हिन्दी टाइपराइटरों की कमी धीरे-धीरे पूरी हो जायेगी।

(४) इसी प्रकार हिन्दी स्टेनोग्राफ़रों और हिन्दी टाइपिस्टों की भी आवश्यकता रहेगी। जो अंग्रेजी के स्टेनोग्राफ़र इस समय काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने हिन्दी शार्टहैन्ड भी सीख लिया है। बाक़ी स्टेनोग्राफर हिन्दी शार्टहैन्ड सीख रहे हैं और आशा की जाती है कि शीघ्रही वे हिन्दी शार्टहैन्ड में पूरी तौर से काम कर सकेंगे। यही स्थिति टाइपिस्टों के विषय में भी है। अब से जो भी स्टेनोग्राफ़र और टाइपिस्ट नए भर्ती किये जाएं वे प्रधानतया हिन्दी के स्टेनोग्राफ़र और हिन्दी के टाइपिस्ट होने चाहिए।

(५) हिन्दी के माने उस सरल जबान से है जो देश में और इस प्रदेश में बोली जाती है। लिपि नागरी होगी और जबान आसान और सरल होगी। पारिभाषिक (technical) शब्द नागरी या रोमन लिपि में लिखे जा सकते हैं।

(६) अदालतों की भाषा के सम्बन्ध में ८ अक्तूबर, १९४७ के सर्कुलर के पैराग्राफ ५ में कुछ हिदायतें लिखी गयी थीं। इस सिलसिले में और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए इस सवाल पर विचार हो रहा है।

३—सरकार को आशा है कि इन हिदायतों के अनुसार इस प्रदेश के सभी काम शीघ्र ही हिन्दी में होने लगेंगे।

४—इस सर्कुलर का अंग्रेजी उल्था ( version ) इसके साथ है।

भवदीय,
भोला नाथ झा,
चीफ सेक्रेटरी।

---

संख्या ६४६४ (१)/३—१७० (७)-१९५२

प्रतिलिपि सचिवालय के सब विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

---

संख्या ६४६४ (२) /३—१७० (७)-१९५२

उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
भोलानाथ झा,
चीफ सेक्रेटरी,
उत्तर प्रदेश।

---

## नत्थी (क)

[ सर्कुलर का पैराग्राफ १ (४) देखिए। ]

## उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई०*

---

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५१।)

---

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक २७ सितम्बर, १९५१ ई० तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक २९ सितम्बर, १९५१ ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०० के अन्तर्गत राज्यपाल ने ५ नवम्बर, १९५१ ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक १२ नवम्बर, १९५१ ई० को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिये प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार के लिये व्यवस्था करने का

### अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद ३४५ और अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य के राजकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिये

---

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक २३ अगस्त, १९५१ ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

जो इस अधिनियम में आगे चल कर प्रकट होगें, प्रयोग में लाने के लिये भाषा के रूप में राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, देवेनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

राज्य में हिन्दी का राज भाषा होना ।

२—संविधान के अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे, देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :

(क) (१) संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रचारित अध्यादेश;

(२) भारत के संविधान के अधीन अथवा संसद् या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम और उपविधि, और

(ख) राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन ;

और उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

---

## नत्थी (ख)

---

[सर्कुलर का पैराग्राफ २ (१) देखिये।]

---

### संविधान के अनुच्छेद ३४६ और ३४७ की प्रतिलिपि

"३४६—एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राज भाषा—संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राज भाषा होगी :

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राज भाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

३४७—किसी राज्य के जन-समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—तद्विषयिक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि किसी राज्य के जन-समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।"

---

No, 6464/III—170(7)-1952

FROM

SRI B. N. JHA, I. C. S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
DISTRICT OFFICERS AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

*Dated Lucknow, October* 29, 1952.

---

*Subject* —**Arrangements for the use of Hindi in Devanagri script as State language of Uttar Pradesh.**

---

SIR,

IN October 1947 the Uttar Pradesh Government had accepted Hindi as the State language of this State. Detailed instructions in order to give effect to this decision were issued in this Department circular no. 4686/ III—170-1947, dated October 8, 1947. Since then considerable pro- General Administration Deptt.

gress has taken place in this matter and there has also been some change in the position which is as follows :

(1) It was stated in that circular that arrangements for the transition from English to Hindi should be effected in a manner which involved the minimum of dislocation of work and inconvenience. Five years have elapsed since that circular was issued. Since then instructions on the subject have been sent from time to time on which action has also been taken by you. Government have in particular kept the point in view that such government servants as are unacquainted with Hindi or have inadequate knowledge of Hindi should be allowed sufficient time to learn it. Reports received from the departments in this connexion indicate that at present all the government servants, with the exception of about 2 per cent., have learnt Hindi.

(2) In the Legislative Assembly of the State all work is already being done in Hindi. In this connexion the State Legislature passed in February, 1950 an Act which is known as the Uttar Pradesh Language (Bills and Acts ) Act, 1950.

(3) Government have also arranged for the compilation of Hindi dictionaries which would contain proper translations of English techincal and legal terms. Some dictionaries have already been published.

(4) Article 345 of the Constitution provides, among other things, that the Legislature of a State may by law adopt Hindi as the language to be used for all or any of the official purposes of the State. In pursuance of this article the Uttar Pradesh Legislature passed in 1951 an Act entitled . "The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951" which came into force as from November 12, 1951. A copy of this Act is attached as Annexure 'A'. The State Government have to issue a notification under secton 2 of that Act. On the issue of that notificaton all work required to be done in Hindi by that notificaton will be done in Hindi. Action is being taken to issue such a notification and you will receive separate instructions about it.

2. This circular contains only those instructions for the issue of which the Chief Minister had given an assurance in the State Legislative Assembly on September 4, 1952 that as far as possible all Government work would be conducted in Hindi. The following instructions are being issued accordingly :

(1) With the exception of those matters which in accordance with articles 346 and 347 of the Constitution are to be conducted in a language other than Hindi, all work shall, as far as possible, be conducted in Hindi. A copy of these articles will be found in Annexure 'B'.

(2) Those government servants who have not yet acquired a knowledge of Hindi to be able to do work in that language may for some time to come work in English, but they should acquire a working knowledge of Hindi at an early date and after six months from the date of this letter the names of those government

servants who may not have learnt Hindi by that date should be sent to Government. Not more than one year from the date of this letter will now be allowed for learning Hindi.

(3) Hindi typewriters will also be required for doing work in Hindi. Some Hindi typewriters have already been purchased. Hereafter all typewriters to be purchased should be Hindi typewriters—in this way the deficiency of Hindi typewriters would be gradually made good.

(4) Similarly, Hindi stenographers and Hindi typists will also be required. Some of the present English stenographers have already learnt Hindi shorthand— the remaining ones are learning Hindi shorthand and it is hoped that within a short period they will be able to do all the work in Hindi. The same position applies to typists. Stenographers and typists to be recruited hereafter should primarily be Hindi stenographers and Hindi typists.

(5) Hindi means that simple language which is spoken in this State. The script will be Devanagri and the language will be simple and intelligible. Technical terms could be written either in Devanagri script or in Roman script.

(6) Paragraph 5 of the circular of October 8, 1947 contains certain instructions about the language of courts. What further action should be taken on this question is under consideration.

3. Government hope that in accordance with these instructions all work in this State shall as far as possible begin to be done in Hindi without delay.

Yours faithfully,
B. N. JHA,
*Chief Secretary.*

---

No. 6464 (1)/III—170(7)-1952.

Copy forwarded to all Departments of the Secretariat for necessary action.

---

No. 6464 (2)/III—170(7)-1952.

Copy also forwarded for information to the Accountant General, Uttar Pradesh.

By order,
B. N. JHA,
*Chief Secretary to Government,*
*Uttar Pradesh.*

## ANNEXURE 'A'

[*See* paragraph 1(4) of the circular]

# UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1951*.

(U. P. Act No. XXVI of 1951)

**Authoritative Engilsh text of the Uttar Pradesh Raj Bhasha Adhiniyam. 1951**

AN

ACT

*to provide for adoption of Hindi as the language to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttar Pradesh.*

WHEREAS Article 345 and clause (3) of Article 348 of the Constitution provide *inter alia* that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing ;

It is hereby enacted as follows :

**Short title extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Official Language Act, 1951.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

**Hindi to be official language of the State.**

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall, with effect from such date within one year from the commencement of this Act, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, be the language used in respect of the following ;

(*a*) (i) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution ;

(ii) orders, rules, regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State ; and

(*b*) all or any of the official purposes of the State ;

and different dates may be appointed for different purposes in clauses (*a*) and (*b*) aforesaid.

---

*For Statement of Objects and Reasons please see *Uttar Pradesh Gaz-ette* (*Extraordinary*), dated August 23, 1951.

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 27, 1951, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 29, 1951.

Received the assent of the Governor on November 5, 1951, under Aritice 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated November 12, 1951.

†Published in the *Uttar Pradesh Gazette* (*ExtraordinPry*), dated November 12, 1951.

## ANNEXURE 'B'

[*See* paragraph 2(1) of the circular]

*Copy of articles* 346 *and* 347 *of the Constitution*

---

346. *Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.*—The language for the time being authorised for use in the Union for Official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union :

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that Language may be uesd for such communication.

347. *Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.*—On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purposes as he may specify.

---

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर।)

१५ अगस्त, १९५४ तक विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के हेतु बकाया धनराशि का विवरण

| क्रम-संख्या | मिल का नाम | ५२–५३ सीजन का बकाया (लाख रुपयों में) | ५३–५४ सीजन का बकाया (लाख रुपयों में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| १ | मोहीउद्दीनपुर .. | .. | .०२ | |
| २ | सखोतीटांडा .. | .००४ | .. | |
| ३ | खतौली .. | .०३ | .१६ | २२–८–५४ तक |
| ४ | बरेली .. | .०१ | .०३ | २२–७–५४ तक |
| ५ | बिलाड़ी .. | .. | .०३ | |
| ६ | अमरोहा .. | .०२ | .०५ | |
| ७ | धामपुर .. | .. | .११ | |
| ८ | सिवहारा .. | .. | .०३ | |
| ९ | काशीपुर .. | .. | .६५ | |
| १० | रामपुर .. | .०४ | .०१ | |
| ११ | नेवली .. | .. | .०४ | |
| १२ | गोला .. | .१० | .४० | ३१–७–५४ तक |
| १३ | हरगांव .. | .०२ | .०८ | |
| १४ | बाराबंकी .. | .. | .०४ | |
| १५ | मसोधा .. | .०२ | .०५ | |
| १६ | नवाबगंज .. | .००८ | .. | |
| १७ | बलरामपुर .. | .. | .२३ | |
| १८ | मुंडेरवा .. | .. | .४३ | |
| १९ | जरवल .. | .. | .४० | |
| २० | फरेन्दा .. | ३.४० | .००५ | |
| २१ | सरदारनगर .. | .. | .३१ | |
| २२ | छितौनी .. | .०४ | .. | २२–८–५४ तक |
| २३ | कप्तानगंज .. | .. | .००७ | |
| २४ | खड्डा .. | .८५ | .. | २२–८–५४ तक |
| २५ | लक्ष्मीगंज .. | .०१* | .११ | *२५–८–५४ तक |
| २६ | पडरौना .. | .. | ३.४७ | |
| २७ | रामकोला (खेतान) | .. | .३४ | |
| २८ | कठकुइया .. | ३.४३* | .०३ | *२२–८–५४ तक |
| २९ | देवरियां .. | .०३* | .०४ | *२२–८–५४ तक |
| ३० | बैतालपुर .. | .०८* | .१९ | *२२–८–५४ तक |
| ३१ | प्रतापपुर .. | .०५* | .. | *२२–८–५४ तक |
| | योग | ८.१४२ | ७.२८२ | |

## नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

**उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन**

**खंड १३**

१—खंड १३ के अधीन प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (७) के दूसरे प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित को नये प्रतिबन्ध के रूप में रखा जाय :—

"Provided also that for purposes of determining the due representation of Scheduled Castes in any Gaon Panchayat any person elected to a seat reserved for such castes but who may have subsequently appointed to the Nyaya Panchayat under section 43 shall be taken into account."

**खंड ४४**

२—खंड ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:

"४४—मूल अधिनियम की धारा ५३ में—

(१) उपधारा २ में शब्द "constitute within three days a Bench to deal with the matter" के स्थान पर शब्द "refer the matter to a Bench" रखे जायेंगे, अन्त के शब्द "provided that at least one Panch of the Bench shall belong to the Gaon Sabha in which the person resides." निकाल दिये जायेंगे, तथा सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रखा जायगा ।

(२) निम्नलिखित को नवीन उपधारा (३) के रूप में बढ़ाया जायगा :

"(3) If the person required to execute a bond as a foresaid under sub-section (2) fails to do so he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order."

**खंड ५९**

३—५९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"५९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में जहां कहीं वाक्य खंड 'case, suit or proceeding' आया हो उसके स्थान पर वाक्यखंड 'criminal, civil or revenue case' रखा जाये ।

**खंड ६१**

४—खंड ६१ के उपखंड (२) के अधीन धारा ७५ की प्रस्तावित उपधारा (२) की पहली पंक्ति में शब्द "civil" तथा शब्द "criminal" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय ।

**खंड ६४**

५—खंड ६४ में शब्द समूह "for the trial of" के स्थान पर शब्द समूह "for the trial of a case, suit or proceeding" रखा जाय ।

## खंड ६९

६—खंड ६९ के अधीन प्रस्तावित धारा 85 की—

(१) उपधारा १ की आठवीं पंक्ति में शब्द "criminal" और "civil" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय।

(२) उपधारा (2) की पहली और चौथी पंक्ति में शब्द "criminal" और "civil" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जावे।

## खंड ७१

७—खंड ७१ के अधीन प्रस्तावित धारा 89 के आरम्भ में चिह्न " "रखा जाय, तथा—

(क) उपधारा (1) में शब्द "criminal" तथा "civil" के बाद में आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय।

(ख) उपधारा (4) की दूसरी पंक्ति में शब्द "civil" और "criminal" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जावे।

## खंड ८५

८—खंड ८५ में उपखंड (१) के भाग (क) की प्रस्तावना में अंक और शब्द (ii-A), (ii-B), (ii-C), (ii-D), (ii-E), (ii-F), (ii-G), (ii-H) और (ii-I) के स्थान पर अंक और शब्द (ii-*a*), (ii-*b*), (ii-*c*), (ii-*d*), (ii-*e*), (ii-*f*), (ii-*g*), (ii-*h*) और (ii-*i*) रखे जावें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७४ एल० ए०—९१५४—८५०